रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 1989/आश्विन 7, 1911
No. 26] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 1989/ASVINA 7, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दी इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाअन्टेन्ट्स आफ इन्डिया

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1989

(चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स)

संख्या 1-सी. ए. (5)/40/89. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम 1949 की धारा 18 की उपधारा (5) के अनुसार 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के लिये परिषद के अंकेक्षित लेखा तथा प्रतिवेदन की एक प्रति सर्व साधारण की जानकारी हेतु एतद्द्वारा प्रकाशित की जा रही है।

31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के लिये परिषद की 40 वी रिपोर्ट

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया की परिषद को 1 अप्रैल, 1988 से 31 मार्च, 1989 की अवधि तक के लिये अपनी 40 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हर्ष है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट की महत्वपूर्ण गतिविधियों, परिषद और इसकी अनेक समितियों, आयोजित किये गये गोष्ठियों एवं सम्मेलनों, वर्ष के दौरान आयोजित किये गये प्रशिक्षण के कार्यक्रमों एवं सदस्यों तथा विद्यार्थियों से संबंधित आवश्यक आंकड़ों पर प्रकाश डालती है। यद्यपि इस रिपोर्ट में सम्मलित अधिकांश सूचनाएं एवं जानकारी इसी अवधि से संबंधित है फिर भी सितम्बर 1989 तक की इंस्टीट्यूट की गतिविधियों का इसमें संक्षेप में वर्णन किया गया है।

इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया की स्थापना सन् 1949 में केन्द्रीय सरकार द्वारा, संसद के एक अधिनियम से, चार्टर्ड एकाउन्टैन्सी के व्यवसाय को नियमित करने हेतु की गई थी। इंस्टीट्यूट के मुख्य कार्य निम्न प्रकार से है :

(1) इंस्टीट्यूट की सदस्यता हेतु योग्यताओं का निर्धारण करना।

(2) इंस्टीट्यूट की सदस्यता हासिल करने हेतु निर्धारित परीक्षाओं का आयोजन करना।

(3) इंस्टीट्यूट की सदस्यता के लिये, प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा इसका निर्धारण करना ।

(4) उन व्यक्तियों को इंस्टीट्यूट के सदस्य के रूप में पंजीकृत करना जिन्होंने कि प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो तथा निर्धारित परीक्षाएं पास कर ली हो।

(5) विदेशी एकाउन्टैंसी निकायों की प्रशिक्षण तथा परीक्षा को मान्यता देना।

(6) सदस्यों के ऊपर अनुशासन का नियंत्रण करना तथा व्यवसायिक मानकों को लागू करना।

उपरोक्त वैधानिक कार्यकलापों के अलावा भी, इंस्टीट्यूट :

(1) व्यवसाय के लिये लेखांकन मानकों तथा आडिटिंग प्रैक्टिसों का निर्धारण करता है तथा इन मानकों को लागू करता है।

(2) एकाउन्टैंसी व्यवसाय से संबंधित अनेक विषयों पर जैसे कि कराधान, कंपनी कानून, आडिटिंग प्रेक्टिसेज तथा लेखांकन मानकों पर अनुसंधान करता है।

1. परिषद

1.1 परिषद और इसकी अनेक समितियों के सदस्य :—

13वीं परिषद, जिसका गठन 17 सितम्बर, 1985 को किया गया था, 16 सितम्बर, 1988 को भंग हो गई और 14 वी परिषद का गठन 17 सितम्बर 1988 से तीन वर्ष की अवधि के लिये किया था। वर्तमान परिषद, पांच क्षेत्रीय निर्वाचित क्षेत्रों से चुने गये इंस्टीट्यूट के 24 फैलो सदस्यों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत 6 सदस्यों को सम्मिलित करते हुए बनी है।

दोनों परिषदों का समन्वय क्रमशः परिशिष्ट 1 और 2 में दिया गया है।

परिषद को अपने एक सदस्य श्री एम. एल. सिंघी की, जो कि 14 वी परिषद के लिये सितम्बर, 1988 में निर्वाचित हुए थे, 17 अगस्त 1989 को हुई दुखद एवं अचानक मृत्यु से काफी गहरा सदमा पहुंचा है। उन्होंने इससे पहले 12वी परिषद में वर्ष 1983-84 में सरकारी प्रतिनिधि के रूप में अपना योगदान दिया था।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान श्री सिंघी कम्पनी कानून समिति के सदस्य, अनुसंधान समिति के उपाध्यक्ष और परीक्षा समिति के सदस्य थे। वह बहुत से निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कम्पनियों के निदेशक के रूप में जुड़े हुए थे।

1.2 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष

श्री एम. के. दास गुप्ता 1 अप्रैल, 1988 से 17 सितम्बर, 1988 तक इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के पद पर बने रहे। श्री के. जी. सोमानी ठीक इसी अवधि तक उपाध्यक्ष बने रहे। परिषद ने 17 सितम्बर 1988 से अपनी 136 वी बैठक में 17 सितम्बर, 1988 से एक वर्ष की अवधि के लिये श्री के. जी. सोमानी और श्री ए. एच. दलाल को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित किया। परिषद श्री एस. के. दास गुप्ता द्वारा अध्यक्ष के रूप में तथा श्री के. जी. सोमानी द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में की गई सेवाओं की भूरी-भूरी प्रशंसा करती है।

1.3 सचिव

श्री आर. एल. चोपड़ा 30 सितम्बर, 1988 तक इंस्टीट्यूट के सचिव बने रहे। श्री चोपड़ा 36 साल की उत्कृष्ट सेवाओं के बाद सेवा निवृत्त हुए हैं। 1 अक्तूबर 1988 से श्री एम. सी. नरसिम्हन ने सचिव का पदभार संभाल लिया।

1.4 समितियां

चौदहवीं परिषद ने 17 सितम्बर, 1988 को हुई अपनी पहली बैठक में कार्यकारी समिति, परीक्षा समिति और अनुशासनात्मक समिति नामक तीन स्थायी समितियों का गठन किया। इसके अलावा कम्पनी कानून तथा कराधान इत्यादि मामलों से संबंधित अनेक समितियों का भी गठन किया है। इन समितियों की सूची और उनका समन्वय परिशिष्ट 3 में दिया गया है।

1.5 परिषद की बैठकें : वर्ष के दौरान परिषद की 6 बैठकें हुईं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :

बैठक संख्या	तिथियां	स्थान
133वीं	28, 29 व 30 अप्रैल, 1988	नई दिल्ली
134वीं	9 व 10 अगस्त, 1988	नई दिल्ली
135वीं	13, 14, 15 और 16 सितम्बर, 1988	नई दिल्ली
136वीं	17 सितम्बर, 1988	नई दिल्ली
137वीं	15, 16 व 17 दिसम्बर, 1988	नई दिल्ली
138वीं	9, 10 व 11 मार्च, 1988	अहमदाबाद

1.6 आडिटर

रिपोर्ट वर्ष की अवधि के लिये श्री एम. आर. वेंकटरामन एवं श्री सी. पी. मेहरा को पुनः आडिटर नियुक्त किया गया।

2. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

2.1 अन्तर्राष्ट्रीय लेखापालों का संघ (आई.एफ.ए.सी.)

सन् 1977 से भारत अन्तर्राष्ट्रीय लेखापालों के संघ का एक सदस्य है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान इंस्टीट्यूट के एक भूतपूर्व अध्यक्ष श्री ए. सी. चक्रवर्ती, आई. एफ. ए. सी. की परिषद में इंस्टीट्यूट का प्रतिनिधित्व करते रहे। श्री पी. ए. नायर एवं श्री आर. बालाकृष्णन, इंस्टीट्यूट के भूतपूर्व अध्यक्ष, क्रमशः आई. एफ. ए. सी. की शिक्षा समिति एवं आडिटिंग प्रैक्टिसेज समिति में प्रतिनिधित्व करते रहे। आई. एफ. ए. सी. की परिषद की एक बैठक 14 व 15 नवम्बर, 1988 को नई दिल्ली में हुई। बैठक में 36 सदस्यों तथा उनके तकनीकी सलाहकारों ने भाग लिया। इंस्टीट्यूट अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक समिति का भी सदस्य है। श्री एम. के. दासगुप्ता, इंस्टीट्यूट के एक भूतपूर्व अध्यक्ष, आई. एफ. ए. सी. एवं आई. ए. एस. सी. के बीच संबंधों का पुनर्लोकन करने वाले कार्य दल के सदस्य बने रहे।

2.2 एशियाई एवं प्रशान्तीय लेखापालों का संघ

इंस्टीट्यूट, एशियाई एवं प्रशान्तीय लेखापालों का संघ (कापा) का सन् 1976 में इसकी स्थापना से सदस्य है। भारत अपने सहयोगी इंस्टीट्यूट यानी कि इंस्टीट्यूट आफ कॉस्ट एवं वर्क्स एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया के द्वारा कापा की शिक्षा समिति में प्रतिनिधित्व करता रहा है। इंस्टीट्यूट, 12 वी कापा सम्मेलन में जिसका आयोजन 17 से 20 सितम्बर, 1989 को सियोल, कोरिया में किया जा रहा है, भाग लेने के लिये एक प्रतिनिधि मण्डल भेज रहा है। इंस्टीट्यूट के एक भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एम. के. दासगुप्ता "सार्वजनिक क्षेत्र के लेखांकन संबंधी मामले" नामक पेपर पर कमन्टेटर का कार्य कर रहे हैं।

2.3 दक्षिण एशियाई लेखापालों का संघ (साफा)

इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया, साफा, जिसकी स्थापना सन् 1984 में की गई थी, के संस्थापक सदस्यों में से एक है। श्री के. जी. सोमानी, अध्यक्ष, साफा की असेम्बली में इंस्टीट्यूट का प्रतिनिधित्व कर रहे है। श्री ए. एच. दलाल, उपाध्यक्ष साफा देशों में कराधान के ऊपर कार्य दल के संयोजक है।

26 अक्तूबर, 1988 को साफा असेम्बली की एक बैठक, काठमांडू, नेपाल में हुई। कथित बैठक में यह बताया गया है कि माननीय नेपाल सरकार द्वारा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ नेपाल की स्थापना करने हेतु उचित सिफारिशों एवं वैधानिक मसविदा तैयार करने हेतु एक अध्ययन दल का गठन किया गया है। बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक भारत में 3 वर्ष के लिये साफा सचिवालय की स्थापना करना है।

25 जनवरी, 1989 को बम्बई में हुई साफा असेम्बली की बैठक में, इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एवं वर्क्स एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया के श्री कल्याणारमन को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एवं मैनजमैंट एकाउन्टैन्ट्स आफ पाकिस्तान के श्री म्याति मुमताज अब्दुल्ला को वर्ष 1989 के लिये साफा का उपाध्यक्ष चुना गया।

30 मई, 1989 को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हुई असेम्बली की बैठक में, इंस्टीट्यूट ने साफा देशों में कराधान पर तुलनात्मक अध्ययन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। श्री के. जी. सोमानी अध्यक्ष श्री ए. एच. दलाल, उपाध्यक्ष, श्री एस. वी. नरसिम्हन, सचिव एवं श्री कमल गुप्ता, तकनीकी निदेशक ने बैठक में भाग लिया।

इस्लामाबाद में, साफा असेम्बली की बैठक के साथ ही, पाकिस्तान की दोनों लेखांकन निकायों द्वारा संयुक्त रूप से "साफा देशों में कार्पोरेट रिपोर्टिंग" के ऊपर एक गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में बम्बई से परिषद के एक भूतपूर्व सदस्य श्री एच. एम. दमानिया ने "साफा देशों में कार्पोरेट" रिपोर्टिंग के ऊपर एक पेपर प्रस्तुत किया।

3. व्यावसायिक विकास :

3.1 सामान्य

निम्नलिखित पैराग्राफों में इंस्टीट्यूट की व्यावसायिक विकास की गतिविधियों का सारांश जिन्हें कि परिषद अनेक अस्थाई समितियों के द्वारा पूरा किया गया, दिया गया है। क्षेत्रीय परिषदों तथा शाखाओं की गतिविधियों का विवरण इसमें शामिल नहीं है क्योंकि इनकी गतिविधियों का विवरण इन निकायों की रिपोर्ट में किया गया है।

3.2 लेखांकन मानक बोर्ड :

3.2.1 मई 1977 में अपनी स्थापना से, लेखांकन मानक बोर्ड निम्नलिखित 11 मानक जारी कर चुका है। ये इस प्रकार हैं:

लेखांकन नीतियों का भेद—प्रकाशन	(ए. एस.-1)
चल-समितियों का मूल्यांकन	(ए. एस.-2)
वित्तीय स्थिति में परिवर्तन	(ए. एस.-3)
तुलन-पत्र तिथि के बाद घटित आकस्मिता एवं घटना	(ए. एस.-4)
पूर्व अवस्था एवं असाधारण सामग्री एवं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन	(ए. एस.-5)
मूल्यह्रास लेखांकन	(ए. एस.-6)
निर्माण ठेकों के लिये लेखांकन	(ए. एस.-7)
अनुसंधान एवं विकास हेतु लेखांकन	(ए. एस.-8)
राजस्व मान्यताएं	(ए. एस.-9)
स्थाई सम्पत्तियों के लिये लेखांकन	(ए. एस.-10)
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव पर लेखांकन	(ए. एस.-11)

अंतिम मानक (ए. एस.-11) को वर्तमान वर्ष में जारी किया गया।

3.2.2 लेखांकन मानकों को लागू करना

लेखांकन मानकों को लागू कराने के अपने प्रयत्नों के अनुसार सितम्बर, 1987 में इंस्टीट्यूट की परिषद ने अपनी 120वीं बैठक में निर्णय लिया है कि "तुलन-पत्र की तिथि के बाद आकस्मिकता एवं घटना" पर ए. एस. 4 एवं "पूर्व अवस्था एवं असाधारण सामग्री एवं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन" पर ए. एस. 5, जिन्हें कि इंस्टीट्यूट ने जारी किया है, 1-1-1987 को या उसके बाद की अवधि के लेखाओं के मामले में आदेशात्मक माना जाय। अन्य मानकों को भी समयबद्ध ढंग से आदेशात्मक करने का विचार है। लेखांकन मानकों की उपयोगिता को विस्तृत रूप से विज्ञापित करने की दृष्टि से अनेक संस्थाओं में एक विज्ञापन पुस्तिका को बांटा गया है।

3.2.3 निम्नलिखित लेखांकन मानकों का मसविदा, विभिन्न स्तरों पर बोर्ड के विचाराधीन है:

—परकारी अनुदान के लिये लेखांकन

—निवेशों के लिये लेखांकन

—मिश्रणों के लिये लेखांकन

—नियोजकों के वित्तीय विवरणों में अवकाश प्राप्त लाभों के लिये लेखांकन

—खण्ड (भाग) द्वारा वित्तीय सूचनाओं का वर्गीकरण।

आय में करों के लिये लेखांकन

3.3 आडिटिंग प्रैक्टिसेज समिति :

3.3.1 वर्ष के दौरान परिषद ने समिति के द्वारा निर्मित स्टैंडर्ड आडिटिंग प्रैक्टिसेज पर निम्नलिखित स्टेटमैंट्स को प्रकाशन हेतु अपनी सहमति दे दी है:—

(अ) स्टैण्डर्ड आडिटिंग प्रैक्टिसेज पर स्टेटमैंट (एस. ए. पी.-7) "आंतरिक लेखा परीक्षक के कार्य पर आश्रित रहना"

(ब) स्टैण्डर्ड आडिटिंग प्रैक्टिसेज पर स्टेटमैंट (एस. ए. पी.-9) "लेखा परीक्षा योजना।"

(स) "निर्माण करने वाली एवं अन्य कम्पनियों के (लेखा परीक्षाओं की रिपोर्ट) (आदेश 1988 पर स्टेटमैंट।

3.3.2 निम्नलिखित विषयों पर स्टैण्डर्ड आडिटिंग प्रैक्टिसेज पर स्टेटमेंट एवं मार्ग दर्शक पत्र निर्माण के विभिन्न अवस्थाओं में है:—

—दूसरे लेखा परीक्षक के काम का प्रयोग करना

—संयुक्त लेखा-परीक्षाओं की उत्तरदायित्व।

—विश्लेषण संबंधी पुनर विचार

—एक विशेषज्ञ के कार्य का प्रयोग करना

—एक ई. डी. पी. वातावरण में लेखा परीक्षण

—चालू सम्पत्तियों की लेखा परीक्षा

—ऋणी, ऋणों एवं अग्रिमों की लेखा परीक्षा

3.4 अनुसंधान समिति :

3.4.1 इंस्टीट्यूट की अनुसंधान समिति ने वर्ष को दौरान निम्नलिखित मार्गदर्शक पत्र जारी किये गये:—

(अ) पट्टे के लिये लेखांकन पर मार्गदर्शक पत्र

(ब) सीमा शुल्क के लिये लेखांकन व्यवहार पर मार्ग दर्शक पत्र (संशोधित)।

3.4.2 अनुसंधान समिति ने अनेक विषयों पर अध्ययन कार्य किया तथा इसमें उन्नति विभिन्न अवस्थाओं में है। यहां पर विशेष रूप से किये गये विषयों पर अध्ययन का वर्णन किया जा रहा है।

इनमें से मुख्य हैं बोनस अधिनियम, 1965 का भुगतान, कम्पनियों के लिये मूल्यह्रास पर लेखांकन और अनेक उद्योगों जैसे कि आटोमोबाइल, दवाइयां, तथा औषधियां निर्माण संबंधी, कागज, चीनी, होटल एवं आटोमोबाइल टायर इत्यादि के लिये लेखांकन एवं आडिटिंग प्रैक्टिसेज। वर्ष के दौरान अनुसंधान समिति ने लेखांकन एवं लेखा परीक्षण पर पत्रों एवं मानकों के एक संग्रह के स्थान पर दो अलग-अलग संग्रह तैयार किये गये तथा उन्हें प्रकाशित किया गया। इनमें से एक लेखांकन पर पत्रों एवं मानकों का संग्रह तथा दूसरा लेखा परीक्षण पर पत्रों एवं मानकों का संग्रह है।

3.4.3 पिछले वर्ष की भांति, वर्ष 1987-88 के लिये भी इंस्टीट्यूट ने, कम्पनियों एवं गैर-वित्तीय निगमों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं में सर्वोत्तम ढंग से प्रस्तुत लेखा का पुरस्कार प्रदान किया। ऑयल इंडिया लिमिटेड को सर्वोत्तम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा के लिये रजत शील्ड प्रस्तुत की गई। निम्नलिखित कम्पनियों को प्रशस्ति पट्टिकाएं प्रदान की गई:

—भूतानियां इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
—इंडियन पैट्रोकैमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
—मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड

बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं में से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को सर्वोत्तम घोषित किया गया।

3.5 व्यावसायिक विकास समिति :

3.5.1 राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा इनकी शाखाओं एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आडिट से संबंधित प्रतिक्षा सूची तैयार करने संबंधी तरीका एवं अन्य बातें :—

समिति ने, इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस कर रहे सदस्यों से, निर्धारित मार्ग दर्शक सिद्धांतों के अनुसार वर्ष 1989-90 के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों तथा उनकी शाखाओं का लेखा परीक्षण जिसमें कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा इनकी शाखाओं का भी केन्द्रीय वैधानिक लेखा परीक्षण भी सम्मिलित है के लेखा परीक्षण से संबंधित, निर्धारित प्रपत्र पर लेखा परीक्षकों की प्रतिक्षा सूची तैयार करने से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के मामलों तथा अन्य मामलों को लेकर अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। इस प्रकार सदस्यों से उचित प्रपत्र पर एकत्रित सूचनाओं को हमारे बम्बई कार्यालय में कम्प्यूटराइज्ड किया जायेगा। लेखा परीक्षण के वितरण की सुविधा हेतु इस प्रकार तैयार की गयी प्रतिक्षा सूची को दिसम्बर 1989 के अन्त तक उचित अधिकारियों को सौंप दिया जायेगा। सदस्यों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर, समिति ने प्रतिक्षा सूची तैयार करने से संबंधित अनेक मामलों पर अधिकारियों से विचार-विमर्श किया।

3.5.2 अध्यक्ष, राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश के राज्यपालों तथा आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों तथा अनेक राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों से मिले तथा उन्हें इस बात से अवगत कराया कि इंस्टीट्यूट के सदस्य किस प्रकार राज्य सरकारों को मदद कर सकती है। विशेषतया राज्य अधिकारियों को लेखा प्रस्तुत करने में होने वाली देरी को कम करने में।

3.5.3 वर्ष 1989 के लिये सतत शिक्षा कार्यक्रम :

वर्ष 1989 में सतत शिक्षा कार्यक्रम के एक भाग के रूप में क्षेत्रीय परिषदों के सहयोग से, क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों में बैंकों का चालू/जांच/राजस्व लेखा परीक्षा से संबंधित अनेक मामलों पर विचार विमर्श करने हेतु अनेक गोष्ठियों का आयोजन किया गया। तकनीकी निदेशालय द्वारा एकीकृत एवं विस्तृत बैकग्राउन्ड सामग्री तैयार की गई तथा भाग लेने वालों में बांटी गई।

क्षेत्रीय परिषदों के सहयोग से सामान्य बीमा कम्पनियों तथा जीवन बीमा निगम के लेखा परीक्षा से संबंधित अनेक मामलों पर विचार-विमर्श करने हेतु गोष्ठियों की एक श्रृंखला आयोजित की गई।

3.5.4 बैंकिंग उद्योगों में रोजगार में लगे हुए सदस्यों द्वारा महसूस तौर तरीके संबंधी कठिनाइयों को दूर करने हेतु समिति ने बैंकिंग विभाग भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय बैंक संघ से विचार-विमर्श किया। जांच तथा शाखा लेखा परीक्षण हेतु दिया जाने वाले पारितोषिक को समय-समय पर उचित रूप से संशोधित करने हेतु प्रयत्न जारी रहे।

3.6 उद्योगों में सदस्यों हेतु समिति :

रिपोर्ट वर्ष के दौरान, इंस्टीट्यूट ने निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया :—

(1) 24 से 28 मार्च, 1989 के बीच शिलांग में उद्योगों में लगे वित्त एवं लेखा कार्यपालकों के लिये आवासीय पाठ्यक्रम, जिसमें की निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के 27 वरिष्ठ कार्यपालकों ने भाग लिया।

(2) 23 व 24 जुलाई, 1989 को बंगलौर में संयुक्त प्रबन्ध लेखांकन पर सम्पूर्ण भारतीय सम्मेलन, जिसमें की लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन माननीय श्री एम. अरुणाचलम, केन्द्रीय औद्योगिक विकास राज्य मंत्री ने किया था।

3.7 कम्पनी कानून समिति :

3.7.1 इंस्टीट्यूट ने 8 से 12 जून, 1989 के बीच श्रीनगर में कराधान तथा कम्पनी कानून पर 12वां आवासीय पाठ्यक्रम का आयोजन किया। इसमें उद्योगों तथा व्यवसाय से 34 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

3.7.2 इंस्टीट्यूट ने कम्पनीज अधिनियम के अनुभाग 56 में संशोधन के उद्देश्य के लिये नियमावलियों का संक्षिप्त फार्म का मसविदा तैयार किया तथा इसे कम्पनी कार्य विभाग के विचार हेतु सुपुर्द कर दिया है। कम्पनीज अधिनियम के अनुभाग 219 में संशोधन के परिणाम स्वरूप इंस्टीट्यूट में तुलनपत्र तथा लाभ एवं हानि खाते को कंपनियों द्वारा अंश धारकों को भेजने हेतु एक संक्षिप्त फार्म तैयार किया और इसे कंपनी कार्य विभाग के सुपुर्द किया। इसी के आधार पर कंपनी कार्य विभाग ने इसे अंतिम रूप दे दिया है।

3.7.3 कम्पनी कानून समिति ने 'बीमार औद्योगिक कंपनियां (विशेष व्यवस्था) अधिनियम" की व्यवस्थाओं का अध्ययन का काम किया, जो कि व्यवसाय के लिये अत्यन्त लाभकारी है।

3.8 कराधान समिति :

3.8.1 27 से 28 अगस्त 1988 को समिति ने जयपुर में कराधान एवं कंपनी कानून पर 20वीं सम्पूर्ण भारत गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी का उद्देश्य था "कारपोरेट एवं कराधान कानून बदलते दृश्य"। गोष्ठी का उद्घाटन राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय ने किया। गोष्ठी में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के भाग लेने से इसमें काफी लोगों ने भाग लिया। व्यापारिक आय पर कराधान लेखांकन मानकों की मान्यता प्रबन्धकीय पारितोषिक मूल्यह्रास एवं इन्टर-कारपोरेट जमा मूल्यह्रास एवं निवेश जमा इत्यादि जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। गोष्ठी के अंतिम सत्र में राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायधीश मुख्य अतिथि थे।

3.8.2 कराधान एवं कम्पनी कानून पर बारहवें आवासीय पाठ्यक्रम का आयोजन 8 जून से 12 जून तक श्रीनगर में सेन्टूर लेक व्यू होटल में किया गया। देश के विभिन्न भागों से 34 प्रतिनिधियों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया। सदस्यों द्वारा अधिक संख्या में इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित

गोष्ठियों में भाग लेने के लिये प्रयत्न किये गये हैं। इस बात के प्रयास किये जा रहे हैं कि कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु शुल्क मध्यम श्रेणी में सुरक्षित हों।

3.8.3 अहमदाबाद गोष्ठी

कराधान एवं कंपनी कानून पर 21वीं सम्पूर्ण भारत गोष्ठी का आयोजन 4 से 6 अगस्त 1989, को अहमदाबाद में किया गया। गोष्ठी का उद्घाटन गुजरात के राज्यपाल माननीय श्री आर. के. त्रिवेदी ने किया तथा इसमें लगभग 670 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गोष्ठी में छः तकनीकी सत्र थे इनमें से चार कराधान को समर्पित तथा दो कम्पनी कानून से संबंधी विषयों पर थे। श्री ओ. पी. भारद्वाज सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मण्डल श्री पी. ए. नायर, इंस्टीट्यूट के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री एन. सी. एस. राघवन और श्री वी. के. बक्सी, केन्द्रीय एक्साइज एवं कस्टम के कलक्टर ने कराधान के सत्रों की अध्यक्षता की तथा न्यायमूर्ति श्री जे. दीवान, गुजरात उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा कम्पनी कार्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री सी. आर. सुंदर राजन ने कम्पनी कानून से संबंधित सत्रों की अध्यक्षता की। व्यवसाय से महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने रेपोटियर एवं पेपर राइटर का काम किया।

शिलान्यास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संयुक्त महा-निदेशक श्री रमनीकलाल एच. अम्बानी ने स्वागितवाचनिक संदेश दिया।

3.8.4 केन्द्रीय बजट

इंस्टीट्यूट के केन्द्रीय वित्त मंत्री वित्त राज्य मंत्री एवं मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों को 30 जनवरी 1989 को पूर्व बजट ज्ञापन प्रस्तुत किया।

18 जनवरी, 1989 को इन्स्टीट्यूट का एक प्रतिनिधि मण्डल जिसमें कि श्री के.जी. सोमानी अध्यक्ष श्री ए.एच. दलाल उपाध्यक्ष श्री एन.सी. सुन्दरराजन कराधान समिति के सभापति और अन्य शामिल है वित्त मंत्री से मिले तथा इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत पूर्व बजट ज्ञापन तथा प्रत्यक्ष कर नियम (संशोधन) बिल 1988 पर प्रस्तुत ज्ञापन के मुख्य पहलुओं पर प्रकाश डाला। विचार विमर्श के दौरान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मण्डल के सभापति तथा बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। वित्त मंत्री के निमंत्रण पर इन्स्टीट्यूट के अध्यक्ष ने 23 जनवरी 1989 को वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित पूर्व बजट विचार-विमर्श बैठक में भाग लिया।

10 अप्रैल 1989 को इंस्टीट्यूट का बजट के उपरान्त का ज्ञापन वित्त मंत्री, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन (सभापति) तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया।

3.8.5 14 दिसम्बर, 1988 को इंस्टीट्यूट ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को देश में एक स्वतंत्र कर आयोग की स्थापना की आवश्यकता पर एक स्मारक पत्र प्रस्तुत किया।

3.8.6 इंस्टीट्यूट ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को, कम्पनियों द्वारा लेखांकन की आकुरल पद्धति की नीति को अपनाने के कारण होने वाली कठिनाइयों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। उचित विज्ञापन जारी करने तथा कर निर्धारक अधिकारियों को यह सलाह देने के लिये कि लेखांकन पद्धति में परिवर्तन को लागू करने के परिणामस्वरूप, 2 वर्ष तक की अवधि के लिये, जिस मामले में उचित हो, अतिरिक्त कर देयता को किश्तों में स्वीकार किया जाय, के लिये प्रार्थना की गई।

3.8.7 इंस्टीट्यूट ने राजस्व सचिव को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया, इसमें उनका ध्यान, कम्पनी कार्य विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण" कि कम्पनी अधिनियम की अनुसूची 14 में वर्णित मूल्यह्रास की दरों को न्यूनतम दरें माना जाये और केवल ऐसे मामलों में ही, जहां तकनीकी मूल्यांकन इससे उचित समझे, उंची दरें भी जायेंगी, की तरफ आकर्षित किया। चूंकि यह कदम आय कर के उद्देश्य के लिये सभी मामलों में, कम्पनियों को मूल्यह्रास की ऊंची दरें लेने से रोकता है। इस प्रकार अनुभाग 115 जे. की व्यवस्था से अतिरिक्त कर देयता शुरू हो जाती है। इस लिये ज्ञापन में प्रार्थना की गई है कि अनुभाग 115 जे. के उद्देश्य के लिये सभी मामलों में आय कर अधिनियम के अनुभाग 32(1) में वर्णित मूल्यह्रास की दरों को ही उचित माना जाये।

3.8.8 सरकार को एक और ज्ञापन दिया गया इसमें सरकार से सरकार से विनती की गई है कि व्यवसाय के अनुभवी एवं मुख्य सदस्यों को सैटलमैंट आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाय।

3.8.9 आयकर अधिनियम की धारा 32 ए.बी. के संदर्भ में उत्पन्न हुए कठिनाइयों एवं संदेहों के बारे में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को एक ज्ञापन भी दिया गया है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष कर नियमावलियों (संशोधन) अधिनियम, 1987 और वित्त अधिनियम 1988 में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप संबंधित फार्मों में संशोधन के लिये एक और ज्ञापन दिया गया।

3.8.10 इंस्टीट्यूट ने अनेक मंचों से अनेकों बार कम्पनी अधिनियम तथा आय कर अधिनियम में किये गये संशोधनों को मध्य नजर रखते हुए इन अधिनियमों की व्यवस्थाओं को अनुरूप करने की आवश्यकता पर बल देते हुए ज्ञापन दिया। इन व्यवस्थाओं को अनुरूप करने की आवश्यकता पर बल देते हुए ज्ञापन दिया। इन व्यवस्थाओं को अनुरूप करने की अति शीघ्र आवश्यकता को अनेकों बार वित्त मंत्री, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सभापति तथा वित्त मंत्रालय, के अन्य अधिकारियों के साथ हुए विचार विमर्श के दौरान उनके ध्यान में लाया गया।

3.9 सतत व्यावसायिक शिक्षा समिति

3.9.1 गोष्ठियां एवं पाठ्यक्रम

रिपोर्ट वर्ष की अवधि के दौरान सदस्यों को लगातार शिक्षा उपलब्ध कराने के अपने प्रयत्नों में, समिति ने देश के विभिन्न भागों में अनेकों गोष्ठियों एवं पाठ्यक्रमों का आयोजन किया। इस प्रकार आयोजित किये गये गोष्ठियों एवं पाठ्यक्रमों का पूरा विवरण परिशिष्ट 4 में दिया गया है।

3.9.2 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के परिणाम

मई और नवम्बर, 1988 में संशोधित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत मैनेजमैंट एकाउन्टैन्सी कोर्स (भाग 1) की परीक्षाओं का आयोजन किया गया तथा नवम्बर, 1988 में कारपोरेट मैनेजमैंट तथा टैक्स मैनेजमैंट की परीक्षाओं का भी आयोजन किया गया। निम्नलिखित सारणियां मई और नवम्बर 1988 में आयोजित परीक्षाओं का सारांश प्रस्तुत कर रही हैं।

सारणी अ—मैनेजमैंट एकाउन्टैन्सी कोर्स (भाग – I)

समूह	मई 1988			नवम्बर 1988		
	कुल उम्मीदवारों की संख्या	उत्तीर्ण	प्रतिशत	कुल उम्मीदवारों की संख्या	उत्तीर्ण	प्रतिशत
1. दोनों समूह उत्तीर्ण—	22			19		
दोनों समूहों में		10	45		11	58
केवल 1 समूह में—		9			6	
केवल समूह 2 में*		2			2	
2. समूह 1 में	20	17	85	24	17	71
3. समूह 2 में	10	4	40	11	2	19

सारणी "ब" —कारपोरेट मैनेजमैंट एवं टैक्स मैनेजमैंट कोर्सेज (भाग I)
नवम्बर, 1988

समूह	कारपोरेट मैनेजमैंट कोर्स			टैक्स मैनेजमैंट कोर्स		
	कुल उम्मीदवारों की संख्या	उत्तीर्ण	प्रतिशत	कुल उम्मीदवारों की संख्या	उत्तीर्ण	प्रतिशत
1. दोनों समूह : उत्तीर्ण :	2			8		
दोनों समूह में		1	50		—	—
केवल समूह 1 में		—	—		3	—
केवल समूह 2 में		1			—	—
2. समूह 1	1	—	—	7	2	29
3. समूह 2	1	—	—	5	—	—

3.9.3 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण

वर्ष के दौरान निम्नांकित प्रत्याशियों ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के भाग 2 के अनिवार्य व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अपने नाम को पंजीकृत किया ।

पाठ्यक्रम	पंजीकृत प्रत्याशियों की संख्या
मैनेजमैंट एकाउन्टैन्सी कोर्स	15
कारपोरेट मैनेजमैंट कोर्स	1
टैक्स मैनेजमैंट कोर्स	7

3.9.4 योग्यता छात्रवृत्ति

समिति ने मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी कोर्स के अन्तर्गत चालू योजना में वर्ष के दौरान 10 प्रत्याशियों को 500 रु. प्रत्येक के हिसाब से छात्र वृत्तियां प्रदान की। यह योजना कारपोरेट मैनेजमैंट कोर्स और टैक्स मैनेजमैंट कोर्स के लिए भी लागू कर दी है। वर्ष के दौरान कारपोरेट मैनेजमैंट कोर्स के 3 प्रत्याशियों और टैक्स मैनेजमैंट कोर्स के 2 प्रत्याशियों को 500 रु. के हिसाब से छात्रवृत्तियां प्रदान की गई।

3.9.5 प्रबन्ध एवं आर्थिक संग्रह

इंस्टीट्यूट प्रबन्ध तथा अर्थशास्त्र में समकालिक समस्याओं पर महत्व-पूर्ण लेखों के सारभूत अंशों को शामिल करते हुए प्रबन्ध एवं आर्थिक संग्रह प्रकाशित कर रहा है। सितम्बर 1988 से अब तक इस संग्रह के 4 अंक प्रकाशित किये जा चुके हैं। इस तिमाही प्रकाशन के औसतन 1200 प्रतियां 60 रु. के वार्षिक चंदे के हिसाब से वितरित की गई।

3.9.6 आन्तरिक कम्प्यूटर केन्द्र

इंस्टीटयूट के क्षेत्रीय कार्यालय में जैसे कि बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, कानपुर और नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट के सदस्यों तथा विद्यार्थियों को अच्छी रचना के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था हेतु आंतरिक कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित किये हैं। दिल्ली से कम्प्यूटर केन्द्र ने रिपोर्ट वर्ष के दौरान अपना कार्य शुरू किया। गणकों से एक लेखाकार के रूप में व्यवसायिक कार्य लेने के लिए भाग लेने वाले को पूर्ण प्रशिक्षण देने हेतु एक तीन चरणीय प्रशिक्षण योजना तैयार की गई है। इन गणक केन्द्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के प्रति उत्साहवर्धक अनुभव प्राप्त हुआ है। सदस्यों तथा विद्यार्थियों के लिए आयोजित रचनाओं के अलावा ये केन्द्र सरकारी विभागों में अधिकारियों बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों इत्यादि के लिए भी सीमित संख्या में आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वर्ष के दौरान प्रशिक्षित किये गये व्यक्तियों की संख्याओं का विवरण परिशिष्ट 5 में दिया गया है।

3.10 दक्ष सलाहकार समिति

3.10.1 सितम्बर, 1988 में अपनी पिछली रिपोर्ट देने के बाद से समिति ने 53 शंका प्रश्न अपने विचार हेतु प्राप्त किये। समिति के पास 20 शंका प्रश्न पहले से ही विचाराधीन थे। इस रिपोर्ट अवधि के दौरान समिति ने 50 शंका प्रश्नों का समाधान कर दिया है।

3.10.2 "विचारों का संग्रह"—भाग 8, जिसमें कि सितम्बर, 1987 से सितम्बर 1988 तक समिति द्वारा प्रकट राय सम्मिलित है, उसमें विषय के अनुसार वर्ण माला क्रम में इससे पहले के 7 भागों में दी गई समिति की रायों की सूची पत्रीका भी सम्मिलित है, को बिक्री के लिए जारी कर दिया गया है।

3.11 आचार संहिता मानक समिति

3.1.11 संशोधित कोड ऑफ़ कनडक्ट

रिपोर्ट वर्ष के दौरान इंस्टीट्यूट ने सदस्यों एवं विद्यार्थियों के मार्गदर्शन हेतु कोड ऑफ कनडक्ट का (आठवां) संशोधित संस्करण जारी किया। यह कोड मुख्य रूप में चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों तथा उनके ग्राहकों नियोक्ताओं कर्मचारियों, साथी सदस्यों और सामान्य जनता के बीच संबंधों को नियमित करने हेतु आचार संहिता मानक का एक ग्रंथ है। किसी भी एकाउन्टेन्सी निकाय की आचार संहिता का मापदंड ईमानदारी, स्थूलता, स्वायत्तता, विश्वासपात्रता, उच्च तकनीकी स्तर, व्यावसायिक योग्यता और सबसे बढ़कर आचार संहिता संबंधी व्यापार पर आधारित होनी चाहिये। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 और इससे संलग्न अनुसूचियों में व्यवसाय के सदस्यों से अपेक्षित व्यवहारिक सिद्धान्तों को वर्णित किया गया है। इसके बावजूद भी इस अधिनियम को लागू किये जाने के 40 वर्षों में व्यवसाय के सदस्यों द्वारा अपने आप ही अनेक सिद्धान्त और लौकिक रीतियां स्थापित कर ली गई हैं जिन्होंने व्यवसाय द्वारा प्राप्त विश्वास एवं आदर को और भी बढ़ा दिया है। इंस्टीट्यूट की परिषद व्यवसाय के सम्मान को बनाये रखने के लिए इन सिद्धान्तों को शक्ति से लागू कर रही है। संशोधित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम 1988, कोड ऑफ़ कनडक्ट को लागू कराने संबंधी परिषद के नवीन निर्णय, अनेकों कथनों और ऑडिटिंग प्रैक्टिसेज तथा लेखांकन मानकों को इस संशोधित कोड में वर्णित किया गया है।

3.11.2 पिछले वर्षों की भांति आचार संहिता मानक समिति कोड ऑफ़ कन्डक्ट की व्याख्या तथा व्यवसायिक आचार संहिता से संबंधित सदस्यों से प्राप्त अनेकों शंका प्रश्नों पर उचित रूप से सलाह देती रही है। विशेषतया समिति ने निम्नलिखित पहलुओं पर विचार किया तथा अपने विचार प्रकट किये :—

(अ) व्यापारिक बैंकिंग के क्षेत्र में, सेवाओं की रेन्ज जिसमें कि सदस्य अपनी सेवा दे सकते हैं के मामलों पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि सदस्यों को सलाह देने संबंधी सेवाओं को प्रदान करने की अनुमति दी जाय लेकिन वास्तविक बैंकिंग कार्यकलापों की नहीं।

(ब) बीमार उद्योगों से संबंधित राज्य वित्तीय निगमों की योजना पर विचार करते हुए समिति ने निर्णय लिया कि सदस्य, औद्योगिक इकाइयों को फिर से कार्यशील बनाने हेतु निगमों को समस्त सेवाएं दे सकते हैं लेकिन वे बन्द की हुई फैक्टरियों तथा उनकी संपत्ति को खरीदने के लिये निवेशकों तथा बोली लगाने वाले प्रतिभूतकों के प्रवर्तक का कार्य नहीं कर सकते हैं। सदस्य केवल कार्य से कार्य के आधार पर उचित व्याव-सायिक सेवाएं ही प्रदान करेंगे तथा उसके लिये शुल्क प्राप्त करेंगे।

(स) कम्प्यूटर सोफ्टवेयरों की उपयोगिता संबंधी रिपोर्ट का मूल्यांकन करने की अनुमति देते समय समिति ने निर्णय लिया कि कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की बिक्री को बढ़ावा देने के लिये सदस्यों को रिपोर्ट बनाना तथा उन्हें प्रकाशित करने का कार्य नहीं करना चाहिये।

3.12 विश्वविद्यालय सम्पर्क समिति

3.12.1 विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त गोष्ठियां

देश में अनेक विश्वविद्यालयों तथा इंस्टीट्यूट के बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ बनाने के अपने प्रयत्नों में, वर्ष के दौरान इंस्टीटयूट ने निम्नलिखित विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त रूप से गोष्ठियों का आयोजन किया :—

(1) मंगलौर विश्वविद्यालय—वित्तीय लेखांकन एवं नियन्त्रण पर—27 से 29 मार्च, 1989 तक

(2) गोहाटी विश्वविद्यालय—समाज के बदलते पहलुओं में लेखांकन मानकों एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों का महत्व पर—8 अप्रैल 1989 को

(3) सौराष्ट्र विश्वविद्यालय—वाणिज्य शिक्षा और लेखांकन व्यवसाय पर—1 अगस्त, 1989 को।

(4) कानपुर विश्वविद्यालय—कराधान नीति एवं व्यवसायियों तथा विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर—12 अगस्त, 1989 को।

3.12.2 धन—समर्पण (इण्डोमैंट्स)

बी. कास. परीक्षाओं में एकाउन्टैन्सी पेपर में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक पुरस्कार देने के लिये, इंस्टीट्यूट ने 26 विश्वविद्यालयों को धन-समर्पण (इन्डोमैंटस) किया है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान, मराठवाड़ा, कुरुक्षेत्र तथा जोधपुर विश्वविद्यालयों में इन्डो-मैंट्स स्थापित किये गये।

3.12.3 सी.ए. कोर्स को मान्यता

विश्वविद्यालय में पी.एच.डी. कार्यक्रमों के लिये चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी कोर्स को मान्यता देने के लिये इंस्टीट्यूट ने अनेक विश्वविद्यालयों से अपना सम्पर्क बनाये रखा। वर्ष के दौरान छः विश्वविद्यालयों, जिनके नाम है, जियाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, नोर्थ बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग; देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर; काश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर; पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी और गांधी जी विश्वविद्यालय, कोट्टायाम, ने पी.एच.डी. कार्यक्रम के लिये सी.ए. कोर्स को मान्यता देने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या 37 तक पहुंच चुकी है। इस उद्देश्य के लिये सी.ए. कोर्स को अब तक मान्यता देने वाले विश्वविद्यालयों की सूची परिशिष्ट 6 में दी गई है।

3.12.4 सी.ए. पाठ्यक्रम का प्रसिद्धिकरण

विद्यार्थियों में सी.ए. पाठ्यक्रम को और अधिक प्रसिद्धिकरण के लिये समिति "बी केयर फ़ोर यू, इफ यू आर कैरियर कनसीयस" नामक प्रकाशन का प्रयोग करती रही।

4 अन्य मामले

4.1 इंस्टीट्यूट की वार्षिक बैठक

इंस्टीट्यूट की 39वीं वार्षिक बैठक, 15 सितम्बर, 1988 को तत्कालीन अध्यक्ष श्री एस. के. दासगुप्ता की अध्यक्षता में अशोक होटल कन्वेंशन हाल में हुई थी। इस समारोह में सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश एस. रंगानाथन मुख्य अतिथि थे। मुख्य अतिथि ने कम्पनियों तथा वित्तीय संस्थाओं को, जिन्होंने की सर्वोत्तम ढंग से प्रस्तुत लेखा का पुरस्कार जीता था, शील्ड एवं प्रशस्ति पट्टिकाएं प्रदान की। मुख्य अतिथि ने इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित परीक्षाओं में योग्यता प्राप्त विद्यार्थियों को पदक एवं पुरस्कार भी बांटे।

4.2 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम और विनियम

1 जून, 1988 से चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स विनियम, 1964 को चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स विनियम, 1988 से बदल दिया गया है। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स विनियम, 1988 में आज तक के समस्त संशोधनों को सम्मिलित करते हुए दुबारा छपाया जा चुका है।

4.3 नये परीक्षा विनियम

शिक्षा एवं प्रशिक्षण पुनरावलोकन समिति की रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप, स्नातकों के लिये प्रवेश परीक्षा के स्थान पर, इंस्टीट्यूट ने 10+2 की परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिये स्थापना परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय लिया। इस परीक्षा के लिये विषय सूची का भी निर्धारण कर लिया गया है।

इण्टरमीडिएट एवं अंतिम परीक्षा की विषय सूची (पाठ्यक्रम) को भी संशोधित किया गया है। इंस्टीट्यूट ने संशोधित पद्धति एवं पाठ्यक्रमों में परीक्षाएं आयोजित करने के उद्देश्य के लिये विनियमों का मसविदा तैयार कर लिया है। इन विनियमों को 1989 के वर्ष में ही लागू किये जाने की आशा है।

4.4 नोएडा में नया भवन

इंस्टीट्यूट बड़े लम्बे समय से ही जगह की कमी की परेशानी महसूस कर रहा था। वर्ष के दौरान नोएडा में एक नये भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया। 65 लाख रुपये की अनुमानित लागत की इस भवन का निर्माण कार्य दिसम्बर, 1989 तक तैयार हो जाने की आशा है।

4.5 आन्तरिक कम्प्यूटर

इंस्टीट्यूट के काम को कम्प्यूटराइज्ड करने के उद्देश्य हेतु इस प्रणाली पर एक विस्तृत अध्ययन किया गया। इसी अध्ययन के आधार पर इंस्टीट्यूट के प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के काम को कम्प्यूटराइज करने पर इंस्टीट्यूट विचार कर रहा है। इस प्रणाली से सदस्यों तथा विद्यार्थी को दी जाने वाली सेवाओं के स्तर में सुधार तथा गति में तीव्रता आने की आशा है।

वर्ष के दौरान इंस्टीटयूट का लेखा तथा वेतन स्लिपों को कम्प्यूटराइज करने हेतु कम्प्यूटरों की स्थापना की जा चुकी है। इंस्टीट्यूट ने एक लेजर-प्रिन्टर के साथ-साथ डैस्ट टोप पब्लिशिंग प्रणाली की स्थापना कर दी है। डैस्ट टोप पब्लिशिंग प्रणाली ने इंस्टीट्यूट के प्रकाशनों को जल्दी से जल्दी छपने की प्रक्रिया में काफी मदद की है। इस प्रणाली से प्रकाशित सामग्री के स्तर में भी काफी सुधार हुआ है। वर्ष के दौरान डी.टी.पी. विभाग ने सफलतापूर्वक छः स्टडीज तथा 3 प्रकाशन तैयार किये है।

4.6 पुस्तकालय

केन्द्रीय परिषद् की पुस्तकालय की सुविधा सदस्यों एवं विद्यार्थियों को वर्ष के दौरान भी जारी रही। वर्ष के दौरान नई दिल्ली स्थित पुस्तकालय में 473 और नई पुस्तकें जोड़ी गई, जिनको मिलाकर साल के अंत में कुल पुस्तकों की संख्या [illegible]823 तक पहुंच गई।

4.7 जरनल

4.7.1 जरनल को शैक्षणिक विश्व तथा सदस्यों के बीच कार्यशील सन्देश का माध्यम बनाने के अपने लगातार किये जा रहे प्रयत्नों के परिणामस्वरूप कुल मिलाकर सभी तरफ से जिसमें सामान्य स्वरूप तथा लेखों की सामग्री भी सम्मिलित है, आशातीत सुधार हुआ है। कारपोरेट निकायों में जरनल के सब्सक्रिप्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय समाचार पत्रों में एक विज्ञापन भी छापा गया।

4.7.2 सम्पादकीय मण्डल ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के अंक 37 (जुलाई 1988 से जून, 1989 तक) में प्रकाशित सर्वोत्तम लेखों को निम्नलिखित पुरस्कार देने का निर्णय लिया :—

मुख्य भाग

प्रथम पुरस्कार (1500 रुपये)	श्री एन. श्यामासुन्दरन, बंगलौर को उनके लेख "एडमाइजेबिलिटी आफ डिजाइन सर्विसेज एण्ड इंस्टालेशन चार्जेज" (मई, 1989 अंक में प्रकाशित) के लिये।
द्वितीय पुरस्कार (1000 रुपये)	श्री पी.एन. शाह, बम्बई को—उनके लेख "डायरेक्ट टैक्स लॉज—नीड फॉर फरदर एमैन्डमैंट्स" (अक्तूबर 1988 अंक में प्रकाशित) के लिये।
तृतीय पुरस्कार (500 रुपये)	श्री जोन्सन माइकल, त्रिचूर को उनके लेख "चिट फण्ड्स—एकाउंटिंग एवं आडिटिंग" (मार्च 1989 अंक मे प्रकाशित) के लिये।

विद्यार्थी भाग

प्रथम पुरस्कार (750 रुपये)	श्री के के. ठकराल, अम्बाला कैन्ट को उनके लेख "कन्ट्राक्यूटी" (अप्रैल 1989 अंक में प्रकाशित) के लिये।
द्वितीय पुरस्कार (500 रुपये)	श्री मधुसूदन अग्रवाल, दिल्ली को—उनके लेख "मर्जर एण्ड मीजर—सम इम्पोरटेंट प्रोविजन" (जुलाई 1988 अंक में प्रकाशित) के लिये।

4.7.3 व्यवसाय के विकास को बढ़ावा देने के अपने प्रयत्नों को एक भाग के रूप में, चार्टर्ड एकाउन्टैन्टों से उपलब्ध सेवाओं के बारे में, आम जनता को शिक्षित करने हेतु, उन्नतिकारी विज्ञापनों की एक श्रंखला की योजना बनाई गई है इस श्रंखला में दो विज्ञापन इन्स्टीट्यूट के जनरल में प्रकाशित किये जा चुके हैं

4.8 जन-सम्पर्क

4.8.1 अध्यक्ष महोदय ने वर्ष के दौरान अनेक नीति निर्धायक मामलों पर इन्स्टीट्यूट के विचारों को व्यक्त करने तथा परिषद् द्वारा की गई अनेक गतिविधियों पर प्रकाश डालने हेतु बम्बई, मद्रास, अहमदाबाद, कलकत्ता, नई दिल्ली, बंगलौर, कानपुर, जयपुर और दुबई (यू.ए.ई.) में पत्रकार सम्मेलनों को संबोधित किया। इन सम्मेलनों में प्रस्तुत इन्स्टीट्यूट के विचारों को अनेक प्रसिद्धि प्राप्त समाचार पत्रों ने अपने अपने पत्रों में प्रकाशित किया व्यवसाय से संबंधित अनेक मामलों पर इन्स्टीट्यूट की टिप्पणियों समय-समय पर प्रैस नोट के माध्यम से प्रस्तुत की गई

4.8.2 व्यवसायिक उत्तरदायित्वता से संबंधित अनेक मामलों पर अहमदाबाद तथा तिरुवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्रों ने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का साक्षात्कार किया। दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र द्वारा प्रसारित एक साक्षात्कार में अध्यक्ष ने, चार्टर्ड एकाउन्टैन्सी पाठ्यक्रम की शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित शर्तों पर बात की

4.9 बाहरी निकायों में प्रतिनिधित्व

इन्स्टीट्यूट अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय निकायों में प्रतिनिधित्व करता रहा है। इस प्रकार से प्रतिनिधित्व का विवरण इस रिपोर्ट की परिशिष्ट 7 में दिया गया है

4.10 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ बैठकें :—

वर्ष के दौरान अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अनेक महाविभूतियों से जिनमें कि केन्द्रीय मंत्री, सरकारी विभागों के अधिकारी और राज्यों के मुख्य-मंत्री शामिल हैं, से मिले अध्यक्ष ने गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के राज्यपालों और आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों से, इन राज्यों की अपनी यात्रा के दौरान मुलाकात की और उनके साथ अनेक राज्य सरकारों के प्रतिष्ठानों के लेखाओं को बनाने में चार्टर्ड एकाउन्टैन्टों की भूमिका पर विचार-विमर्श किया। अध्यक्ष, भारत के सुरक्षा एवं विनिमय नियंत्रण बोर्ड बम्बई के अध्यक्ष से भी मिले और उनके साथ इन्स्टीट्यूट द्वारा जारी लेखांकन मानकों को लागू करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। क्षेत्रीय केन्द्रों और शाखाओं की अपनी यात्रा के दौरान अध्यक्ष ने अवसर का लाभ उठाते हुए राज्यों के महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ व्यावसायिक महत्व के विषयों पर विचार विमर्श किया।

4.11 चार्टर्ड एकाउन्टैन्टों का 12वां राष्ट्रीय सम्मेलन :

अपने अविछिन्न शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत परिषद् देश के विभिन्न भागों में 3 साल के अन्तराल में चार्टर्ड एकाउन्टैन्टों का राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करती है। परिषद् ने 28, 29 और 30 दिसम्बर 1989 को अगली (12वीं चार्टर्ड एकाउन्टैन्टों का राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया है। इस सम्मेलन का विषय है "व्यवसाय के लिए उभरते हुए क्षेत्र' श्री के.जी. सोमानी की अध्यक्षता में सम्मेलन आयोजित करने हेतु एक सम्मेलन समिति को नियुक्त किया है।

4.12 चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स परोपकारी कोष

दिसम्बर 1962 में अपनी स्थापना से चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स परोपकारी कोष जरूरतमंद व्यक्तियों को, जो इन्स्टीट्यूट के सदस्य थे और उनके आश्रितों के रख रखाव उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं और बिमारी के खर्चों की पूर्ति के लिए दी जाती है। इस कोष की आजीवन सदस्य संख्या 1-9-1988 में 4174 थी, जो कि बढ़कर 1-9-1989 को 4901 हो गयी है। वर्ष के दौरान जरूरतमंद व्यक्तियों के बीच 2,12,100 रुपया बांटा गया। 31-3-89 को इस कोष की बकाया राशि 30,57,458 थी जो कि इसकी तुलना में 31-3-88 को 26,87,280 थी।

4.13 एस. वैद्यनाथ अय्यर यादगार कोष

वर्ष 1988-89 के दौरान चार्टर्ड एकाउन्टैन्सी का कोर्स कर रहे विद्यार्थियों को 100 रु. प्रति महीने मूल्य की 60 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। 31-3-1989 को इस कोष की सदस्य संख्या 183 थी। कोष के खाते में 31-3-1989 को बकाया राशि 1,06,818 थी जो कि इसके विपरीत 31-3-1988 को 97,957 रुपये थी।

5. सदस्य

5.1 सदस्यता

वर्ष के दौरान इन्स्टीट्यूट ने 4083 नये सदस्यों को पंजीकृत किया जिससे कि 31-3-1989 को कुल सदस्य संख्या 53,134 हो गयी है। वर्ष के दौरान 2192 एसोसिएट्स सदस्यों को फैलों सदस्यों के रूप में पंजीकृत किया। पिछले वर्ष की तुलना में यह संख्या 1500 थी। सदस्यता का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

1-4-1989 को सदस्यों की संख्या

सदस्यों की श्रेणी	फैलो	एसोसिएट्स	कालम 2 और 3 का योग
1	2	3	4
पूर्णकालिक प्रक्टिस में	14,585	16,304	30,889
अंशकालिक प्रैक्टिस में	1,867	6,246	8,113
जो प्रैक्टिस में नहीं हैं	1,490	12,642	14,132
कुल योग	17,942	35,192	53,134

क्षेत्रों के अनुसार सदस्यों का विवरण परिशिष्ट 8 में दिया गया है।

5.2 मरे हुए सदस्य

परिषद् अपने एक सहयोगी सदस्य श्री एम.एल., मिधी, वर्तमान परिषद् के सदस्य जिनका निधन 17 अगस्त, 1989 को हुआ था गहरा दुःख व्यक्त करती है। परिषद् अपने दो भूतपूर्व केन्द्रीय परिषदों के सदस्यों, श्री पी.टी. सम्पथ कुमारन और श्री ए.सी. बासु जिनका निधन क्रमशः 25 दिसम्बर 1988 और 27 अप्रैल 1989 को हुआ था, पर गहरा दुःख व्यक्त करती है।

अहमदाबाद के जनदो 19 अक्तूबर, 1988 को बम्बई से अहमदाबाद जाने वाले विमान दुर्घटना में हुई इन्स्टीट्यूट के 8 सदस्यों के दुःखद निधन पर परिषद् शोक व्यक्त करती है। यह वर्ष के दौरान हुई अनेकों सदस्यों की मृत्यु पर भी गहरा दुःख व्यक्त करती है। मरे हुए सदस्यों के नामों की सूची परिशिष्ट 9 में दी गई है।

5.3 अनुशासनात्मक समिति

प्राप्त "शिकायतों" और "सूचनाओं" को जांच कर परिषद् को उसकी राय के लिए भेजा जाता है। यदि परिषद् पहली दृष्टि में सदस्य को दुराचार का दोषी पाती है तो मामले को अनुशासनात्मक समिति को जांच करने और रिपोर्ट के लिए अग्रसारित किया जाता है। जब अनुशासनात्मक समिति अपनी रिपोर्ट दे देती है तो उसके बाद अनुशासनात्मक

समिति की रिपोर्ट पर वादी और प्रतिवादी दोनों को अपना प्रतिवेदन भेजने का अवसर देने के बाद परिषद् इस पर विचार करती है। इसके बाद प्रतिवादी को दंड देने से पहले एक और अवसर दिया जाता है। जहां कहीं आवश्यक हो, परिषद् आगे की कार्यवाही के लिए मामलों को उच्च न्यायालयों को अग्रसारित करती है। वर्ष के दौरान परिषद् और अनुशासनात्मक समिति के आगे रखे गये मामलों का विवरण निम्न प्रकार से है

1. पहली दृष्टि की राय के लिये परिषद् के समक्ष रखे गये मामलों की संख्या	32
2. अनुशासनात्मक समिति की जांच के लिये अग्रसारित किये गये मामलों की संख्या . . .	17
3. अनुशासनात्मक समिति द्वारा विचार किये गये मामलों की संख्या	[illegible]
4. अनुशासनात्मक समिति द्वारा सुने गये मामलों की संख्या	20
5 परिषद द्वारा विचार किये गये अनुशासनात्मक समिति की रिपोर्ट की संख्या	26
6. ऐसे मामलों की संख्या जिनमें प्रतिवादियों को दोषी नहीं पाया गया	16
7. ऐसे मामलों की संख्या जिनमें प्रतिवादियों को दोषी पाया गया और उच्च न्यायालयों को अग्रसारित किया गया	4
8. ऐसे मामलों की संख्या जिनमें प्रतिवादियों को परिषद द्वारा दोषी पाया गया तथा दण्डित किया गया .	5
9. ऐसे मामलों की संख्या जिनमें अनुशासनात्मक समिति को पुनः रिपोर्ट देने के लिए अग्रसारित किया गया .	1

6. आर्टिकल्ड एवं आडिट क्लर्क

6.1 अध्ययन मण्डल

6.1.1 वर्ष के दौरान पंजीकृत किये गये विद्यार्थी की संख्या ने पिछले वर्ष की संख्या की तुलना में काफी वृद्धि की है जो कि निम्न तालिका से स्पष्ट है :

पाठ्यक्रम	1988-89	1987-88
इन्टरमीडिएट . .	13,990	12,753
फाइनल . . .	3,694	4,952

31 मार्च, 1989 को इंस्टीट्यूट के साथ पंजीकृत कुल विद्यार्थियों की संख्या 58,218 थी जो कि 31 मार्च, 1988 की संख्या की तुलना में 48,660 थी।

6.1.2 इंस्टीट्यूट अंतिम तथा इन्टरमीडिएट पाठ्यक्रम की परीक्षाओं हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखाओं में अधिक गहरी संशोधन संवर्धी कक्षाओं का आयोजन करता रहा है।

6.1.3 वर्ष के दौरान इंस्टीट्यूट ने योग्य विद्यार्थियों को बड़ी संख्या में छात्रवृत्तियां प्रदान कीं। सी.ए. का कोर्स कर रहे जरूरतमंद तथा योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने हेतु अनेक सदस्यों तथा संस्थाओं ने इंस्टीट्यूट को भिन्न-भिन्न राशियां दान में दी हैं।

प्रदान की गई छात्रवृत्तियां तथा इस छात्रवृत्ति कोष के लिये दिये गये धन के दानदाताओं के नामों का विवरण परिशिष्ट 10 में दिया गया है।

6.1.4 विद्यार्थियों को समय-समय पर मास्टर्स आन्सर्स उपलब्ध कराने हेतु बोर्ड ने पहली बार देश के 40 चुने हुए केन्द्रों में इनकी बिक्री का कार्य आरम्भ किया। बोर्ड ने परीक्षाओं को शुरू होने से काफी समय के पूर्व से ही रिवीजनल टैस्ट पेपर की बिक्री का कार्य प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्रों पर शुरू कर दिया। चूंकि इंस्टीट्यूट की प्रवेश परीक्षाओं के लिये किसी प्रकार का पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था नहीं है फिर भी बोर्ड प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले प्रत्याशियों को अध्ययन सामग्री तथा अन्य सहायता देता रहा है।

6.1.5 बोर्ड ने विद्यार्थियों के लिये एक "ओडियो शिक्षा" शुरू की है। इसके अन्तर्गत बोर्ड के फैकल्टी के सदस्यों, इंस्टीट्यूट के प्रमुख सदस्यों तथा विद्वानों द्वारा चुने गए विषयों पर वार्ता तथा लैक्चर्स ओडियो कैसेट में रिकार्ड किये जाते हैं। वर्ष के दौरान इस तरह के 14 कैसेट तैयार किये गये। इस योजना के प्रति छात्र का रवैया उत्साहवर्धक रहा है।

6.1.6 अध्ययन सामग्री का हिन्दी में अनुवाद

इंस्टीट्यूट ने एन्ट्रेंस इण्टरमीडिएट एवं फाइनल परीक्षा से संबंधित कुछ अध्ययन सामग्री, निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी अनुवाद ब्यूरो गृह मंत्रालय भारत सरकार को इस बात का पता लगाने के लिये भेजा है कि क्या वे इस सामग्री का हिन्दी में अनुवाद कर पायेंगे। निदेशक ने इस सामग्री का अनुवाद कर पाने में अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए अध्ययन सामग्री को वापस कर दिया है। इंस्टीट्यूट अब दो निजि क्षेत्र के प्रकाशकों से अध्ययन सामग्री का हिन्दी में अनुवाद करने उसकी छपाई एवं प्रकाशन हेतु वार्तालाप कर रहा है।

6.2 रोजगार सहायता

इंस्टीट्यूट ने उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने अपनी आर्टिकल्स का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा पास कर ली है, रोजगार संबंधी सहायता देने हेतु अपने प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, कानपुर और नई दिल्ली में रोजगार रजिस्टरों को वर्ष के दौरान भी बनाए रखा। वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इस सुविधा से लाभ उठाया। इस सुविधा से अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें, इस योजना को उचित रूप से विज्ञापित किया जाता रहा है।

6.3 चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विद्यार्थियों का राष्ट्रीय सम्मेलन

26 और 27 अगस्त, 1988 को चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विद्यार्थियों का 7वां राष्ट्रीय सम्मेलन, हैदराबाद में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन न्यायमूर्ति वाई.वी. अनजनेयुलर, सदस्य भारतीय कानून आयोग ने किया था। सम्मेलन में 500 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री पी. शिव शंकर ने स्वस्तिवाचनिक सम्बोधन दिया।

7. परीक्षाएं

7.1 देश के लगभग 44 केन्द्रों में चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स प्रवेश इण्टरमीडिएट एवं फाइनल परीक्षाओं का आयोजन मई 1988 तथा नवम्बर 1988 में किया गया। इन परीक्षाओं के परिणाम का सारांश जो कि इनमें बैठे हुए कुल उम्मीदवारों की संख्या इन परीक्षाओं में सफल घोषित किये गये प्रत्याशियों की संख्या प्रदर्शित करती है निम्न तालिका में दिया गया है।

प्रवेश परीक्षा

महीना एवं परीक्षा वर्ष	बैठे हुए कुल उम्मीदवारों की संख्या	सफल उम्मीदवारों की कुल संख्या	सफलता का प्रतिशत
मई 1988	1935	232	11.99
नवम्बर 1988	5175	830	16. 4

इन्टरमीडिएट एवं फाइनल परीक्षाएं, 1988

	इन्टरमीडिएट		फाइनल	
	मई	नवम्बर	मई	नवम्बर
समूह 1 :				
—बैठे हुए कुल उम्मीदवारों की संख्या	11,373	17,136	8,538	7,275
—उत्तीर्ण घोषित किये गये उम्मीदवारों की संख्या	1,952	4,719	2,186	2,608
—सफलता का प्रतिशत	13.58	27.54	25.60	35.86
समूह 2				
—कुल उम्मीदवारों की संख्या	12,641	14,475	8,008	7,369
उत्तीर्ण घोषित किये गये उम्मीदवारों की संख्या	1,670	2,104	1,856	2,073
—सफलता का प्रतिशत	13.21	14.54	23.18	28.13
दोनों समूह :				
—कुल उम्मीदवारों की संख्या	5,215	6,263	4,156	3,524
—उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल सं.	266	619	438	489
—सफलता का प्रतिशत	5.10	10.36	10.54	13.88

7.2 सन 1987 में काठमाण्डू, जम्मू एवं अम्बाला में प्रयोग के तौर पर खोले गये परीक्षा केन्द्र वर्ष के दौरान भी जारी रहे। इनके अतिरिक्त प्रयोग के तौर पर एक नया परीक्षा केन्द्र यमुनानगर में तथा दूसरा हैदराबाद में खोला गया। परीक्षा केन्द्रों की पूरी सूची परिशिष्ट 11 में दिया गया है।

7.3 इन परीक्षाओं में जिन उम्मीदवारों को पुरस्कार एवं योग्यता प्रमाणपत्र पुरस्कृत किये गये, के नाम परिशिष्ट 12 में दिये गये हैं।

8. क्षेत्रीय परिषदें तथा क्षेत्रीय परिषदों की शाखाएं

8.1 नई शाखाएं/चेप्टर

वर्ष के दौरान (अप्रैल, 1988 से सितम्बर, 1989 तक) परिषद ने निम्नलिखित नई शाखाओं को स्थापना की अपनी सहमति दे दी है:

तिरुपुर, अलवर और वाराणसी

इन शाखाओं की स्थापना से देश भर में क्षेत्रीय परिषदों की कुल शाखाओं की संख्या 74 तक पहुंच गई है। ।.

8.2 भवन

परिषद द्वारा क्षेत्रीय परिषदों की शाखाओं को भवन निर्माण हेतु दी जाने वाली अनुदान राशि में लचीलापन किये जाने से बड़ी संख्या में शाखाओं ने अपने लिये भवन निर्माण हेतु जमीन खरीदी है तथा कहीं बने बनाए भवन खरीदे हैं। अब तक निम्नलिखित शाखाओं ने अपने लिये भवनों का निर्माण कर लिया है:

आगरा, अहमदाबाद, अलेप्पी, बड़ौदा, कोयम्बटूर, कालीकट, इरनाकुलम, कोट्टायाम, पूना, सूरत और त्रिचूर।

निम्नलिखित शाखाओं ने शाखाओं हेतु भवन निर्माण हेतु जमीन खरीद ली है और निर्माण कार्य की तैयारी में है:

हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, मदुराई, पालघाट और त्रिवेन्द्रम।

8.3 सर्वोत्तम क्षेत्रीय परिषद के लिए चलायमान शील्ड

सन 1986-87 से इंस्टीट्यूट सर्वोत्तम क्षेत्रीय परिषद को एक चलायमान शील्ड से पुरस्कृत किया जाता है। यह पुरस्कार क्षेत्रीय परिषद की समस्त कार्यकलापों के आधार पर दिया जाता है। वर्ष 1987-88 के लिए यह पुरस्कार दक्षिण भारत क्षेत्रीय परिषद ने जीता था। वर्ष 1988-89 के लिये यह शील्ड पश्चिम भारत क्षेत्रीय परिषद को दी जा रही है।

क्षेत्रीय परिषद की शाखाओं को अधिक कार्यशील होने तथा सदस्यों को और अच्छी सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्साहित करने हेतु इंस्टीट्यूट प्रत्येक वर्ष सर्वोत्तम शाखा को चलायमान शील्ड से पुरस्कृत करती है। शाखाओं के कार्यकलापों के मूल्यांकन हेतु इंस्टीट्यूट ने न्यूनतम कार्य प्रदर्शन के कुछ सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं शाखाओं के कार्यकलापों को इन न्यूनतम कार्य सिद्धान्तों के आधार पर आंका जाता है और शील्ड पुरस्कृत की जाती है। वर्ष 1987-88 में मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद की शाखा जयपुर ने यह शील्ड प्राप्त की थी। यह शील्ड शाखा के अध्यक्ष (सभापति) को 15 सितम्बर, 1988 को इंस्टीट्यूट के वार्षिक समारोह में प्रदान की गई। वर्ष 1988-89 के लिये यह शील्ड दक्षिण भारत क्षेत्रीय परिषद की शाखा हैदराबाद को दी जा रही है।

9. वित्त एवं लेखा

31 मार्च, 1989 के लिये तुलनपत्र तथा इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिये आय और व्यय के लेखे को परिषद ने अपनी स्वीकृति दे दी। आय और व्यय का लेखा 33.24 लाख रुपये का शेष (बचत) प्रदर्शित करता है जो कि इससे पिछले वर्ष के लिये 64.31 लाख रुपये था।

10. प्रशंसा

परिषद इंस्टीट्यूट के उन समस्त सदस्यों का आभार प्रकट करती है, जिन्होंने इंस्टीट्यूट की अनेक समितियों में मनोनीत सदस्यों के रूप में काम किया और उन समस्त गैर-सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करती है जिन्होंने परिषद को उसके शैक्षणिक, तकनीकी, दूसरी अन्य गतिविधियों तथा परीक्षाओं के आयोजन में सहायता की है।

परिषद सरकार तथा परिषद में सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों का पूरे वर्ष के दौरान परिषद को प्राप्त समर्थन एवं सहायता की भूरि-भूरि प्रशंसा करती है तथा इनके प्रति अपना आभार व्यक्त करती है।

परिषद इंस्टीट्यूट के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के द्वारा वर्ष भर बड़ी तत्परता, कुशलता एवं ईमानदारी से किये गये कार्य को स्वीकार करती है तथा इसकी काफी प्रशंसा करती है।

के. जी. सोमानी, अध्यक्ष
एस पी. नरसिम्हन, सचिव

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1989

परिशिष्ट 11

(सन्दर्भ रिपोर्ट का पैरा 1.1)

13 वीं परिषद के सदस्य

श्री अग्रवाल, के. एम.	(नई दिल्ली)
श्री बालाकृष्णन, आर.	(मद्रास)
श्री बनर्जी, भास्कर	(कलकत्ता)
* श्री बन्सल, आर. एन.	(नई दिल्ली)
श्री भण्डारी, एम. एम.	(जयपुर)
श्री चक्रवर्ती, ए. के.	(कलकत्ता)
श्री छाजेड़, एम. पी.	(बम्बई)
श्री चितले, एम. एम.	(बम्बई)
श्री दलाल, ए. एच.	(बम्बई)
श्री दासगुप्ता, एस. के.	(कलकत्ता)

*श्री घोष, ए.	(बम्बई)
श्री जैन, आई.सी.	(बम्बई)
श्री काले, वाई एम.	(बम्बई)
*श्री मेहता, कान्ती	(जमशेदपुर)
श्री मित्तल, सी पी.	(नई दिल्ली)
श्री नायर, पी.ए.	(बम्बई)
श्री नन्दगोपाल, एम.	(मद्रास)
श्री नारायनस्वामी, जी	(मद्रास)
श्री पटेल, मनुभाई जी.	(अहमदाबाद)
श्री पोडार, एन. के.	(हैदराबाद)
*श्री रमन, बी एन.	(हैदराबाद)
श्री राठी, आनन्द	(बम्बई)
श्री राव, बी.पी.	(बंगलोर)
श्री शर्मा लक्ष्मीनिवास	(हैदराबाद)
श्री सोमानी, के. जी.	(नई दिल्ली)
श्री सुन्दरराजन, एम. सी.	(मद्रास)
*श्री तिवारी, सी. के.	(नई दिल्ली)
डा. वैश्य, आर. सी.	(कानपुर)
श्री वासुदेवा, एम सी.	(नई दिल्ली)
श्री विश्वनाथ, टी.एस.	(नई दिल्ली)

* केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत

परिशिष्ट 2

(सन्दर्भ रिपोर्ट का पैरा 1.1)

चौदहवीं परिषद के सदस्य

श्री अग्रवाल, के. एम.	(नई दिल्ली)
श्री बनर्जी, भास्कर	(कलकत्ता)
* श्री बन्सल, आर. एन	(नई दिल्ली)
श्री भण्डारी, एस. एस.	(जयपुर)
श्री चक्रवर्ती, ए.के.	(कलकत्ता)
श्री छाजेड़, एस.पी.	(बम्बई)
श्री चितले, एम एम	(बम्बई)
श्री दलाल, ए. एच.	(बम्बई)
* श्री गुप्ता, जी.एन.	(नई दिल्ली)
श्री गुप्ता, एन. डी.	(नई दिल्ली)
श्री गुप्ता, एन. के.	(कानपुर)
श्री जैन, आई. सी.	(बम्बई)
श्री जोस पोट्टोकरन	(त्रिचूर)
श्री काले, वाई.एम	(बम्बई)
* श्री खन्ना, के. एम.	(नई दिल्ली)
* श्री कुमार, एस	(नई दिल्ली)
श्री नन्दगोपाल, एस.	(नई दिल्ली)
श्री पटेल, आर. एस.	(अहमदाबाद)
श्री पोडार, एन. के.	(कलकत्ता)
श्री राठी, आनन्द	(बम्बई)
श्री राव, बी. पी.	(बंगलौर)
श्री शारदा, एन. पी.	(बम्बई)
श्री शर्मा, लक्ष्मीनिवास	(हैदराबाद)
*श्री सिंघी, एम. एल.	(कलकत्ता)
श्री सोमानी, के.जी.	(नई दिल्ली)
श्री सुन्दरराजन, एन. सी.	(मद्रास)
*श्री तयाल, अमिताभ	(लखनऊ)
श्री त्यागराजन, के.	(नई दिल्ली)
श्री उपाध्याय, पी. पी., गुरुराज	(मद्रास)
श्री वासुदेवा, एम. सी.	(नई दिल्ली)

* केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत

** 17वीं अगस्त, 1989 को स्वर्गवास

परिशिष्ट 3

(सन्दर्भ रिपोर्ट का पैरा 1.4)

वर्ष 1988-89 के लिए समितियों की सूचियां और उनका समन्वय

स्थायी समितियां

कार्यकारी समिति

श्री के. जी. सोमानी, अध्यक्ष	(नई दिल्ली)
श्री ए. एच. दलाल, उपाध्यक्ष	(बम्बई)
श्री एस. एस. भंडारी	(जयपुर)
श्री जोस पोट्टोकरन	(त्रिचूर)

परीक्षा समिति

श्री के. जी. सोमानी, अध्यक्ष	(नई दिल्ली)
श्री ए. एच. दलाल, उपाध्यक्ष	(बम्बई)
श्री एन. के. गुप्ता	(कानपुर)
श्री आर. एस. पटेल	(अहमदाबाद)
श्री एम. एल. सिंघी	(कलकत्ता)

अनुशासनात्मक समिति

श्री के.जी. सोमानी, अध्यक्ष	(नई दिल्ली)
श्री ए. एच. दलाल, उपाध्यक्ष	(बम्बई)
श्री एस. पी. छाजेड़	(बम्बई)
श्री एस. कुमार	(नई दिल्ली)
श्री एम. नन्दगोपाल	(मद्रास)

अनुसंधान समिति

श्री एन. पी. शारदा, सभापति	(बम्बई)
श्री एम. एल. सिंघी, उप-सभापति	(कलकत्ता)
श्री के. जी. सोमानी, अध्यक्ष (एक्स ओफिसियो)	(नई दिल्ली)
श्री एम. एम. चितले	(बम्बई)
श्री वाई. एम. काले	(बम्बई)
श्री एम. नन्दगोपाल	(मद्रास)
श्री काकी मनचेरसा इलाचिया (मनोनीत)	(बम्बई)
श्री पी. आर. खन्ना	(नई दिल्ली)
श्री महिन्द्रा ए. पारिख (मनोनीत)	(बम्बई)
श्री मनुभाई जी. पटेल	(अहमदाबाद)

आडिटिंग प्रैक्टिस समिति

श्री एस. सी. वासुदेवा, सभापति	(नई दिल्ली)
श्री वाई. एम. काले, उप सभापति	(बम्बई)
श्री के. जी. सोमानी, अध्यक्ष (एक्स ओफिसियो)	(नई दिल्ली)
श्री ए. एच. दलाल, उपाध्यक्ष	(बम्बई)
श्री भास्कर बनर्जी	(कलकत्ता)
श्री के. एन. खन्ना	(नई दिल्ली)
श्री के. त्यागराजन	(नई दिल्ली)
श्री के. बी. कपूर (मनोनीत)	(नई दिल्ली)
श्री समित कुमार मजुमदार	(फरीदाबाद)
श्री वाई एच. मालेगम (मनोनीत)	(बम्बई)
श्री बी सी हैरिक	(बम्बई)

सतत व्यावसायिक शिक्षा समिति

श्री आई. सी. जैन, सभापति (बम्बई)
श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा, उप सभापति (हैदराबाद)
श्री ए. एच. दलाल, उपाध्यक्ष-एक्स ओफिसियो (बम्बई)
श्री एन. डी. गुप्ता (नई दिल्ली)
श्री आनन्द राठी (बम्बई)
श्री पी. पी. गुरुराजा उपाध्याय (मद्रास)
श्री सुरेन्द्र कुमार जैन (बम्बई)
श्री होमी दमानिया (बम्बई)
श्री के. पी. खण्डेलवाल (कलकत्ता)
} मनोनीत

लेखांकन मानक परिषद

श्री भास्कर बनर्जी, सभापति (कलकत्ता)
श्री एस. एम. चितले, उप सभापति (बम्बई)
श्री के. जी. सोमानी, अध्यक्ष (एक्स ओफिसियो) (नई दिल्ली)
श्री ए. के. चक्रवर्ती (कलकत्ता)
श्री जी. एन. गुप्ता (नई दिल्ली)
श्री एस. कुमार (नई दिल्ली)
श्री एन. सी. सुन्दरराजन (मद्रास)
श्री के. त्यागराजन (नई दिल्ली)
श्री एस. सी. वासुदेवा (नई दिल्ली)
श्री पी. के. मलिक (कलकत्ता)
श्री पी. एन. शाह (बम्बई)
श्री एस. सी. शर्मा (नई दिल्ली)
} (मनोनीत)
श्री एम. एच. नलावलिकार (बम्बई)
एफ.आई.सी.सी.आई. फिक्की का प्रतिनिधि
आई.सी.डब्ल्यू.ए.आई. का प्रतिनिधि
आर. बी. आई. अथवा आई.बी.ए. का प्रतिनिधि
} मनोनीत

व्यावसायिक विकास समिति

श्री एन. के. पोद्दार, सभापति (कलकत्ता)
श्री एन. पी. सादरा, उप सभापति (बम्बई)
श्री के. जी. सोमानी, अध्यक्ष (एक्स ओफिसियो) (नई दिल्ली)
श्री एस. पी. छाजेड़ (बम्बई)
श्री अभिलाष सायल (लखनऊ)
श्री के. त्यागराजन (नई दिल्ली)
श्री जी. नारायनन (पटना)
श्री शिवाजी कनबर्जी विकासमनीय (बम्बई)
श्री एस. एल. खेतान (कलकत्ता)
} मनोनीत

अध्ययन परिषद

श्री ए. के. चक्रवर्ती, सभापति (कलकत्ता)
श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा, उप सभापति, (हैदराबाद)
श्री ए. एच. दलाल, उपाध्यक्ष (एक्स ओफिसियो) (बम्बई)
श्री एस. पी. छाजेड़ (बम्बई)
श्री आई. सी. जैन (बम्बई)
श्री बी. पी. राव (बंगलौर)
श्री पी. पी. गुरुराजा उपाध्याय (मद्रास)
श्री पार्थ मित्रा (कलकत्ता)
श्री पवन कुमार (दिल्ली)
श्री पी. जे. गोराडिया (नई दिल्ली)
} मनोनीत

विश्वविद्यालय सम्पर्क समिति

श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा, सभापति (हैदराबाद)
श्री ए. के. चक्रवर्ती, उप सभापति (कलकत्ता)
श्री ए. एच. दलाल, उपाध्यक्ष (एक्सओफिसियो) (बम्बई)
श्री एस. पी. छाजेड़ (बम्बई)
श्री आई. सी. जैन (बम्बई)
श्री बी. पी. राव (बैंगलोर)
श्री पी. पी. गुरुराजा उपाध्याय (मद्रास)
श्री एस. बी. जवारे (पुना)
श्री गिरीश आहुजा (दिल्ली)
श्री एस. चन्द्रन (मद्रास)
} मनोनीत

कराधान समिति

श्री एन. सी सुन्दरराजन सभापति (मद्रास)
श्री आर. एस. पटेल उप सभापति (अहमदाबाद)
श्री ए. एच. दलाल, उपाध्यक्ष (पदेन) (बम्बई)
श्री जी एन. गुप्ता (नई दिल्ली)
श्री एन. के गुप्ता (नई दिल्ली)
श्री एन. के. गुप्ता (कानपुर)
श्री एन. के. पाडए (कलकत्ता)
श्री बी. पी. राव (बंगलोर)
श्री आर. कृष्णकुमार (मद्रास)
श्री बी. जी. राय (बम्बई)
श्री के. सी. देवसदास (सिकन्दराबाद)
} मनोनीत

कम्पनी कानून समिति

श्री एम. एल. सिन्धी, सभापति (कलकत्ता)
श्री एस. नन्दगोपाल, उपसभापति (मद्रास)
श्री ए.एच. दलाल, उपाध्यक्ष (पदेन) (बम्बई)
श्री आर. एन. असल (नई दिल्ली)
श्री एस. कुमार (नई दिल्ली)
श्री आनन्द राठी (बम्बई)
श्री के. सी. जैन (कलकत्ता)
श्री टी. एस. विश्वनाथ (नई दिल्ली)
श्री ए. के. महिन्द्रा (नई दिल्ली)
} मनोनीत

दक्ष सलाहकार समिति

श्री के. एस. अग्रवाल, सभापति (नई दिल्ली)
श्री एन. डी. गुप्ता, उपसभापति (नई दिल्ली)
श्री ए. एच. दलाल, उपाध्यक्ष (पदेन) (बम्बई)
श्री आर. एन. बंसल (नई दिल्ली)
श्री एस. सी. वासुदेवा (नई दिल्ली)

श्री टी.एस.वी. पाण्डुरंग शर्मा (नई दिल्ली)
श्री सम्पत्त कुमार सुराना (नई दिल्ली) } मनोनीत
श्री रमन लाल गुप्ता (नई दिल्ली) }

सम्पादकीय बोर्ड

श्री के. जी. सोमानी मुख्य सम्पादक (नई दिल्ली)
श्री ए. एच. दलाल, सह सम्पादक (बम्बई)
श्री के. एम. अग्रवाल नई दिल्ली)
श्री एस एस भण्डारी (जयपुर)
श्री एन. डी. गुप्ता (नई दिल्ली)
श्री एस. आर. वासुदेवा (नई दिल्ली)
श्री पी. डी. देसाई (बम्बई)
श्री विनोद जैन (नई दिल्ली)
श्री के. सम्पत मनोनीत (दिल्ली)

उद्योगों में सदस्यों हेतु समिति

श्री वाई, एम. काले, सभापति (बम्बई)
श्री एम. डी. गुप्ता उप, सभापति (नई दिल्ली)
श्री ए. एच. दलाल, उपाध्यक्ष (पदेन) (बम्बई)
श्री भास्कर बनर्जी (कलकत्ता)
श्री के. एन. खन्ना (नई दिल्ली)
श्री जोस पोट्टोकरन (त्रिचूर)
श्री अमिताभ नायल ण (लन्दन)

श्री मनु टण्डन } (बम्बई)
श्री चन्द्र प्रकाश जैन } (नई दिल्ली)
श्री श्रीराम हलवैया } मनोनीत (नई दिल्ली)
श्री आर. डी. [illegible] } (सिकन्दराबाद)

सामान्य उद्देश्य एवं अन्तर इन्स्टीट्यूट समन्वय समिति

श्री के. जी. सोमानी सभापति (नई दिल्ली)
श्री ए. एच. दलाल उपसभापति (बम्बई)
श्री एस एस. भण्डारी (जयपुर)
श्री जोस पोट्टोकरन (त्रिचूर)
श्री आनन्द राठी (बम्बई)

अनैतिक रूप से हटाये गये आडिटरों और आचार संहिता स्तर के लिए समिति

श्री के. जी. सोमानी, सभापति (नई दिल्ली)
श्री ए. एच. दलाल, उपसभापति (बम्बई)
श्री एस. एस. भण्डारी (जयपुर)
श्री एम. कुमभर (नई दिल्ली)
श्री जोस पोट्टोकरन (त्रिचूर)
श्री आनन्द राठी (बम्बई)

डा. आर. सी. वैष्व } (नई दिल्ली)
श्री जी. नारायन स्वामी } मनोनीत (मद्रास)
श्री ए. एम. महेश्वरी } (पार्ली)

परिशिष्ट—4

(सन्दर्भ रिपोर्ट का पैरा 3.9.1)

सी.पी.आई समिति द्वारा आयोजित गोष्ठियों और पाठ्यक्रमों का विवरण

क्रम सं. कार्यक्रम	स्थान	तिथि
1. कोषों के तुरगामी स्रोतों को (विशेष रूप से मध्य नजर रखते हुए वित्तीय प्रबन्ध पर गोष्ठी)	नई दिल्ली	8–9 अक्तूबर 1988
2. प्रबन्ध लेखांकन पर रिफ्रेशर पाठ्यक्रम (सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के अधिकारियों एवं प्रबन्धकों के लिए	नई दिल्ली	14 से 25 नवंबर, 1988
3. फेरा, सीमा शुल्क तथा आबकारी करों के प्रभाव पर गोष्ठी	कलकत्ता	26–27 जून 1988
4. लेखांकन स्तर एवं कराधान पर पर गोष्ठी	अहमदाबाद	17–18 सितम्बर 1988
5. सार्वजनिक निकायों एवं अलाभकर संस्थानों में लेखांकन व्यवस्था	बम्बई	28–29 अप्रेल, 1989
6 संयुक्त वित्तीय प्रबन्ध पर रिहायशी पाठ्यक्रम	ओटी	10–14 मई, 1989
7. व्यापार के वित्तीय प्रबंध में कम्प्यूटरों के प्रयोग पर आई.सी. डब्ल्यू. ए. आई. के साथ संयुक्त कार्यक्रम	कलकत्ता	3–9 जून 1989
8. संयुक्त वित्त एवं कानून पर आई.सी. एस. आई. के साथ संयुक्त कार्यक्रम	नई दिल्ली	5–6 अगस्त 1989

परिशिष्ट—5

(सन्दर्भ रिपोर्ट का पैरा 3.9.6)

संस्थान के बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास और नई दिल्ली कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा आयोजित कम्प्यूटर कोर्सों का सारांश

(16–9–1988 से 30–4–1989 तक)

क्रम सं. केन्द्र	कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों की संख्या	सदस्य	जिनको प्रशिक्षण दिया विद्यार्थी एवं गैर–सदस्य	योग
1. बम्बई*	9	151	75	226
2. कलकत्ता**	21	71	389	460
3. कानपुर	8	52	69	129
4. मद्रास	[illegible]	117	[illegible]	[illegible]
5. दिल्ली	[illegible]	59	[illegible]	90
कुल योग	62	450	817	1267

*अक्तूबर, 1988 एवं फरवरी, 1989 के पाठ्यक्रमों का विवरण प्राप्त किया जा रहा है।

**मई, 1989 में आयोजित पाठ्यक्रमों का विवरण प्राप्त किया जा रहा है।

परिशिष्ट —6

(सन्दर्भ रिपोर्ट का पैरा 3-12.1)

विश्वविद्यालयों एवं भारतीय विश्वविद्यालय संघ की सूची, जिन्होंने कि पी. एच. डी. डिग्री देने के लिये, (रिसर्च स्कालर)" के रूप में पंजीकरण हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों को मान्यता दे दी है।

क्रम सं.	विश्वविद्यालय एसोसिएशन का नाम
	भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली
1.	अलगप्पा विश्वविद्यालय, अलगप्पा नगर, काराईकुडी—623004.
2.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ उ. प्र.
3.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ. प्र.
4.	बंगलौर विश्वविद्यालय बंगलौर
5.	भारतीदेसन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली 620024
6.	बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई (महाराष्ट्र)
7.	कालीकट विश्वविद्यालय कालीकट (केरल)
8.	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद
9.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला
10.	कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर उ. प्र.
11.	केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम (केरल)
12.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उ. प्र.
13.	एम. एस. विश्वविद्यालय आफ बड़ौदा, बड़ौदा
14.	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक
15.	मंगलौर विश्वविद्यालय, लाईट हाउस हिल, मंगलौर
16.	मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद 413004
17.	मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ उ. प्र.
18.	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
19.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर
20.	उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)
21.	पूना विश्वविद्यालय, पूना (महाराष्ट्र)
22.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़
23.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला
24.	रांची विश्वविद्यालय, रांची 834008.
25.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर (गुजरात)
26.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट, गुजरात
27.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर (महाराष्ट्र)
28.	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरुपति
29.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म. प्र.)
30.	आगरा विश्वविद्यालय, आगरा
31.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
32.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
33.	नोर्थ बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग
34.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
35.	काश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर,
36.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी
37.	गांधीजी विश्वविद्यालय, कोटायाम

परिशिष्ट— 7

(सन्दर्भ-रिपोर्ट का पैरा 4.9)

अनेक बाह्य निकायों में इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधियों के नाम

निकाय का नाम	प्रतिनिधि का नाम
1. एप्लाईड मैनपावर रिसर्च संस्थान की सामान्य परिषद	श्री के. जी. सोमानी
2. लागत लेखांकन रिकार्ड नियमों के मामलों से संबंधित कम्पनी कार्य विभाग की अनियमित सलाहकार समिति	डा. आर. सी. वैश्य

3. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	श्री एस. एच. दलाल
4. भारतीय मानक संस्थान की फार्म लेखा विभागीय समिति ए. एफ. डी. सी. 49	श्री एस. पी. छाजेड़
5. प्रत्यक्ष करों पर सामान्य सलाहकार समिति	श्री के. जी. सोमानी
6. आल इंडिया बोर्ड आफ मैनेजमेंट स्टडीज	श्री आर. बालाकृष्णन
7. वाणिज्य शिक्षा पर यू. जी. सी. पैनल	श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा
8. अन्तर्राष्ट्रीय लेखापाल संघ की परिषद (आई. एफ. ए. सी.)	श्री ए. सी. चक्रवर्ती
9. अन्तर्राष्ट्रीय आडिटिंग प्रैक्टिसेज समिति (आई. ए. पी. सी. आफ आई. एफ. ए. सी.)	श्री आर. बालाकृष्णन
10. आई. एफ. ए. सी. की शिक्षा समिति	श्री पी. ए. नायर
11. दक्षिण एशियाई लेखापाल संघ	श्री के. जी. सोमानी
12. "बैंकों की वित्तीय विवरणिकाओं में भेद प्रकाशन" पर आई. ए. एस. सी. की मार्ग दर्शक समिति	श्री पी. ए. नायर

परिशिष्ट-8

(सन्दर्भ--रिपोर्ट का पैरा 5.1)

क्षेत्रीय आधार पर सदस्यों का वितरण

	फैलो				एसोसिएट्स				
क्षेत्र	प्रैक्टिस में पूर्णकालिक प्रैक्टिस में	अंशकालिक प्रैक्टिस में	प्रैक्टिस के अलावा	कालम 2 3 एवं 4 का योग	प्रैक्टिस में पूर्णकालिक प्रैक्टिस में	अंशकालिक प्रैक्टिस में	प्रैक्टिस के अलावा	कालम 6, 7 एवं 8 का योग	कालम 5 एवं 9 का कुल योग
1	2	3	4	5	0	6	8	9	10
1.	4,573	682	411	5,666	5,452	3,180	3,486	12,118	17,784
2.	3 548	382	411	4,341	3,423	1,195	4,538	9,156	13,497
3.	2,025	247	281	2,553	1,584	651	2 222	0,457	07,010
4.	1,451	201	120	1,972	1,972	427	922	3,321	5,093
5.	2,988	355	267	3,610	3,873	793	1,474	6,140	9,750
	14,585	1,867	1,490	17,942	16,304	6,246	12,642	35,192	53,131

परिशिष्ट - 9

(सन्दर्भ रिपोर्ट का पैरा 5.2)

वर्ष 1988-89 के दौरान मृत्यु के कारण सदस्यों के रजिस्टर में से हटाये गये सदस्यों के नाम

क्रम सं.	सदस्यता संख्या	सदस्य का नाम	तिथि
1.	8	श्री सी. एस. शास्त्री, मद्रास	9-4-88
2.	280	श्री के. एम. इंजीनियर, बम्बई	1-3-88
3.	402	श्री डी. टी. राव, कर्नूल	10-3-89
4.	541	श्री जी. बालासुब्रामन्यन, तिरुचिरापल्ली	2-5-88
5	593	श्री मोरेश्वर एम. भागवत, बम्बई	20-2-89
6.	641	श्री एन. अनन्धानारायनन, मद्रास	17-4-88
7.	652	श्री के. विश्वासम्रतम, मदुराई	27-7-88
8.	675	श्री विट्ठल वी. किरमाने, बम्बई	2-7-88
9.	705	श्री वी. एन. पारडीवाला, बम्बई	2-7-88
10.	1013	श्री एच. पी. कृष्मानी, बम्बई	10-5-88
11.	1042	श्री एच. जी. राथन, बम्बई	7-5-88
12.	1046	श्री एम. पी. खितले, बम्बई	8-1-88
13.	1075	श्री पी. एन. रघवेन्द्रा राव, कोयम्बटूर	25 12 88
14.	1256	श्री के. आर. दाण्डेकर, बम्बई	24-8-88
15.	1290	श्री बी. वेंकटरमन, मद्रास	30-5-88
16	1419	श्री आर ए. जगनाथ, बम्बई	5-4-88
17.	1483	श्री एम. आर. रामास्वामी, इरोड़,	2-7-88
18.	1503	श्री एस. के. चटर्जी, कलकत्ता	26-6-88
19.	1575	श्री हरभजन सिंह सेठी, नई दिल्ली	4-9-88
20.	1589	श्री एस. सुन्दरेसन पुडुकोटाई	6-4-88
21	1616	श्री मोहर्जीत मुखर्जी, कलकत्ता	14-12-84
22	1619	श्री बी. आर. चक्रवर्ती, योरवा	17-5-88
23.	1628	श्री के. जी. कुरुविला, मद्रास	23-3-88
24.	1657	श्री एस. आर. के. नारी, लखनऊ	31-12-88

25.	1692	श्री पी. टी. सम्पतकुमारन, मद्रास	26-12-88
26.	1727	श्री टी. ए. शाह, बम्बई	11-9-87
27.	1733	श्री के. सुब्बाराव, मद्रास	1-1-88
28.	1797	श्री आनन्द गोपाल बनर्जी, कलकत्ता	22-1-89
29.	1837	श्री अरविन्द घोष, कलकत्ता	22-5-88
30.	1884	श्री एम. लक्ष्मय्या, मद्रास	5-2-88
31.	1949	श्री बी. एस. एम. भूषन, बंगलौर	6-9-88
32.	2018	श्री बी. के. कृष्ण, मद्रास	20-10-88
33.	2150	श्री एन. के. राय चौधरी, हावड़ा	18-9-88
34.	2259	श्री बी. एस. शाह, बम्बई	22-2-89
35.	2365	श्री के. बी. गुहा, कलकत्ता	7-2 89
36.	2393	श्री जी. आर. अमीन, अहमदाबाद	5 10-87
37.	2396	श्री सरदार मल बंगानी, दिल्ली	23-7-88
38.	2103	श्री के. एम. डामले, बम्बई	2-1-89
39.	2543	श्री जी. नाटाराजन, मद्रास	3-4-88
40.	2634	श्री एम. बी. पटेल, अहमदाबाद	3-9-87
41.	2809	श्री ए. आर. वर्मा, बम्बई	30-6-88
42.	3288	श्री डी. आर. जे. देसाई	24-1-88
43.	3352	श्री के. वाई. शेट्ठी, बंगलौर	21-7-88
44.	3539	श्री वेतेपरसन बनर्जी, कलकत्ता	22-4-88
45.	3765	श्री पी. वेंकटेश्वरा राव, हैदराबाद	12-5-88
46.	3850	श्री एन. एस. पारीकर, क्विलन	27-11-88
47.	3955	श्री जी. कृष्णन, कोयम्बटोर	15-2-89
48.	4063	श्री दूगरमल कोठारी, कलकत्ता	15-4-88
49.	4093	श्री अंस एच. शाह, अहमदाबाद	20-10-88
50.	4291	श्री के. ए. ओमाफ सुभातपुजा	12-2-88
51.	4335	श्री पी. सी. जैन, बम्बई	20-10-88
52.	4438	श्री एस. पी. पटकर, बम्बई	27-2-88
53.	4608	श्री के. गोपालकृष्ण मूर्ति, हैदराबाद	11-10-88
54.	4620	श्री पी. एम. राज, कागजनगर	18-10-86
55.	4743	श्री रामनाथ पी. भट्ट, बम्बई	23-2-89
56.	5058	श्री बी. भी. अवण्णा, बंगलौर	15-12-83
57.	5134	श्री सैत एम. मुहम्मद इसमैल, मद्रास	10-2-89
58.	5201	श्री विनोद कुमार सूद, बेनकोवर	21-11-88
59	5480	श्री रंजीत एस. पटेल, अहमदाबाद	20-10-88
60.	5706	श्री एन. के. गुप्ता, ग्वालियर	10-10-88
61.	5729	श्री के. रमन, मदुराई	14-12-87
62.	5910	श्री आर. के. सेठ, बम्बई	22-1-87
63.	6041	श्री जे. आर. कृष्णस्वामी, मद्रास	5-4-88
64.	6085	श्री एस. के. दास जायसवाल, इलाहाबाद	15-10-88
65.	6089	श्री बी. डी. गंगाध्यक्षा, बम्बई	5-10-88
66.	6529	श्री ए. आर. लक्ष्मीनारायण, मद्रास	16-2-88
67.	71119	श्री आर. आर. वैद्या, हैदराबाद	9-8-88
68.	8108	श्री सी. एन. कृष्णन, मद्रास	25-1-89
69.	10613	श्री टी. वी. नरसिम्हा मूर्ति, श्रीकाकूलम	8-3-89
70.	10624	श्री पी. गोपालकृष्णन, कोयम्बटूर	24-12-88
71.	10783	श्री ए. के. राय चौधरी, कलकत्ता	7-11-87
72.	10786	श्री एन. पी. शिवशंकर, बंगलौर	24-10-88
73.	11067	श्री आर. सी. कृष्णामूर्ति, बंगलौर	4-6-88
74.	11390	श्री गोपाल लाल केडिया, कलकत्ता	9-6-88
75.	11623	श्री एन. धनदयुधापानी, सेलम	1-12-88
76.	12170	श्री लोकनाथ भट्टाचार्जी, कलकत्ता	23-3-88
77.	12415	श्री के. विजयकुमार, हैदराबाद	20-8-88
78.	12924	श्री जे. के. शाह, बम्बई	6-9-88
79	14202	श्री सतीश चन्द्र, गाजियाबाद	1-2-88
80.	15175	श्री देव कुमार गुप्ता, कलकत्ता	24-5-88
81.	15881	श्री चम्पालाल एम. तिलेसरा, बंगलौर	20-4-88
82.	15952	श्री एस. जी. कपाडिया, बम्बई	20-10-88
83.	16049	श्री गिरी राज अग्रवाल, नई दिल्ली	21-1-89
84.	16699	श्री तुलसीदास साहा, कलकत्ता	16-1-88
85.	18775	श्री ए. वी. लोकेन्द्रा राव, बंगलौर	1-5-88
86.	21715	श्री एम. मुरलीधरन, मद्रास	20-10-88
87.	26447	श्री के. श्रीधरन, मद्रास	23-12-87
88.	26817	श्री के. एम. काशी, थंजावुर	29-6-88
89.	26885	श्री ए. आर. शंकर, मद्रास	18-11-88
90.	27254	श्री पी. वी. सत्यानारायन, विशाखापटनम	2-3 89
91.	30738	श्री साईदाचन्द्र वी. पटेल, अहमदाबाद	20-10-88
92.	30905	श्री एन. के. कोया, नागपुर	2-6-88
93.	31483	श्री आर. एम. बगरिया, बम्बई	24-4-88
94.	32006	श्री अशोक बी. नागर, बम्बई	28-12-88
95.	37209	श्री एम. पाडिवाला, बम्बई	10-2-89
96.	37235	श्री भरत जी. हिरवानी, अहमदाबाद	20-10-88
97.	38370	श्री निलेश डी. अम्बेडकर, बम्बई	21-10-88
98.	50760	श्री ए. भट्टाचार्या रथतला (पं. ब.)	22-1-88
99.	71925	श्री श्याम सुन्दर शर्मा, भोपाल	16-7-86
100.	80162	श्री एस. एन. सावर, कलकत्ता	11-6-84
101	81243	श्री के. रामनुज अयंगर, बंगलौर	8-11-86
102.	81249	श्री सी. अन्नय्या, बंगलौर	14-7-88
103.	81334	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, दिल्ली	22-1-89
104.	82364	श्री रविन्द्र कुमार खन्ना, दिल्ली	3-3-88
105.	84098	श्री हरजीत सिंह शाह, नई दिल्ली	2-9-87

परिशिष्ट—10

(संदर्भ रिपोर्ट का पैरा 6, 1.3)

प्रदान की गई छात्रवृत्तियां तथा इस कोष के लिए योगदान देने वाले दान दाताओं के नामों का विवरण।

1. प्रदान की गई छात्रवृत्तियां

(i) योग्यता छात्रवृत्तियां :—

—18 महीने की अधिकतम अवधि के लिए 10 विद्यार्थियों को 75 रुपये प्रति महीने की दर से

—12 महीने की अधिकतम अवधि के लिए 4 विद्यार्थियों को 75 रुपये प्रति माह की दर से

(ii) योग्यता तथा आवश्यकता पर आधिकारिक छात्रवृत्तियां 75 रुपये प्रति माह की दर से 5 विद्यार्थियों को 12 महीने की अधिकतम अवधि के लिए।

(iii) आंशिक छूट अर्थात 82 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क की दूसरी किश्त को पूरी तरह माफ कर दिया।

(iv) आवश्यकता पर आधारित छात्रवृत्ति—50 रुपये माह की दर से 125 विद्यार्थियों का 30 महीने की अधिकतम अवधि के लिए।

(v) 100 रुपये प्रति महीने की दर से 2 विद्यार्थियों को 1 वर्ष के लिए—एस. वैश्य यादगार छात्रवृत्तियां।

(vi) 1000 रुपये प्रति वर्ष की दर से विद्यार्थियों को 3 वर्ष के लिए—लिखामी चन्द्र मोतभूल कन्होई चैरिटेबिल ट्रस्ट छात्रवृत्ति।

2 दानदाताओं की सूची

दानदाता	रकम (रुपये)	प्रकृति
1. बी.सी. दत्ता	8,000	मानी बेनाड़े कोष के के नाम परिधन
2. एस.के. खण्डेलवाल	900	एस.के. खण्डेलवाल, छात्रवृत्ति वार्षिक
3. छगनलाल वीरचन्द्र ट्रस्ट	2,700	3 वर्ष के लिए चन्द्राभाई एवं जस्सुभाव छात्रवृत्ति
4. शिव ओम अग्रवाल	2,700	3 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति
5. के. विश्वानाथन	10,000	वी. कुमार छात्रवृत्ति के नाम पर धन
6. श्रीमती प्रकाशवती द्वारा ए.बी. किशोर ए' कंपनी	15,000	धन (इंडोमेंट)
7. जे.एस. लोढ़ा चैरिटेबिल ट्रस्ट	2,00,000	जे. एस. लोढ़ा यादगार छात्रवृत्ति के नाम पर धन
8. श्रीमती रेखा खन्ना	12,000	सतीश खन्ना छात्रवृत्ति कोष के नाम पर धन
9. श्रीमती रमा खन्ना	17,200	एच.एल. खन्ना छात्रवृत्ति कोष के नाम पर धन
10. कुन्दन ट्रस्ट	4,500	5 विद्यार्थियों को 1 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति

परिशिष्ट 1

(सन्दर्भ रिपोर्ट का पैरा 8.2)

परीक्षा केन्द्रों की सूची

1. आगरा
2. अहमदाबाद
3. इलाहाबाद
4. अम्बाला
5. बंगलोर
6. बड़ोदा
7. बेलगांव
8. भोपाल
9. बम्बई
10. कलकत्ता
11. कालीकट
12. चण्डीगढ़
13. कोयम्बटूर
14. कटक
15. दिल्ली/नई दिल्ली
16. एरनाकुलम
17. गोहाटी
18. हैदराबाद
19. इंदौर
20. जयपुर
21. जम्मू
22. जोधपुर
23. कानपुर
24. काठमांडू (नेपाल)
25. लखनऊ
26. लुधियाना
27. मद्रास
28. मदुराई
29. मंगलोर
30. मेरठ
31. मैसूर
32. नागपुर
33. नासिक
34. पटना
35. पूना
36. सेलम
37. सूरत
38. तिरुचिरापल्ली
39. त्रिचूर
40. त्रिवेन्द्रम
41. उदयपुर
42. विजयवाड़ा
43. विशाखापटनम
44. यमुना विहार

अंतिम परीक्षा—नवम्बर 1988

निम्नलिखित प्रत्याशियों को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए जायेंगे:—

वरीयता	रोल नं०	नाम
प्रथम	2875	कुमारी परमार गीता देवचन्द्र (800 में से 537 अंक)
द्वितीय	1150	संजय मेहता (800 में से 534 अंक)
तृतीय	5564	मिनोय भमी सदाशिव माजन (800 में से 518 अंक)
तृतीय	8324	भवानी शंकर राठी (800 में से 518 अंक)

(1) जे.पी. कपाड़िया प्रथम अध्यक्ष पुरस्कार—कुमारी परमार गीता देवचन्द्र, रोल नं. 2875 को दिया जायेगा।

(2) सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिए जे.एस. लोढ़ा स्वर्ण पदक पुरस्कार कुमारी परमार गीता देवचन्द्र रोल नं. 2875 को दिया जायेगा।

(3) सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिए रामचन्द्र सिधी पुरस्कार कुमारी परमार गीता देवचन्द्र रोल नं. 2875 को दिया जायेगा।

(4) दूसरे स्थान पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए जयन्ती लाल के. ठक्कर यादगार पुरस्कार संजय मेहता रोल नं. 1150 को दिया जायेगा।

(5) सर्वोत्तम महिला प्रत्याशी के लिए आर. शिवारामन पुरस्कार कुमारी परमार गीता देवचन्द रोल नं. 2875 को दिया जायेगा।

(6) वर्ष 1988 में सर्वोत्तम विद्यार्थियों के लिए जी. बासु स्थापना पुरस्कार जोप कुमार जैन, रोल नं. 2583, मई 1988 परीक्षा (1800 में से 547 अंक) को दिया जायेगा।

(7) वर्ष 1988 में ग्रुप I में सर्वोत्तम विद्यार्थी के लिए एन. एम. दास पुरस्कार पी. वेंकटेश, रोल नं. 5704 मई 1988 परीक्षा (400 में से 277 अंक) को दिया जायेगा।

(8) ग्रुप 1 में सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिए केरला वर्मा यादगार पुरस्कार विजय कुमार अग्रवाल रोल नं. 12354 (400 में से 266 अंक) को दिया जायेगा।

(9) ग्रुप 11 में सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिए पी.एस. घोष यादगार पुरस्कार भवानी शंकर राठी रोल नं. 8524 (400 में 285 अंक) को दिया जायेगा।

(10) एडवांस एकाउंटिंग में सर्वोत्तम प्रश्न पत्र (प्रश्न पत्र 1) के लिए के.सी. खन्ना पुरस्कार आबिल जमासप कसाद रोल नं. 1146 (100 में 84 अंक) को दिया जायेगा।

(11) एकाउन्टेंसी में सर्वोत्तम प्रश्न पत्र (प्रश्न पत्र 1 और 2) के लिए सर रापुरजी बिलिमोरिया पुरस्कार हेमन्त कुमार जैन रोल नं. 1594 (200 में से 149 अंक) को दिया जाएगा।

(12) प्रबन्ध लेखांकन में सर्वोत्तम अंकों के लिए जे. के. दोषी पुरस्कार प्रजापत मलजीभाई धूलाभाई, रोल नं. 1131 और हेमन्त कुमार जैन रोल नं. 1594 (100 में से 78 अंक) को दिया जायेगा।

(13) ऑडिटिंग में सर्वोत्तम प्रश्न पत्र के लिए ए.एफ. फरगुसन पुरस्कार तथा आर. वेंकटेसन यादगार पुरस्कार कुमारी चेतना सुन्दरेस, रोल नं. 5616 (100 में से 68 अंक) को दिया जायेगा।

(14) ऑडिटिंग में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली महिला प्रत्याशी के लिए सुखनन्दन गुप्ता कपूरी देवी पुरस्कार कुमारी चेतना सुन्दरेस रोल नं. 5616 (100 में से 68 अंक) को दिया जायेगा।

(15) कम्पनी लॉ में सर्वोत्तम प्रश्न पत्र के लिए यू. सी. मजूमदार पुरस्कार और एस. एम. शाह पुरस्कार संजय मेहता रोल नं. 1150 (100 में से 71 अंक) को दिया जायेगा।

(16) प्रत्यक्ष कर नियमों में सर्वोत्तम प्रश्न पत्र के लिए एन.एम. शाह पुरस्कार सूरी यादगार पुरस्कार तथा ए.जे. शाह अभिनव यादगार पुरस्कार कुमारी परमार गीता देवचन्द्र रोल नं. 2875 (100 में से 82 अंक) को दिया जायगा।

(17) प्रबन्धकीय अर्थशास्त्र एवं राष्ट्रीय लेखांकन में सर्वोत्तम प्रश्न पत्र के लिए वेंकटाचलम मोहन पुरस्कार विजय कुमार त्रिलोक चन्दजी जैन रोल नं. 1021 (100 में से 52 अंक) को दिया जायेगा।

(18) सिस्टम एनालेसिस एवं डाटा प्रोसेसिंग में सर्वोत्तम प्रश्न पत्र के लिए टी.आर. चड्ढा पुरस्कार सुनन्दा दास, रोल नं. 8273 (100 में से 82 अंक) को दिया जायेगा।

(19) लागत लेखांकन में सर्वोत्तम प्रश्न पत्र के लिए आर.बी.के. उमरजी पुरस्कार मिनोय शर्मा सदाशिव माधव, रोल नं. 5564 (100 में 88 अंक) को दिया जायेगा।

इण्टरमीडिएट परीक्षा—नवम्बर 1988

निम्नलिखित प्रत्याशियों को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किये जायेंगे :—

वरीयता	रोल नं.	नाम
प्रथम	19342	शरद अग्रवाल (700 में से 496 अंक)
द्वितीय	23878	राजगोपालन शेषना नारायण (700 में से 490 अंक)
तृतीय	2364	जे. पी. सिंह (700 में से 489 अंक)

1. जी.पी. कपाड़िया प्रथम अध्यक्ष पुरस्कार—शरद अग्रवाल रोल नं. 19342 को दिया जायेगा।

2. सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिए जे. एस. लोढ़ा स्वर्ण पदक शरद अग्रवाल रोल नं. 19342 को दिया जायेगा।

3. वर्ष 1988 के लिए सर्वोत्तम विद्यार्थी का सूरी यादगार पुरस्कार शरद अग्रवाल, रोल नं. 19342 नवम्बर 1988 परीक्षा (700 में से 496 अंक) को दिया जायेगा।

4. लेखांकन में सर्वोत्तम प्रश्न पत्र के लिए प्रोफेसर टी.एस. ग्रेवाल पुरस्कार बी. रघुरमन, रोल नं. 10254 और टी. एस. बी. राजगोपाल, रोल नं. 12330 (100 में 94 अंक) को दिया जायेगा।

5. आयकर के मूल तत्व प्रश्न पत्र में सर्वोत्तम अंक के लिए यू. के. भार्गव पुरस्कार अक्षय मित्तल, रोल नं. 23855 (50 में से 45 अंक) को दिया जायेगा।

6. ऑडिटिंग में सर्वोत्तम प्रश्न पत्र के लिए दिनेश हिम्मत लाल शाह पुरस्कार और आर.सी. खन्ना पुरस्कार आर. विनोद, रोल नं. 9930 (100 में से 77 अंक) को दिया जायेगा।

7. मर्कनटाइल लॉ, कम्पनी लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ में सर्वोत्तम प्रश्न पत्र के लिए सुरेश सी. माथुर पुरस्कार नरेश कुमार हीरालाल भंसाली रोल नं. 24952 (100 में से 73 अंक) को दिया जायेगा।

परिशिष्ट—12

(सन्दर्भ रिपोर्ट का पैरा 7.3)

पुरस्कार विजेताओं की सूची

अंतिम परीक्षा—मई 1988

निम्नलिखित प्रत्याशियों को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किये जायेंगे :—

वरीयता	रोल नं.	नाम
प्रथम	9583	जय कुमार जैन (800 में से 547 अंक)
द्वितीय	5704	पी. वेंकटेश (800 में से 545 अंक)
तृतीय	6837	आर. रमेश (800 में से 532 अंक)

1. जी. पी. कपाडिया प्रथम अध्यक्ष स्वर्ण पदक पुरस्कार--जय कुमार जैन, रोल नं. 2583 सर्वोत्तम प्रत्याशी को दिया जायेगा।

2. सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिये जे. एस. लोढ़ा स्वर्ण पदक पुरस्कार जोय कुमार जैन, रोल नं. 2583 को दिया जायेगा।

3. सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिये रामचन्द्रा सिंधी पुरस्कार जोय कुमार जैन, रोल नं. 2583 को दिया जायेगा।

4. दूसरे नम्बर पर सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को जयन्तिलाल के. ठक्कर यादगार पुरस्कार--पी. वेंकटस रोल नं. 5704 को दिया जायेगा।

5. सर्वोत्तम महिला प्रत्याशी के लिये आर. शिवाभोगम पुरस्कार कुमारी पुनीता फतेहचन्द्र चोपड़ा, रोल नं. 11476 (800 में से 495 अंक) को दिया जायेगा।

6. ग्रुप 1 में सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिये केरमा वर्मा पुरस्कार पी. वेंकटेस रोल न. 5704 (400 में से 277 अंक) को दिया जायेगा।

7. ग्रुप 2 में सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिये पी. एन. घोष यादगार पुरस्कार--जोय कुमार जैन रोल नं. 2583 (400 में से 302 अंक) को दिया जायेगा।

8. एकाउन्टेंसी पेपर में (प्रश्न पत्र 1 और 2) सर्वोत्तम प्रश्नपत्र के लिये "सर मापुरजी बिलिमोरिया पुरस्कार" पी. राजमोहन मुरारी रोल नं. 2352 (200 में से 153 अंक) को दिया जायेगा।

9. एडवांस एकाउंटिंग में सर्वोत्तम प्रश्न पत्र (प्रश्न पत्र 1) के लिये के. सी. खन्ना पुरस्कार--आर. रमेश रोल नं. 6837 अजीत प्राणजीवन मेहता, रोल नं. 96660 और उमेश, मोरेश्वर कुलकर्णी रोल नं. 11778 (100 में से 72 अंक को दिया जायेगा।

10. मैनेजमेंट एकाउंटिंग में सर्वोच्च अंकों के लिये जे. के. बोथी पुरस्कार संदीप गुप्ता रोल नं. 1639 (100 में से 85 अंक) को दिया जायेगा।

11. आडिटिंग में सर्वोत्तम पेपर के लिये ए. एफ. फर्गुसन पुरस्कार तथा आर. वेंकटेसन यादगार पुरस्कार रजनीश बहल रोल नं. 1571 एवं पी. वेंकटेस, रोल नं. 5704 (100 में से 75 अंक) को दिया जायेगा।

12. आडिटिंग पेपर में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाली महिला प्रत्याशी को सुश्री नन्दन गुप्ता कपूरी पुरस्कार--कुमारी अंजली गुप्ता, रोल नं. 5687 (100 में से 67 अंक) को दिया जायेगा।

13. कंपनी लॉ पर सर्वोत्तम पेपर के लिए सी. यू. मजूमदार पुरस्कार तथा एस. एम. शाह पुरस्कार--रमन चोपड़ा, रोल नं. 1537 (100 में से 74 अंक) को दिया जायेगा।

14. प्रत्यक्ष कर नियमों में सर्वोत्तम पेपर के लिये एन. एम. शाह पुरस्कार मरो यादगार पुरस्कार और ए. जे. शाह--अमिता यादगार पुरस्कार--जोय कुमार जैन रोल नं. 2583 (100 में से 84 अंक) को दिया जायेगा।

15 प्रबन्धीय अर्थशास्त्र तथा राष्ट्रीय लेखांकन पर सर्वोत्तम पेपर के लिए "वेंकटाचलम मोहन पुरस्कार--एस. सत्यानारायण, रोल नं. 6630 (100 में से 51 अंक) को दिया जायेगा।

16. सिस्टम ऐनालिसिस एवं डाटा प्रोसेसिंग पर सर्वोत्तम पेपर के लिए टी. आर. वढ्ढा पुरस्कार--अजीत प्राणजीवन मेहता रोल नं. 9666 (100 में से 79 अंक) को दिया जायेगा।

17. कास्ट एकाउंटिंग में सर्वोत्तम पेपर के लिये "आर. वी. के. उमरजी पुरस्कार--श्रीमती आर० अनुराधा, रोल नं. 6990 (100 में से 95 अंक) को दिया जायेगा।

इन्टरमीडिएट परीक्षा—मई 1988

निम्नलिखित प्रत्याशियों को योग्यता प्रमाण पत्र दिये जाएंगे :—

वरीयता	रोल न.	नाम
प्रथम	7964	एम. वेंकटेसन (700 में से 473 अंक)
द्वितीय	5182	के. वी. गिरीशचन्द्र (कुल 700 में से 451 अंक)
तृतीय	16378	अरुण डालमिया (कुल 700 में से 444 अंक)

1. जी. पी. कपाडिया, प्रथम अध्यक्ष पुरस्कार—सर्वोत्तम विद्यार्थी एस. वेंकटेसन रोल नं. 7964 को दिया जायेगा।

2. सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिये जे. एस. लोढ़ स्वर्ण पदक पुरस्कार एम. वेंकटेसन रोल नं. 7964 को दिया जायेगा।

3. एकाउंटेंसी में सर्वोत्तम पेपर के लिये "प्रो. टी. एम. ग्रेवाल पुरस्कार" के. वी. गिरीशचन्द्र रोल नं. 5182 (100 में से 88 अंक) को दिया जायेगा।

4. एलीमेंट्स आफ इनकम टैक्स लॉ में सर्वोत्तम प्रश्न-पत्र के लिए "यू. के. भार्गवा" पुरस्कार—के. वी. गिरीशचन्द्र, रोल नं. 5182 तथा ए. शक्तिबल, रोल नं. 11889 (50 में से 40 अंक) को दिया जायेगा।

वार्षिक लेखा

31 मार्च, 1989 को

समाप्त

वर्ष के लिए

आडिटरों की रिपोर्ट

हमने इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स आफ इंडिया की 31 मार्च, 1989 की बैलेंस शीट और इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये संलग्न आय और व्यय के लेखे जिसमें कि इंस्टीट्यूट के कार्यालयों, क्षेत्रीय परिषदों तथा इसकी शाखाओं के लेखे जिनका आडिट किसी दूसरे आडिटरों ने किया है, को भी शामिल किया है, का आडिट किया है और हमारी रिपोर्ट निम्न प्रकार से है :—

1. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किये जो हमारी जानकारी और विश्वास के साथ, आडिट के उद्देश्य हेतु आवश्यक है।

2. बैलेंस शीट एवं आय और व्यय के लेखे जो इस रिपोर्ट में लिये गये हैं वह लेखे के पुस्तकों के अनुरूप हैं।

3. हमारी राय में, लेखे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की आवश्यकता के अनुसार रखे गये हैं और

4. हमारी राय और हमारी पूर्ण जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार विवरण और अनुसूचियां जो उनके साथ संलग्न हैं, सही और उचित स्थिति प्रकट करती है।

(1) 31 मार्च 1989 तक की कार्यों के बारे में बैलेंस शीट के मामले में,

और

(2) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिये आय और व्यय लेखे के अधिक्य के मामले में।

नई दिल्ली एम.आर. वेंकटारमण सी.पी. मेहरा

30 सितम्बर 1989 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली
लेखा नीति

1. फैलो सदस्यों से प्रवेश शुल्क और एसोसिएट्स सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क को अधिकतम भाग की पूंजीगत मान लिया है। विद्यार्थी क्रिया-कलापों से होने वाले अधिशेष के उपयुक्त भाग को शिक्षा कोष में स्थानान्तरित कर दिया गया है और आरक्षित पूंजी में उपयुक्त होने वाले कोष को पूंजीगत रिजर्व स्थानान्तिरत कर दिया गया है।

2. कर्मचारियों के लिए ग्रेजुयटी की व्यवस्था सभृति आधार पर की गयी है। ग्रेज्युटी तथा ग्रुप इंश्योरेंस पालिसी, भारतीय जीवन बीमा निगम से किये गये हैं। ग्रेच्युटी में कोई भी कमी के भुगतान को भुगतान वाले वर्ष में डाला गया है।

3. जनरल के सब्सक्रिप्शन से हुई आय, वर्ष के दौरान किये गये समितारों, सिम्पोजियम्स, और कान्फ्रेंसों से प्राप्त आय और व्यय को नकद आधार पर लिया गया है।

4. कागज पर निवेश, अध्ययन सामग्री और प्रकाशनों को कम लागत और विक्रय प्राप्त होने वाली कीमत के कम मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है। इस उद्देश्य के लिए लागत को सीधी लागत प्रणाली पर आंका गया है।

5. निवेशों का मूल्यांकन लागत आधार पर किया गया है।

6. मूल्य-ह्रास/अचल पूंजी ऐतिहासिक लागत आधार पर दिखाई गई है और उसका मूल्य ह्रास ह्रासमान निर्धारितों से किया गया है। केवल लाइब्रेरी पुस्तकों को जो मुख्य कार्यालय में हैं पर मूल्य ह्रास सीधी रेखा पद्धति से किया गया है।

7. विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस की दूसरी किस्त को प्राप्ति के आधार पर लिया गया है।

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली

31 मार्च, 1989 को बैलेन्स शीट

	अनुसूची	रुपये	31-3-1989 रुपये	रुपये	31-3-1989 रुपये
नियुक्ति कोष					
1. स्थायी पूंजी					
कुल ब्लॉक		38,148,728		32,720,745	
घटायें :—मूल्यह्रास		13,920,853		11,821,958	
निवल ब्लॉक	(ए)		24,227,875		20,898,787
2. उद्दिष्ट निवेश	(बी)		8,813,861		8,247,930
3. अन्य निवेश					
(अ) बैंकों में सावधि जमा . .		17,887,527		14,516,618	
(ब) सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों के बांड		10,024,950		10,024,950	
(स) यू.टी.आई. के यूनिट . .		300,160	28,212,637	300,160	24,841,728
निवल चालू पूंजी	(सी)		2,537,294		3,025,69
	योग		63,791,667		57,013,514
वित्तीय सहायता द्वारा .					
1. पूंजीगत जमा	(डी)		32,478,090		28,380,633
2. सामान्य जमा . .	(ई)		19,910,477		18,151,937
3. अन्य जमा	(एफ)		2,589,239		2,233,014
4. निर्दिष्ट कोष	(जी)		8,813,861		8,247,930
	योग		63,791,667		57,013,514

टिप्पणियां :—31 मार्च 1989 के लेखे के भाग बनाते हुए।

1. 20,73,266 रुपये के असिंचित निगम करों की अनिश्चित देयता की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

2. तीन शाखाओं तथा चार विद्यार्थी संघों के लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर भी वर्ष के दौरान भुगतान की गई अनुदान एवं शुल्क तथा पूंजी एवं देयता का शुरू का बकाया को शामिल किया गया है। दो शाखाओं तथा दो विद्यार्थी संघों के बिना आडिट किये हुए लेखों को शामिल किया गया है।

3. आयकर अधिनियम 1961 के भाग 10 (23सी) (.) के अधीन छूट के लिये सरकारी अधिसूचना को जारी करने की इंस्टीट्यूट की विचाराधीन प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए जो कि आयकर निर्धारण वर्ष 1989-90 तक मंजूर की गई थी, कराधान के लिये कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है।

इसी तिथि की संलग्न हमारी रिपोर्ट के साथ

पी.सी. जैन	एम.सी. नरसिम्हन	के.जी. सोमानी	एम.आर. वैंकटरमण	सी.पी० मेहरा
वरिष्ठ उप सचिव	सचिव	अध्यक्ष	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
नई दिल्ली,		ए.एच. दलाल		
13, सितम्बर, 1989		उपाध्यक्ष		

दि इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली

31-3-1989 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय का लेखा

	1988-89 रुपये	1987-88 रुपये
1. आय-अनुसूची (एच.)		
(अ) सदस्य	23,658,219	21,638,874
(ब) विद्यार्थी	33,287,295	29,835,922
योग	56,945,514	51,519,796
2. व्यय-अनुसूची (आई.)		
(अ) सदस्य	23,065,296	18,599,131
(ब) विद्यार्थी	30,556,061	26,489,660
योग	53,621,357	45,088,791
2. वर्ष के लिये अधिक्य (बकाया)		
(1) शिक्षा कोष को स्थानान्तरित अनुसूची (जी.)	1,365 617	1,673,131
(2) सामान्य कोष को स्थानान्तरित अनुसूची (ई.)	1,958,540	4,757,874
योग	3,324,157	6,431,005
कुल योग	56,945,514	51,519,796

पी.सी.जैन	एम.सी.नरसिम्हन	के.जी. सोमानी
वरिष्ठ उप सचिव	सचिव	अध्यक्ष

ए.एच. दलाल

उपाध्यक्ष

इसी तिथि की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

नई दिल्ली	एम.आर. वैंकटरमन	सी.पी. मेहरा
13 सितम्बर 1989	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया
नई दिल्ली

अनुसूची "ए"—स्थायी सम्पत्ति
(रकम रुपयों में)

सम्पत्ति	1-4-1988 को लागत	समायोजन/ स्थानान्तरण	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	31-3-1989 को लागत	1-4-1988 को	समायोजन/ स्थानान्तरण	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	31-3-1989 को	31-3-1989 को किताबी कीमत	31-3-1989 को किताबी कीमत
1. जमीन	2,385,755	—	216,013	2,601,768	—	—	—	—	2,601,768	2,385,755
2. भवन	13,361,462	—	547,521	13,908,983	2,827,739	960	554,015	3,382,714	10,526,269	10,533,723
3. भवन (निर्माणाधीन)	538 682	(501.395)	2,568,816	2,606,103	—	—	—	—	2,606,103	538,682
4. बिजली-इंस्टालेशन एवं फिटिंग	1,826,890	(6,460)	347,671	2,168,101	1,009,261	(635)	138,294	1,146,920	1,021,181	817,629
5. वातानुकूलन	1,885,873	—	162,640	2,048,513	1,193,344	1	130,449	1,323,794	724,719	692,529
6. फर्नीचर एवं फिक्चर .	4,742,618	(17,863)	633,920	5,358,675	2,050,266	664	341,085	2,392,015	2,966,660	2,692,352
7. लिफ्ट .	309,912	—	—	309,912	190,202	—	11,971	202.173	107,739	119,770
8. कार्यालय उपकरण .	1,881,762	4,078	424,008	2,309,848	1,101,131	(2,852)	183,979	1,282,258	1,027,590	780,631
9. वाहन .	106,823	—	—	106,823	21,365	(1)	17,092	38,456	68,367	85,458
10. पुस्तकालय	4,450,150	(24,633)	503,664	4,929,181	3,103,804	(15,239)	443,716	3,523,281	1,396,900	1,346.346
11. कम्प्यूटर	1,230,818	—	570,003	1,800,821	324,846	1	295.395	620,242	1,180,579	905,972
योग	32,720,745	(546,273)	5,974,256	38,148,728	11,821,958	(17,101)	115.996	13,920,853	24,227,875	20,898,787
पिछले वर्ष के आंकड़े	26,021,507	(474,702)	7,173,940	32,720,745	9,965.156	(72,842)	1,929,644	11,821,958	20,898,787	16,056,351

दि इंस्टीट्यूट आफ़ चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस आफ़ इंडिया
नई दिल्ली

अनुसूची "बी"—उचिष्ट निवेष
(राशि रुपयों में)

	बैंकों में सावधि जमा		अन्य बैंक खातों में शेष		योग	
	31-3-1989	31-3-1988	31-3-1989	31-3-1988	31-3-1989	31-3-1988
(अ) शिक्षा कोष निवेष . .	4,107,956	4,675,353	—	—	4,107,956	4,675,353
योग (अ) . .	4,107,956	4,675,353	—	—	4,107,956	4,675,353
(ब) अन्य उचिष्ट निवेष :						
(अ) अनुसंधान कोष .	680,250	680,250	—		680,250	680,250
(ब) पदक एवं पुरुष्कार कोष .	655,501	388,821	90,637	86 716	746,138	475,537
(स) वैज्ञानिक अनुसंधान कोष	224,654	228,682	4,028	—	228,682	228,682
(द) अन्य . . .	2,884,883	1,709,516	165,952	478,592	3,050,835	2,188,108
योग (ब) . .	4,445,288	3,007,269	260,617	565,308	4,705,905	3,572,577
कुल योग (अ) + (ब) .	8,553,244	7,682,622	260,617	565,308	8,913,861	8,247,930

दि इंस्टीट्यूट आफ़ चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस आफ़ इंडिया
नई दिल्ली

अनुसूची "सी"—निवल चालू सम्पत्ति
(राशि रुपयों में)

विवरण			31-3-1989		31-3-1988
चालू सम्पत्ति					
(अ) प्रकाशन, अध्ययन सामग्री एवं स्टेशनरी			4,521,986		4,190,526
(ब) प्राप्य राशि					
(1) निवेषों पर ब्याज . . .	1,555,453		1,638,250		
(2) भवन एवं वाहन ऋणों पर ब्याज . .	1,176,795		957,716		
(3) अन्य	1,682,330	4,414,578	2,350,763	4,946,729	
(स) ऋण एवं अग्रिम .					
(1) कर्मचारियों को अग्रिम					
भवन एवं वाहन ऋण . .	5,520,064		4,731,387		
अन्य	339,734	5,859,798	223,278	4,954,665	
(2) ऋण छात्रवृत्तियां . . .	—		33,259		
(3) अन्य	2,990,281	2,990,281	2,616,113	2,679,372	
(द) नकद एवं बैंक बकाया . . .		2,251,760		7,571,389	
योग : .		27,038,403		24,342,681	
घटायें : चालू देयताएं					
(अ) अग्रिम		15,896,427		14,06,552	
(ब) व्यय के लिए ऋणदाता . . .		6,829,503		5,127,013	
(स) अन्य देयताएं		1,775,179		2,184,047	
योग : .		21,501,109		21,317,612	
निवल चालू सम्पत्ति . . .		2,537,294		3,025,069	

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स आफ इंडिया
नई दिल्ली
अनुसूची "डी"-पूंजी रिजर्व

(राशि रुपयों में)

विवरण	31-3-1989	31-3-1988
(अ) सामान्य		
पिछले खाते के अनुसार शेष	2,846,006	17,533,324
जमा : प्रवेश शुल्क एवं नियमित एन्ट्रेंस फीस	1,154,000	1,254,400
जमा : भवनों के लिये दान	(342,129)	3,038,282
घटाइये : हटाये गये सदस्यों के प्रति	19,890	
काया एन्ट्रेंस शुल्क का समायोजन योग (अ)	23,522,245	2,846,006
(ब) शिक्षा :		
पिछले खाते के अनुसार शेष	6,534,627	5,646,627
जमा : शिक्षा कोष से स्थानान्तरण	2,421,218	888,000
योग (ब)	8,955,845	6,534,627
कुल योग (अ+ब)	32,478,090	28,380,633

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया
नई दिल्ली
अनुसूची "ई"—सामान्य जमा

(राशि रुपयों में)

विवरण	31-3-1989	31-3-1988
पिछले खाते के अनुसार शेष	18,151,937	13,934,063
जमा : आय और व्यय खाते में अधिशेष (बकाया) का स्थानान्तरण	1,958,540	4,757,874
घटाये :		
विनिर्दिष्ट कोष को स्थानान्तरित राशि	(200,005)	
योग	19,910,477	18,151,937

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया
नई दिल्ली
अनुसूची "एफ" —अन्य जमा

(राशि रुपयों में)

विवरण	31-3-1989	31-3-1988
पिछले खाते के अनुसार शेष/	2,233,014	1,935,319
जमा : वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ समायोजन	356,225	376,183
	2,589,239	2,311,502
घटाइये :		
उचिष्ट कोष को स्थानान्तरण	—	(78,488)
योग	2,589,239	2,233,014

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स आफ इंडिया
नई दिल्ली
अनुसूची "जी"—उचिष्ट कोष

(राशि रुपयों में)

विवरण	31-3-1989	31-3-1988
(अ) शिक्षा कोष :		
पिछले खाते के अनुसार शेष	4,675,353	3,447,709
आय व व्यय खाते से स्थानान्तरण	1,365,617	1,673,131
वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	467,535	344,770
	6,508,505	5,465,610
पूंजी रिजर्व को स्थानान्तरण	(12,421,218)	(888,000)
समायोजन	20,669	97,743
योग (अ)	4,107,956	4,675,353
(ब) अन्य उचिष्ट कोष :		
(अ) अनुसंधान कोष	680,250	680,250
(ब) पदक एवं पुरस्कार कोष :		
पिछले खाते के अनुसार शेष	475,537	402,873
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	266,500	55,000
वर्ष के दौरान अर्जित आय	62,881	40,610
	804,918	498,483
घटाए : पुरस्कृत पदक एवं पुरस्कारों की लागत	(58,780)	(22,946)
	746,138	475,537
(स) वैज्ञानिक अनुसंधान कोष		
पिछले खाते के अनुसार शेष	228,682	228,682
(द) अन्य		
1. पिछले खाते के अनुसार शेष	2,188,108	1,979,667
2. वर्ष के दौरान अतिरिक्त	508,784	347,764
3. सामान्य/अन्य रिजर्वों से स्थानान्तरण	200,000	78,488
4. समायोजन	3,142	(2,96,445)
जमा : वर्ष के दौरान अर्जित आय	223,878	81,934
	3,123,912	2,191408
घटाए : वर्ष के दौरान खर्च	(73,077)	(3,300)
	3,050,835	2,188,108
योग (ब)	4,705,905	3,572,577
कुल योग (अ) + (ब)	8,813,861	8,247,930

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया

नई दिल्ली

अनुसूची "ग्ग"

31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के आय और व्यय के लेखे का अनुलग्नक

विवरण	योग		सदस्य				विद्यार्थी	
	31-3-1989	31-3-1988	रेगुलेटरी		व्यावसायिक विकास एवं अनुसंधान			
			31-3-1989	31-3-1988	31-3-1989	31-3-1988	31-3-1989	31-3-1988
1. आय :								
1. प्रवेश शुल्क नियमित	387,400	484,400	387,400	484,400	—	—	—	—
2. सदस्यता शुल्क	19,258,400	17,624,283	19,258,400	17,624,283	—	—	—	—
3. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुल्क	29,100	13,400	—	—	29,100	13,400	—	—
4. विद्यार्थी पंजीकरण शुल्क	1,686,500	1,538,295	—	—			1,686,500	1,538,295
5. विद्यार्थी संघ शुल्क	139,900	127,530	—	—			139,900	127,530
6 कोचिंग शुल्क	13,594,992	12,304,188	—	—			13,594,992	12,304,188
7. परीक्षा शुल्क	11,540,266	10,559,184					11,540,266	10,559,184
8. जर्नल एवं न्यूज लेटर	906,121	769,612					906,121	769,612
9. प्रकाशन	4,253,112	4,082,724	26,425		1,328,823	1,498,144	2,897,864	3,584,580
10. निवेशों पर ब्याज (अनुसंधान एवं बोर्ड)	170,149	174,458			104,148	104,561	66,001	69,89
11. परिषद् एव क्षेत्रीय परिषद्	87,600	—	87,600					
12. अन्यत:	1,218,851	1,272,480	8,312	3,863	517,703	750,339	692,836	518,278
उप योग से	53,272,391	48,950,554	19,768,137	18,112,546	1,979,774	2,366,444	31,524,480	28,471,564
13. सामान्य कोष निवेश से आय (निगमित)	3,001,242	2,394,966	1,560,646	1,149,584	—	—	1,440,596	1,245,382
उप योग	56,273,633	51,345,520	21,328,783	19,262,130	1,979,774	2,366,444	32,965,076	29,716,946
14. समय से पहले के समायोजन	671,881	174,276	121,242	—	228,420	55,300	322,219	118,976
योग :	56,945,514	51,519,796	21,450,025	19,262,130	2,208,194	2,421,744	33 287,295	29,835,922

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इन्डिया
नई दिल्ली

अनुसूची "आई"

31 मार्च 1989 को समाप्त हुए वर्ष के लिये आय और व्यय के लेखे का अनुलग्नक

विवरण	योग		सदस्य				विद्यार्थी	
			रेगूलेटरी		व्यावसायिक विकास एवं अनुसंधान			
	31-3-1989	31-3-1988	31-3-1989	31-3-1988	31-3-1989	31-3-1988	31-3-1989	31-3-1988
2. खर्चे :								
1. वेतन एवं कर्मचारी व्यय	20,380,166	17,053,282	3,354,004	3,191,996	4,946,734	3,681,786	12,079,428	10,179,500
2. छपाई एवं स्टेशनरी	1,418,455	1,277,002	97,976	194,123	700,693	615,178	619,786	467,701
3. प्रकाशन	2,344,014	1,687,184	478,646	349,799	835,575	413,863	1,029,793	923,522
4. जरनल एवं न्यूजलेटर	4,797,038	3,333,995	—	—	4,052,358	2,818,606	744,680	515,389
5. कोचिंग (वेतन एवं कर्मचारी व्यय को छोड़कर)	3,530,845	3,373,103	—	—	—	—	3,530,845	3,373,103
6. परीक्षा (वेतन एवं कर्मचारी व्यय को छोड़कर)	7,504,701	6,442,197	—	—	—	—	7,504,701	6,642,197
7. डाक, टेलीफोन एवं तार	1,937,070	1,619,994	415,621	341,554	621,561	531,887	899,888	746,553
8. किराया, दर एवं कर	2,021,887	2,056,450	354,091	390,874	808,234	760,589	859,562	904,98
9. मरम्मत एवं रखरखाव	859,857	803,732	153,318	176,430	338,257	249,938	368,282	377,364
10. मूल्यह्रास	2,115,996	1,929,645	529,000	482,412	529,000	482,412	1,057,996	964,821
11. यात्रा एवं परिवहन								
(अ) परिषद् के सदस्य	1,532,996	1,886,673	311,667	485,083	794,156	949,261	427,173	452,329
(ब) कर्मचारी एवं अन्य	867,161	597,037	160,037	92,263	324,976	208,316	382,148	296,458
12. पुस्तकालय रखरखाव	122,955	113,252	—	—	76,664	63,613	46,291	49,639
13. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध	623,379	588,974	—	—	623,379	588,974	—	—
14. व्यावसायिक शुल्क	426,986	231,008	178,632	47,778	115,971	93,941	132,383	89,29
15. चुनाव	1,060,388	—	1,060,388	—	—	—	—	—
16. अन्य	1,946,203	1,999,531	—	—	1,127,192	1,326,648	819,011	672,883
उपयोग :	53,490,097	44,993,059	7,093,380	5,752,312	15,894,750	12,785,012	30,501,967	26,455,735
17. समय-पूर्व समायोजन	131,260	95,732	9,291	13,213	67,875	48,594	54,094	33,925
योग :	53,621,357	45,088,791	7,102,671	5,765,525	15,962,625	12,833,606	30,556,061	26,489,660

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली

31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष में वित्तीय स्थिति में परिवर्तनों का विवरण

(लाख रुपयों में)

	1988-89	1987-88
कोषों का श्रोत		
निवेषों से निवल आय	38.34	30.14
(पूंजी एवं राजस्व दोनों खातो पर)		
प्राप्तव्य पूंजी	28.32	48.73
कार्यगत पूंजी में कमी	4.88	--
उप योग	71.54	78.87
वर्ष का अधिक्य-बिना मूल्यह्रास लागू किये गए तथा निवेषों पर उपरक्षित आय पर विचार करते हुए	27.58	61.90
योग	99.12	140.77
कोषों का विनियोग		
कार्यशील पूंजी में वृद्धि	--	14.44
स्थायी सम्पत्ति का अधिग्रहण	59.75	71.74
निवेषों का अधिग्रहण	39.37	54.59
योग	99.12	140.77

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया

नई दिल्ली

कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण

(लाख रुपयों में)

	1988-89	1987-88
चालू सम्पत्तियां		
(अ) प्रकाशन, अध्ययन सामग्री एवं स्टेशनरी	03.32	07.21
(ब) प्राप्त होने वाली राशि		
(1) निवेषं पर ब्याज	--00.83	04.28
(2) भवन ऋण इत्यादि पर ब्याज	02.19	01.49
(3) अन्य	--06.69	0[illegible].16
(स) ऋण एवं अग्रिम :		
(1) कर्मचारियों का अग्रिम	09.05	07.68
(2) विद्यार्थियों को ऋण छात्रवृत्ति	--00.33	--00.13
(3) अन्य	03.44	07.27
(द) नकद एवं बैंक बकाया	16.80	26.08
योग	26.95	57.04
चालू देयताएं :		
(अ) अग्रिम प्राप्त शुल्क	18.90	32.41
(ब) व्यय के लिए ऋणदाता	17.02	06.45
(स) अन्य देयताएं	--04.09	03.74
योग	31.8[illegible]	42.60
चालू पूंजी में निवल कमी/वृद्धि	--04.88	14.14

दी इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया

नई दिल्ली

वर्ष 1988-89 में सदस्यों पर खर्च का विश्लेषण

क्रमांक	विवरण		1988-89		1987-88
1.	(अ) सदस्यों की संख्या		52,713		48,856
	(ब) कुल खर्च×	रु०	23,065	रु०	18,599
2.	प्रति सदस्य कुल खर्च	रु०	4[illegible]8	रु०	381
3.	रेगुलेटरी				
	(अ) कुल खर्च×	रु०	7,102	रु०	5,766
	(ब) प्रतिशत		31%		31%
4.	व्यवसायिक विकास एवं अनुसंधान				
	(अ) कुल खर्च×	रु०	15,963	रु०	12,934
	(ब) प्रति सदस्य खर्च	रु०	303	रु०	263
	(स) प्रतिशत		69%		69%

×हजार रुपयों में

एम.सी. नरसिम्हन, सचिव

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 1989

(Chartered Accountant)

No. 1-CA(5)/40/89:—In pursuance of Sub-section (5) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949, a copy of the Report and the Audited Accounts of the Council for the year ended 31st March, 1989 is hereby published for general information:

40TH ANNUAL REPORT OF THE COUNCIL FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 1989

The Council of the Institute of Chartered Accountants of India has great pleasure in persenting its 40th Annual Report for the period 1st April, 1988 to 31st March, 1989. The report

highlights the important activities of the Institute, the Council and its various committees, seminars and conferences held, training programmes conducted during the year and essential statistics relating to members and students. Even though most of the information contained in the Report relates to this period, the activities of the Institute upto September, 1989 have also been briefly mentioned.

The Institute of Chartered Accountants of India was established by the Central Government in 1949, by an Act of Parliament, to regulate the profession of chartered accountancy. The main functions of the Institute are:

(1) To lay down qualification for membership of the Institute.

(2) To conduct examinations prescribed for obtaining membership of the Institute.

(3) To prescribe and provide for training for membership of the Institute.

(4) To register persons, who have passed the prescribed examinations and have completed the training, as members of the Institute.

(5) To recognise the examinations and training of foreign accountancy bodies.

(6) To exercise disciplinary control over members and to enforce professional standards.

In addition to these statutory functions, the Institute also —

(1) Lays down Accounting Standards and Auditing Practices for the profession and enforces the standards.

(2) Conducts research on various subjects concerning the accountancy profession, viz., Taxation, Company Law, Auditing Practices, Accounting Standards, etc.

1. THE COUNCIL

1.1 Members of the Council and its various committees

The 13th Council which was constituted on 17th September, 1985 stood dissolved on 16th September, 1988 and the 14th Council was constituted on 17th September, 1988 for a period of three years. The present Council consists of 24 Fellow Members of the Institute elected from the five regional constituencies and six members nominated by the Central Government. The composition of the two Councils is given in Appendices I & II respectively.

The Council is deeply grieved to mourn the sad and sudden demise on 17th August, 1989 of one of its members Shri M.L. Singhi, who got elected to the 14th Council in September 1988. He had earlier served on the 12th Council as a Government nominee during the year 1983-84.

Shri Singhi was the Chairman of the Company Law Committee, Vice-Chairman of the Research Committee and a member of the Examination Committee during the year under report. He was also associated with various private and public sector companies as its Director.

1.2 President and the Vice-President

Shri S.K. Dasgupta continued to hold the office of the President of the Institute from 1st April 1988 till 16th September, 1988. Shri K.G. Somani continued as Vice-President during the same period. At its 136th meeting held on 17th September, 1988, the Council elected Shri K.G. Somani as President and Shri A.H. Dalal as Vice-President respectively for a term of one year with effect from 17th September, 1988.

The Council wishes to place on record its appreciation of the services rendered by Shri S.K. Dasgupta as President and Shri K.G. Somani as Vice-President.

1.3 Secretary

Shri R.L. Chopra continued as Secretary of the Institute till 30th September, 1988 on which date be retired after a distinguished service spanning over 36 years. Shri M.C. Narasimhan took over as Secretary from 1st October, 1988.

1.4 Committees

In its first meeting held on 17th September, 1988, the 14th Council constituted three Standing Committees viz., the Executive Committee, the Examination Committee and the Disciplinary Committee; besides other committees to deal with various matters like taxation, company law etc. were also set up. The list of these committees and their composition is given in Appendix III.

1.5 Meetings of the Council

During the year the Council held six meetings as per details given below:

No. of the Meeting	Dates	Place
133rd	28th, 29th and 30th April 1988	New Delhi
134th	9th and 10th August 1988	New Delhi
135th	13th, 14th, and 15th and 16th September, 1988	New Delhi
136th	17th September, 1988	New Delhi
137th	15th, 16th and 17th December 1988 March, 1789	New Delhi
138th	9th, 10th and 11th March, 1989	Ahmedabad

1.6 Auditors

Shri M.R. Venkataraman and Shri O.P. Mehra were reappointed as auditors for the year under Report.

2. INTERNATIONAL RELATIONS

2.1 International Federation of Accountants (IFAC)

Since 1977 India is a member of the International Federation of Accountants. During the year under report, Shri A.C. Chakrabortti, a former President of the Institute, represented the Institute on the Council of IFAC. Shri P.A. Nair and Shri R. Balakrishnan, former Presidents of the Institute continued to be representatives on the Education Committee and the Auditing Practices Committee of IFAC, respectively. A meeting of the Council of IFAC was held at New Delhi on 14th & 15th November, 1988. The meeting was attended by 36 members and their technical advisers. The Institute is also a member of the International Accounting Standards Committee (IASC). Shri S.K. Dasgupta, a former President, continued to be a member of the Task Force to review relationships between IFAC and IASC.

2.2 Confederation of Asian and Pacific Accountants

The Institute is also a member of the Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) since its inception in 1976. India is represented on the Executive Committee of CAPA through the sister Institute viz., the Institute of Cost & Works Accountants of India. The Institute is sending a delegation to attend the XII CAPA Conference to be held in Seoul, Korea from 17- 20 September, 1989. A former President of the Institute, Shri S.K. Gupta, will be acting as a Commentator on "Issues in Public Sector Accounting".

2.3 South Asian Federation of Accountants (SAFA)

The Institute of Chartered Accountants of India is one of the founder members of the SAFA which was established in 1984. Shri K.G. Somani, President, represents the Institute on the SAFA Assembly. Shri A.H. Dalal, Vice-President is the Chairman of the Study Group on Taxation in SAFA countries. A meeting of SAFA Assembly was held in Kathmandu, Nepal on October 26, 1988. It was reported at the said meeting that a Study Team had been constituted by His Majesty's Govt. of Nepal to make suitable recommendation and to draft a legislation for the purpose of setting up an Institute of Chartered Accountants of Nepal. One of the important decisions taken at the meeting was the location of SAFA Secretariat in India for a period of 3 years. At the SAFA Assembly meeting held at Bombay on January 25, 1989, Shri V. Kalyanaraman of the Institute of Cost & Works Accountants of India was elected as President and Shri Mian Mumtaz Abdullah of the Institute of Cost & Management Accountants of Pakistan was elected as the Vice-President of SAFA for 1989. At the Assembly meeting held in Islamabad, Pakistan on May 20, 1989, the Institute presented a Report on Comparative Study of Taxation is SAFA Countries, Shri K.G. Somani, President, Shri A.H. Dalal, Vice-President, Shri M.C. Narasimhan, Secretary and Shri Kamal Gupta, Technical Director attended the Assembly meeting. In continuation of the SAFA Assembly at Islamabad, a seminar on "Corporate Reporting in SAFA Countries" was organised jointly by the two accounting bodies of Pakistan. Shri H.M. Damania, a former Council Member from Bombay, presented a paper on "Corporate Reporting in SAFA Countries" at the seminar.

3. PROFESSIONAL DEVELOPMENT

3.1 General

Given below is a brief resume of the professional development activities of the Institute which are carried through the various non-standing committees of the Council. The professional development activities of the Regional Councils and branches are not included here as they form part of the reports of those bodies.

3.2 Accounting Standards Board

3.2.1 Since its formation in 1977, the Accounting Standards Board has brought out the following 11 standards. They are:—

Disclosure of Accounting Policies (AS-1)

Valuation of Inventories (AS-2)

Changes in Financial Position (AS-3)

Contigencies and Events Occurring after the Balance Sheet Date (AS-4)

Prior Period and Extraordinary Items and Changes in Accounting Policies (AS-5)

Depreciation Accounting (AS-6)

Accounting for Construction Contracts (AS-7)

Accounting for Research and Development (AS-8)

Revenue Recognition (AS-9)

Accounting for Fixed Assets (AS-10)

Accounting for the effects of Changes in Forei n Exchange Rates (AS-11)

The last Standard (AS-11) was issued during the current year.

3.2.2 Implementation of Accounting Standards

In pursuance of its efforts to implement the Accounting Standards, the Council of the Institute at its 120th meeting held in September, 1987 decided that AS-4 on "Contingencies and Events Occurring After the Balance Sheet Date "and AS-5 on "Prior Period and Extraordinary Ite ms and Changes in Accounting Policies" issued b the Institute should be mandatory in respect of accounts for periods commencing on or after 1-1-1987. It is intended to make other standards also mandatory in a phased manner. With a view to give wide publicity about the utility of Accounting Standards, a publicity brochure has been circulated among various organisations.

3.2.3 The following draft Accounting Standards are at various stages of consideration by the Board.

—Accounting for Government Grants

—Accounting for Investments

—Accounting for Amalgamations

—Retirement Benefits in the Financial Statements of Employers

—Reporting Financial Information by Segment

—Accounting for Taxes on Income

3.3 Auditing Practices Committee

3.3.1 During the year the Council approved publication of the following Statements on Standard Auditing Practices, formulated by the Auditing Practices Committee.

(a) Statement on Standard Auditing Practices (SAP-7)—Relying Upon the work of an Internal Auditor.

(b) Statement on Standard Auditing Practices (SAP-9)—Audit Planning.

(c) Statement on Manufacturing and Other Companies (Auditor's Report) Order, 1988.

3.3.2 Statements on Standard Auditing Practices and Guidance Notes on the following subjects are at various stages of formulation:

—Using the work of another Auditor

—Responsibility of Joint Auditors

—Analytical Review

—Using the work of an Expert

—Auditing in an EDP Environment

—Audit of Inventories

—Audit of Debtors, Loans and Advances

3.4 Research Committee

3.4.1 During the year, the following Guidance Notes have been issued by the Research Committee of the Institute:

(a) Guidance Note on Accounting for Leases

(b) Guidance Note on Accounting Treatment for Excise Duty (Revised)

3.4.2 A large number of studies have been taken by the Research Committee and are at various stages of progress. Specific mention may be made of the studies on Payment of Bonus Act, 1965; Accounting for Depreciation for Companies; and Accounting and Auditing Practices in various industries like Automobile, Drugs and Pharmaceuticals, Textiles, Sugar, Hotel, Automobile Tyre etc. In place of one Compendium of Statements and Standards on Accounting and Auditing, the Research Committee prepared and published two separate Compendiums during the year—one on Statements and Standards on Accounting and the other on Statements and Standards on Auditing.

3.4.3 As in the past, the Institute awarded prizes for the best presented accounts by companies and non-financial statutory corporations

for the year 1987-88. Silver Shield for the best presented Annual Report and Accounts was given to Oil India Limited. Plaques were awarded to the following companies—

—Britannia Industries Ltd.

—Indian Petrochemicals Corporation Ltd.

—Madras Refineries Ltd.

Amongst banks and financial institutions, the Industrial Finance Corporation of India was adjudged as the best entry.

3.5. **Professional Development Committee**

3.5.1. **Empanelment procedure and other matters relating to audit of accounts of branches of nationalised banks and regional rural banks.**

The Committee has taken up with the authorities the matter regarding collecting information from members of the Institute who are in practice by inviting applications in the format prescribed for empanelment as auditors of public sector banks and their branches, including statutory central audit and branch audit of Regional Rural Banks (RRBs) for the year 1989-90 in accordance with the guidelines so laid down. The information so collected from members in the prescribed application form would be computerised at Bombay Office. The panel of auditors would be sent to the authorities by the end of December, 1989 to facilitate allotment of audits. The Committee also took up a number of issues regarding the empanelment with the authorities on the basis of representations received from the members.

3.5.2. The President met the Governors of Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh; Chief Ministers of Andhra Pradesh and Karnataka and other senior officials of various State Governments and impressed upon them the areas where the Institute's members could assist the State Governments particularly to arrest the delay in presenting the accounts to the State authorities.

3.5.3. **Continuing Education Programmes for the year 1989**

As a part of the Continuing Education Programme for the year 1989, a series of Seminars were organised at regional offices, branches and other important cities to discuss various aspects of Concurrent/Inspection/Revenue audit of banks in collaboration with the Regional Councils. Uniform and detailed background material compiled by the Technical directorate was distributed among the participants.

A series of seminars to discuss various aspects of audit of General Insurance Companies and Life Insurance Corporation were also organised in collaboration with Regional Councils.

3.5.4. The Department of Banking, Reserve Bank of India and Indian Banks' Association were approached to attend to the procedural difficulties for the members employed in the Banking Industry. Efforts have been made to ensure that remuneration payable for Inspection/-Branch Audit etc. is appropriately revised from time to time.

3.6 **Committee for Members in Industry**

The Institute organised the following courses during the year under report:

(i) A Residential Course for Finance and Accounts Executives in Industry at Shillong during March 24-28, 1989, which was attended by 27 senior executives from private and public sector.

(ii) An All India Conference on Corporate Management Accounting at Bangalore from July 23-24, 1989 which was attended by about 200 delegates. The Conference was inaugurated by Hon'ble Shri M. Arunachalam Union Minister of State for Industrial Development.

3.7 **Company Law Committee**

3.7.1 The Institute conducted the 12th Residential Course on Taxation and Company Law from June 8-12, 1989 at Srinagar in which 34 delegates representing industry and profession took part.

3.7.2 The Institute also finalised the draft abridged Format of Prospectus for the purpose of damended Section 56 of the Companies Act and submitted the same to the Department of Company Affairs for its consideration. Consequent to the amendment of Section 219 of the Companies Act, the Institute prepared an abridged format of balance sheet and profit & loss account to be sent to the shareholders by the company and submitted the same to the Department of Company affairs. Based on it, they have finalised the same.

3.7.3 The Company Law Committee has undertaken a study of the provisions of the Sick Industrial Companies (Special Provision) Act; which is of interest to the profession.

3.8 **Taxation Committee**

3.8.1 The Committee organised the 20th All India Seminar on Taxation and Company Law at Jaipur from 27th to 28th August, 1988. The theme of the Seminar was "Corporate and Taxation Laws—Changing Scenario". Inaugurated by His Excellency the Governor of Rajasthan, the Seminar was well attended by the participation of eminent personalities. Topics like Texation of Business Income, Recognition of Accounting Standards, Managerial Remuneration, Depreciation and Inter-Corporate Deposits, Depreciation and Investment Deposits etc. were discussed. Hon'ble Chief Justice of Rajasthan High Court was the Chief Guest at the Concluding Session of the Seminar.

3.8.2 The Twelfth Residential Course on Taxation and Company Law took place at Centaur Lake View Hotel. Srinagar from 8th June to 12th June, 34 delegates from different parts of the country participated in the course.

Efforts have been made to have greater participation of the members. It would be the endeavour to ensure various programmes at moderate participation fees'.

3.8.3. **Ahmedabad Seminar**

The 21st All India Seminar on Taxation and Company Law was held at Ahmedabad from 4th to 6th August, 1989. The Seminar which was inaugurated by H.E. Shri R.K. Trivedi, Governor of Gujarat, was attended by about 670 delegates. The Seminar had six technical sessions—four devoted to Taxation and two dealt with the topics relating to Company Law. S/Shri O.P. Bhardwaj, Member CBDT; P.A. Nair, former, President of the Institute; N.C.S. Raghavan and B.K. Bakshi, Collector of Central Excise & Customs, Chaired the sessions on Taxation and Justice B.J. Diwan, Retd. Chief Justice, Gujarat High Court and Shri C.R. Sundararajan, Joint Secretary, Department of Company Affairs Chaired the sessions on Company Law. Eminent persons from the profession acted as Rapporteurs and paper-writers. The valedictory address was delivered by Shri Raminklal H. Ambani, Jt. Managing Director, Reliance Industries Ltd.

3.8.4 **Central Budget**

The Institute submitted the pre-budget memorandum to the Union Finance Minister, Minister of State for Finance and concerned officials in the Ministry on 30th January, 1989.

On 18th January, 1989, a delegation from the Institute consisting of Shri K.G. Somani, President, Shri A.H. Dalal, Vice-President, Shri N.C. Sundararajan, Chairman Taxation Committee, and others called on the Finance Minister and presented the highlights of the Institute's pre-budget memorandum and the Memorandum on Direct Tax Laws (Amendment) Bill, 1988. The Chairman of the Central Board of Direct Taxes and other senior officials of the Board were present during the discussion. In response to the invitation from the Finance Minister, the President of the Institute also attended a pre-budget consultation meeting organised by the Ministry of Finance on 23rd January, 1989.

The post-budget memorandum of the Institute was submitted to the Finance Minister as well as the Chairman, Central Board of Direct Taxes and other concerned authorities on 10th April, 1989.

3.8.5. On 14th December, 1988, the Institute submitted a Memorandum to the Central Board of Direct Taxes on the need for setting up of an independent Tax Commission in the country.

3.8.6. The Institute submitted representations to the Central Board of Direct Taxes pointing out difficulties likely to arise out of the change over to accrual method of accounting by Companies. Requests were made for the issue of appropriate circulars/Guidance to Assessing Officers to allow the spread over of the additional tax liability arising as a result of the implementation of the change, over a period of 3 years, wherever the circumstances of the case justify such a step.

3.8.7 The Institute made a representation to the Revenue Secretary drawing his attention to the clarification issued by the Company Law Department to the effect that the rates of depreciation as contained in Schedule XIV to the Companies Act should be viewed as minimum rates and that higher rates could be changed only where the technological evaluation justifies such a step. As this view prevents the companies from changing higher depreciation in all cases for

Income-tax purposes, additional tax liability arises by virtue of Section 115J and the representation therefore pleaded that for the purposes of Section 115J depreciation under Section 32(1) of the Income-tax Act should be taken into account in all cases.

3.8.8 Representation was also made to the Government urging the appointment of eminent and experienced members of the profession as members of the Settlement Commission.

3.8.9 The Institute also represented to the Central Board of Direct Taxes about the difficulties and doubts that have arisen in the context of Section 32AB of the Income-tax Act. Similarly, a representation was also made for amendment of relevant forms consequent to the changes made in the Direct Tax Laws (Amendment) Act, 1987 and the Finance Act, 1988.

3.8.10. The Institute represented several times, in different forums, the need for harmonisation of the provisions of the Companies Act and the Income-tax Act in the wake of the Amendment made in these Acts. The urgent necessity for such harmonisation was pointed out during the course of the discussions, on different occasions, with the Finance Minister; Chairman, Central Board of Direct Taxes and other officials of the Ministry of Finance.

3.9. Continuing Professional Education Committee

3.9.1 Seminars & Courses

In its efforts to provide continuing education to the members, the Committee organised a number of seminars and courses in different parts of the country, during the year under report. The details of such seminars/courses are given at Appendix IV.

3.9.2 Results of Post Graduate Courses

The examinations for the Management Accountancy Course (Part I) under the revised (syllabus were held in May and November, 1988 and for the Corporate Management and Tax Management Courses in November, 1988. The following tables give a summary of results of the examinations held in May and November, 1988:

TABLE 'A' —Management Accountancy Course (Part I)

GROUPS	MAY, 1988			NOVEMBER, 1988		
	No. of Candidates appeared	Passed	Percentage	No. of candidates appeared	Passed	Percentage
1. BOTH GROUPS :	22			19		
Passed in—						
Both Groups		10	45		11	58
Group I only		9			6	
Group II only		2			2	
2 GROUP I	20	17	85	24	17	71
3 GROUP II	10	4	40	11	2	19

TABLE 'B' Corporate Management & Tax Management Courses (Part I)—November, 1988

GROUPS	CORPORATE MANAGEMENT			TAX MANAGEMENT COURSE		
	No. of candidates appeared	Passed	Per centage	No. of candidates appeared	Passed	Percentage
1. BOTH GROUPS :	2			8		
Passed in—						
Both Groups		1	50		Nil	Nil
Group I only		Nil			3	
Group II only		1			Nil	
2. GROUP I	Nil	Nil	Nil	7	2	
3. Group II	1	Nil	Nil	7	Nil	Nil

3.9.3 Practical Training for Post Graduate Courses

During the year, the following candidates registered themselves for receiving practical Training under Part II of the Post Graduate Courses:

Course	Number of candidates registered
Management Accountancy Course	15
Corporate Management Course	1
Tax Mnagement Course	7

3.9.4 Merit Scholarships

The Committee, under the incentive scheme of the Management Accountancy Course, granted scholarships of Rs. 500 each to 10 candidates during the year. This scheme has also been extended to the Corporate Management and Tax Management Courses. During the year, 3 candidates for the Corporate Management and 2 candidates for the Tax Management Course were granted scholarships of Rs. 500 each.

3.9.5 Management and Economic Digest

The Institute is publishing the Management & Economic Digest containing abstracts of important articles on contemporary issues in Management and Economics. Since September, 1988 four issues of the Digest have been brought out. On an average, 1200 copies of this quarterly publication are circulated at an annual subscription of Rs. 60.

3.9.6 In-house Computer Centres

In-house Computer Centres have been set up at the Regional Offices of the Institute, i.e., Bombay, Madras, Calcutta, Kanpur and New Delhi to provide properly designed courses for the members and students of the Institute. The Computer Centre at Delhi started its operations during the year under report. A three-tier training programme is envisaged to impart thorough training to the participants, in the use of computers for undertaking the professional work of an accountant. There has been an encouraging response to the large number of programmes organised by these centres. In addition to the courses for members and students, the centres are also conducting a limited number of inhouse training programmes for officials of the Government Departments, Banks, Public Sector Undertakings, etc. The details about the number of persons trained during the year are given at Appendix V.

3.10 Expert Advisory Committee

3.10.1 Since the submission of the last report in September, 1988 the Committee received 53 queries for its consideration. There were 20 queries already pending for consideration by the Committee. During the period of this report, the Committee disposed of 50 queries.

3.10.2 The "Compendium of Opinions" Volume VIII, containing the opinions of the Committee issued between the period September 1987 to September, 1988 along with a composite subject-wise alphabetical index of the opinions contained in all the earlier seven volumes is also being released for sale.

3.10.3 Brief versions of the important opinions of the Committee are being published in the Journal of the Institute "The Chartered Accountant" from time to time for information of the readers.

3.11 Ethical Standards Committee

3.11.1 Revised Code of Conduct

During the year under report the Institute brought out the revised edition (8th) of the Code of Conduct for guidance of members and students. The Code is essentially a set of ethical standards regulating the relationship of chartered accountants with their clients, employers, employees, fellow members and public generally. The ethical requirements of any accountancy body should be based on integrity, objectivity, independence, confidentiality, high technical standards, professional competence and above all on ethical behaviour. The Chartered Accountants Act, 1949 and the Schedules thereto set out the acceptable norms of behaviour by members of the profession. However, during the last 40 years since the Act came into force, certain principles and conventions have been voluntarily established by the members of the profession which have enhanced the respect and confidence enjoyed by it. The Council of the Institute has been adhering to these principles strictly in order to maintain the reputation of the profession. The revised Chartered Accountants Regulations, 1988; the recent decisions of the Council in administering the Code of Conduct, the various statements and auditing practices and accounting standards etc., are reflected in the revised Code.

3.11.2 As in the past, the Ethical Standards Committee continued to examine queries from members on professional ethics and interpretation of the Code of Conduct and advised the members suitably. In particular, the following issues were considered and views expressed by the Committee:

(a) While considering the range of services the members could render in the area of merchant banking, it was decided that members should be allowed to render only counselling services but not actual banking activity.

(b) While considering the scheme of State Financial Corporations to deal with sick industries, the Committee decided that while members could render all assistance to the Corporations for restoring the industrial health of the units, they cannot act as promoters for sponsoring investors or bidders for the purchase of closed factories or their assets. They could only perform normal professional services on a job to job basis and receive fees accordingly.

(c) While permitting members to evaluate reports about the usefulness of computer software, the Committee decided that members should not report or publish it for promoting sales of the computer software.

3.12 University Liaison Committee

3.12.1 Joint Seminars with Universities

In its efforts to strengthen coordination between the Institute and the various universities in the country, the Institute organised seminars jointly with the following universities during the year:

(i) Mangalore University on "Financial Accounting and Control" from 27th to 29th March, 1989.

(ii) Gauhati University on "Accounting Standards and Role of Chartered Accountants in the Changing Profile of Society" on 8th April, 1989.

(iii) Saurashtra University on "Commerce Education and Accounting Profession" on 1st August 1989.

(iv) Kanpur University on "Taxation Policy and need for Coordination between the Professional and the Universities" 12th Aug. 1989.

3.12.2 Endowments

The Institute has created endowments in 26 universities for awarding gold medal/prizes to students securing the highest marks in Accountancy at the B. Com. examinations. During the year, endowments were created in Marathwada, Kurukshetra and Jodhpur Universities.

3.12.3 Recognition of C.A. Course

The Institute has been constantly in touch with the universities to get the chartered accountancy course recognised for Ph. D. programmes in universities. During the year, six universities *viz.*, Jiyaji University, Gwalior; North Bengal University, Darjeeling; Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore; University of Kashmir, Srinagar; Pondicherry University, Pondicherry; and Gandhiji University, Kottayam recognised the CA Course for Ph. D. programmes bringing the total number of universities recognising the CA Course to 37 in the country. A list of the universities which have so far recognised the C.A. Course for the purpose is given at Appendix VI.

3.12.4 Popularisation of CA Course

The Committee continued to make use of the publication "We care for you if you are career conscious" for popularising the CA Course amongst students.

4. OTHER MATTERS

4.1 Annual Meeting of the Institute

The 39th Annual Meeting of the Institute was held on 15th September, 1988 in the Convention Hall of Ashok Hotel under the chairmanship of the then President, Shri S.K. Dasgupta. Hon'ble Justice S. Ranganathan of the Supreme Court was the Chief Guest at the function. The Chief Guest presented shields and plaques to the companies and to the financial institutions which had won the awards for the best presented accounts. The Chief Guest also distributed prizes and medals to the meritorious students in the examinations conducted by the Institute.

4.2 Chartered Accountants Act and Regulations

The Chartered Accountants Regulations, 1964 have been replaced by the Chartered Accountants Regulations, 1988 with effect from 1st June, 1988. The Chartered Accountants Act, 1949 and the

Chartered Accountants Regulations 1988 have since been reprinted after incorporating all the amendments made till date.

4.3 New Examination Regulations

Following the Report of the Committee for Review of Education and Training, the Institute has decided to conduct a Foundation Examination for students who have passed the 10 2 examination in place of the Entrance Examination for graduates. The syllabus for the examination has also been settled.

The syllabi for the Intermediate and Final examinations have also been revised and updated. The Institute has framed the draft regulations for conducting the examinations under the revised pattern and syllabus. The Regulations are expected to come into force during the calendar year 1989.

4.4 New Building at NOIDA

The Institute has been facing acute shortage of accommodation since long. During the year, construction of a new building at NOIDA was started. Estimated to cost about Rs. 65 lakhs, the building is expected to be completed by December, 1989.

4.5 In-House Computer

The Institute arranged for a detailed systems study for computerisation of the work of the Institute. Based on this study, the Institute is considering computerisation of the operations in the decentralised offices as well as the head office. This is expected to greatly enhance the quality and speed of service to the members and students.

During the year, In-House Computers have been installed for computerisation of accounts and pay-rolls. The Institute has also installed a Desk Top Publishing System supported by a laser printer. The Desk Top Publishing System has immensely helped in speeding up the printing of the Institute's publications. It has also greatly enhanced the quality of the published material. The DTP Cell has successfully brought out six studies and three publications during the year.

4.6 Library

The Central Council Library continued to provide facilities to members and students. During the year 473 books were added to the Library at New Delhi bringing the total number of books in stock to 22823.

4.7 Journal

4.7.1. There has been an all round improvement in the quality and contents as also the general get-up of the Journal as a result of continuous efforts made towards making it a medium of effective communication to members and also to those in the academic world. As a means to promote subscription of the Journal, among corporate bodies, an advertisement was published in the financial Newspapers.

4.7.2. The Editorial Board decided to award the following prizes for the best articles published in Volume XXXVII (July 1988 to June 1989) of the Chartered Accountant.

Main Section

1st Prize (Rs. 1,500)	Shri N. Syamasundaran, Bangalore for his article "Excisability of Design Services & Installation Charges" (May, 1989 issue).
2nd Prize (Rs. 1,000)	Shri P.N. Shah, Bombay for his article "Direct Tax Laws—Need for Further Amendments" (October, 1988 issue).
3rd Prize (Rs. 500)	Shri Johnson Michael, Trichur for his article "Chit Funds Accounting and Auditing" (March, 1989 issue).

Students' Section

1st Prize (Rs. 750)	Shri K. K. Thukral, Ambala Cantt. for his article "Contributory" (April, 1989 issue)
2nd Prize (Rs. 500)	Shri Madhusudan Agarwal, Delhi for his article "Search & Seizure—Some Important Provisions" (July, 1988 issue)

4.7.3. As part of an effort to promote development of the profession, a series of promotional advertisements towards educating the public about the services available from chartered accountants have been planned and two advertisements in the series were published in the Journal.

4.8 Public Relations

4.8.1. The President addressed press conferences at Bombay, Madras, Ahmedabad, Calcutta, New Delhi, Bangalore, Kanpur, Jaipur and Dubai (U.A.E.) during the year to highlight the impor-

tant activities of the Council and to project the viewpoint of the Institute on various policy matters. Most of the leading newspapers carried the views of the Institute presented during such conferences. Comments of the Institute on matters concerning the profession were also put out through press statements from time to time.

4.8.2. The President and the Vice-President were interviewed at Doordarshan Kendras of Ahmedabad and Trivandrum on various aspects of professional responsibilities. In an interview telecast by Delhi Doordarshan, the President talked about the education and training requirements of chartered accountancy course.

4.9 Representations on Outside Bodies

The Institute is represented on various national and international bodies through its representatives. The details of such representations are given in Appendix VII to this Report.

4.10 Meetings with Important Dignitaries

The President and the Vice-President met various dignitaries including Central Ministers, Officials of Government Departments and State Chief Ministers during the year. The President met the Governors of Rajasthan, Gujarat, and Madhya Pradesh and the Chief Ministers of Karnataka and Andhra Pradesh during his visits to these States and discussed with them the role that chartered accountants can play in maintaining accounts of various State Government Undertakings. The President also met the Chairman of Securities & Exchange Control Board of India, Bombay and discussed with him the modalities of implementation of the Accounting Standards issued by the Institute. During his visits to the regional centres and branches, the President took the opportunity to meet important authorities in the states in connection with matters of professional importance.

4.11 12th All India Conference of Chartered Accountants

As a part of the continuing education programme, the Council organises All India Conferences of Chartered Accountants at intervals of three years in different places in the country. The Council has decided to hold the next (12th) All India Conference of Chartered Accountants at Bombay on 28th, 29th and 30th December, 1989. The theme of the Conference is "The Emerging Areas for the Profession". A Conference Committee under the Chairmanship of Shri K. G. Somani, President, has been appointed to organise the Conference.

4.12 Chartered Accountants' Benevolent Fund

Established in December, 1962, the Chartered Accountants Benevolent Fund provides financial assistance to needy persons who are or have been members of the Institute and their dependants. The assistance is provided for maintenance of the dependants, their educational needs, meeting medical expenses etc. The number of Life Members of the Fund has increased from 4174 on 1-9-1988 to 4901 on 1-9-1989. A sum of Rs. 2,12,100 was disbursed during the year to deserving persons. The balance in the fund as on 31-3-1989 was Rs. 30.57,458 as against a sum of Rs. 26,87,280 as on 31-3-1988.

4.13 S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund

During the year 1988-89, 60 scholarships of the value of Rs. 100 each per month were given to the students undergoing the Chartered Accountancy course. The membership of the Fund was 183 as on 31-3-1989. The balance in the credit of the Fund was Rs. 1,06,818 as on 31-3-1989 as against Rs. 97,957 as on 31-3-1988.

5. MEMBERS

5.1 Membership

During the year 4083 new members were enrolled by the Institute bringing the total membership to 53,134 on 31-3-1989. During the year 2192 Associates were admitted as fellows, compared to the figure of 1500 in the previous year. Details of membership are given below:

STATISTICS OF MEMBERS AS ON 1-4-1989

Category of Members	Fellows	Associates	Total of columns (2) and (3)
(1)	(2)	(3)	(4)
In Full time Practice	14,585	16,304	30,889
In part-time Practice	1,867	6,246	8,113
Not in practice	1,490	12,642	14,132
Grand Total	17,942	35,192	53,134

The region-wise distribution of members is given in Appendix VIII.

5.2 Deceased Members

The Council records with deep regret the sad demise of Shri M.L. Singhi, a sitting Member of the Council, on 17th August, 1989, and of Shri

P.T. Sampath Kumaran and Shri A.C. Basu, former Central Council Members, on 25th December 1988 and 27th April, 1989 respectively.

The Council is grieved to record the passing away of eight of its members aboard the ill-fated Indian Airlines flight from Bombay to Ahmedabad which crashed on 19th October, 1988 near Ahmedabad. It also records with deep sense of sorrow the passing away of several other members during the year. The names of the deceased members are listed in Appendix IX.

5.3 Disciplinary Committee

"Complaints" and "Informations" received are processed and submitted to the Council for opinion. If the Council, prima facie finds any member guilty of misconduct, the matter is referred to the Disciplinary Committee for enquiry and report. After the Disciplinary Committee submits its report, it is considered by the Council, after giving an opportunity both to the Complainant and the Respondent to submit their representations on the report of the Disciplinary Committee. Thereafter, a further opportunity is given to the Respondent before awarding punishment. Wherever necessary, the Council refers the matter to High Courts for further action. Details of the cases placed before the Council and the Disciplinary Committee during the year are given below:

1. Number of cases placed before the Council for its prima facie opinion	32
2. Number of cases referred to Disciplinary Committee for enquiry	17
3. Number of cases heard by the Disciplinary Committee	20
4. Number of Reports of Disciplinary Committee considered by the Council	26
5. Number of cases in which respondents have been found to be not guilty	16
6. Number of cases in which respondents have been found guilty and referred to High Courts	4
7. Number of cases in which respondents have been found guilty by the Council and punished	5
8. Number of cases referred to Disciplinary Committee for further reports	1

6. ARTICLED AND AUDIT CLERKS

6.1 Board of Studies

6.1.1 The number of students enrolled during the year registered an increase in comparison to the previous year, as follows:

Course	1988-89	1987-88
Intermediate	13,990	12,753
Final	3,694	4,951

The total number of students on the rolls of the Institute as on 31st March, 1989 stood at 58,218 compared to the figure of 48,660 as on 31st March, 1988.

6.1.2 The Institute continued to conduct, at its Regional offices and branches, intensified revisional classes for the Final and Intermediate Course students.

6.1.3 During the year, the Institute granted a large number of scholarships to deserving students. A number of members and organisations have donated various sums to the Institute to pay scholarships to the needy and deserving students undergoing C.A. Course.

Details of the scholarships awarded and the donors who have contributed towards the scholarship funds may be seen in Appendix X.

6.1.4 For the first time, the Board made available suggested answer volumes at 40 selected centres in the country in order to reach the students speedily. The Board also makes available revisional test papers at all the regional sale counters much ahead of the commencement of examinations. Even though the Board does not provide any correspondence course to the students of Entrance Examination, it continues to provide study material and assistance for the entrance examinees.

6.1.5 The Boatd has launched an audio-education programme for the students. Talks and literature on selected subjects are recorded on audio cassettes by the members of the Board's faculty, eminent members and academicians. During the year, 14 cassettes were produced and the response to the scheme is encouraging.

6.1.6 Translation of Study Material in Hindi

The Institute had sent some study material for the Entrance, Intermediate and Final courses

to the Director, Central Translation Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India, to ascertain whether the Bureau is in a position to translate the study material into Hindi. The Director has returned the study material regretting his inability to translate the material. The Institute is now negotiating with two publishers for translation, printing and publication of the study material in Hindi.

6.2 Employment Assistance

The Institute maintains Employment Registers at the decentralised offices in Bombay, Madras, Calcutta, Kanpur and New Delhi for providing employment assistance to all students who have completed their articleship and have passed the Intermediate Examination. A large number of students availed themselves of this facility during the year. Adequate publicity is given to this service so that more and more students could avail themselves of this facility.

6.3 All India Chartered Accountants Student's Conference

The 7th All India C.A. Student's Conference was organised at Hyderabad on 26th and 27th August, 1988. The conference was inaugurated by Justice Y.V. Anjaneyulu, Member, Law Commission of India. 500 students participated in the conference. The valedictory address was delivered by Union Minister for Human Resource Development Shri P. Shiv Shankar.

7. EXAMINATIONS

7.1 The Chartered Accountants Entrance, Intermediate and Final Examinations were held in May 1988 and November 1988 in about 44 centres all over the country. The summary of results of these examinations indicating the number of candidates who appeared in the examinations and the number of candidates declared successful is given below:

ENTRANCE EXAMINATION

Month & Year of Exam.	No. of candidates appeared	No. of candidates passed	Pass percentage
May 1988	1935	232	11.99
Nov. 1988	5175	830	16.04

INTERMEDIATE & FINAL EXAMINATIONS 1988

	Intermediate		Final	
	May	Nov.	May	Nov.
1	2	3	4	5
Group I				
No. of candidates appeared	1473	17136	8538	7175
No. of candidates declared successful	1952	4719	2186	2608
Pass percentage	1358	27.54	25.60	35.86
Group II				
No. of candidates appeared	12641	14475	8008	7369
No. of candidates declared successful	1670	2104	1856	2073
Pass Percentage	13.21	14.54	23.18	28.13
BOTH GROUPS:				
No. of candidates appeared	5215	6263	4156	3524
No. of candidates declared successful	266	647	438	489
Pass Percentage	5.10	10.36	10.54	13.88

7.2 The Examination centres which were opened on an experimental basis at Kathmandu, Jammu and Ambala in 1987 continued during the year. In addition, a new examination centre, on experimental basis, at Yamunanagar and another at Hyderabad were opened. The complete list of centres is given in Appendix XI.

7.3 The names of candidates who were awarded prizes and certificates of merit in these examinations are given in Appendix XII.

8. REGIONAL COUNCILS AND BRANCHES OF REGIONAL COUNCILS

8.1 New Branches/Chapters

During the period (April, 1988 to September, 1989) opening of new branches at the following places has been approved by the Council:

Tirupur, Alwar, Varanasi

With the addition of these branches, the total number of branches of Regional Councils throughout the country rose to 74.

8.2 Buildings

With the liberalisation of grants payable to branches for construction of buildings, a large number of branches have brought the land to construct their own premises or bought built-in accommodation. Till now, the following branches have acquired their own premises:

Agra, Ahmedabad, Alleppey, Baroda, Coimbatore, Calicut, Ernakulam, Kottayam, Poona, Surat and Trichur.

The following branches have acquired land for construction of branch buildings and are in the process of construction of buildings.

Hyderabad, Jaipur, Lucknow, Madurai, Palghat, Trivandrum.

8.3 Rotating Shield for the Best Regional Council

Since 1986-87, the Institute awards rotating shields to the best Regional Council. The award is given on the basis of the overall performance of the Regional Council. For the year 1987-88, the award was won by the Southern

India Regional Council. For the year 1988-89, the Shield goes to Western India Regional Council.

In order to encourage branches of Regional Councils to be active and render greater service to the members, the Institute awards a Rotating Shield every year to the best branch. The Institute has also formulated certain minimum norms for assessing the performance of the branches. The activities of the branches are evaluated on the basis of these norms and the Shield is awarded. Jaipur branch of the Central India Regional Council secured the Award for the year 1987-88. The Shield was presented to the branch Chairman at the Annual Function of the Institute on 15th September, 1988. For the year 1988-89, the Shield goes to Hyderabad branch of Southern India Regional Council.

9. FINANCE & ACCOUNTS

The Balance Sheet as at March 31, 1989 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date have been approved by the Council. The Income and Expenditure Account shows a surplus of Rs. 33.24 lakhs as against the surplus of Rs. 64.31 lakhs in the preceding year.

10. APPRECIATION

The Council is greatful to all members of the Institute who functioned as co-opted members of the Institute's Committees and non-members who assisted the Council during the year in the conduct of its educational, technical and other activities and in its examinations.

The Council wishes to place on record its appreciation for the continued assistance and support by the Government and its nominees on the Council throughout the year.

The Council would also like to acknowledge its appreciation of the sincere and devoted efforts put in throughout the year by all the Officers and Staff of the Institute.

K.G. SOMANI, President

M.C. NARASIMHAN,
Secretary

New Delhi
September 11, 1989.

APPENDIXS TO THE ANNUAL REPORT

APPENDIX I

(Ref. Para 1.1 of the Report)

Members of the 13th Council

Shri Agarwal K.M.	(New Delhi)
Shri Balakrishnan R.	(Madras)
Shri Banerjee Bhaskar	(Calcutta)
*Shri Bansal R.N.	(New Delhi)
Shri Bhandari S.S.	(Jaipur)
Shri Chakraborty A.K.	(Calcutta)
Shri Chhajed S.P.	(Bombay)
Shri Chitale M.M.	(Bombay)
Shri Dalal A.H.	(Bombay)
Shri Dasgupta S.K.	(Calcutta)
*Shri Ghosh A.	(Bombay)
Shri Jain I.C.	(Bombay)
Shri Kale Y.M.	(Bombay)
*Shri Mehta Kanti	(Jamshedpur)
*Shri Mittal C.P.	(New Delhi)
Shri Nair P.A.	(Bombay)
Shri Nandagopal S.	(Madras)
Shri Narayanswamy G.	(Madras)
Shri Patel Manubhai G.	(Ahmedabad)
Shri Poddar N.K.	(Calcutta)
*Shri Raman B.N.	(Hyderabad)
Shri Rathi Anand	(Bombay)
Shri Rao B.P.	(Bangalore)
Shri Sharma Laxminiwas	(Hyderabad)
Shri Somani K.G.	(New Delhi)
Shri Sundararajan N.C.	(Madras)
*Shri Tikku C.K.	(New Delhi)
Dr. Vaish R.C.	(Kanpur)
Shri Vasudeva S.C.	(New Delhi)
Shri Vishwanath T.S.	(New Delhi)

*Nominated by the Central Government.

APPENDIX II

(Ref. Para 1.1 of the Report)

Members of the 14th Council

Shri Agarwal K.M.	(New Delhi)
Shri Banerjee Bhaskar	(Calcutta)
*Shri Bansal R.N.	(New Delhi)
Shri Bhandari S.S.	(Jaipur)
Shri Chakraborty A.K.	(Calcutta)
Shri Chhajed S.P.	(Bombay)
Shri Chitale M.M.	(Bombay)
Shri Dalal A.H.	(Bombay)
*Shri Gupta G.N	(New Delhi)
Shri Gupta N.D.	(New Delhi)
Shri Gupta N.K.	(Kanpur)
Shri Jain I.C.	(Bombay)
Shri Jose Pottokaran	(Trichur)
Shri Kale Y.M.	(Bombay)
*Shri Khanna K.N.	(New Delhi)
*Shri Kumar S.	(New Delhi)
Shri Nandagopal S.	(Madras)
Shri Patel R.S.	(Ahmedabad)
Shri Poddar N.K.	(Calcutta)
Shri Rathi Anand	(Bombay)
Shri Rao B.P.	(Bangalore)
Shri Sarda N.P.	(Bombay)
Shri Sharma Laxminiwas	(Hyderabad)
†Shri Singhi M.L.	(Calcutta)

Shri Somani, K.G.	(New Delhi)
Shri Sundara an, N.C.	(Madras)
*Shri Tayal Amitabh	(Lucknow)
*Shri Tyagarajan, K.	(New Delhi)
Shri Upadhyaya, P.P. Gururaja	(Madras)
Shri Vasudeva, S.C.	(New Delhi)

*Nominated by the Central Government.
†Expired on 17th August 1989.

APPENDIX-III

(Ref. Para 1.4 of the Report)

LIST OF COMMITTEES AND THEIR COMPOSITION FOR THE YEAR 1988-89

STANDING COMMITTEES

EXECUTIVE COMMITTEE

Shri K.G. Somani, President	(New Delhi)
Shri A.H. Dalal, Vice-President	(Bombay)
Shri S.S. Bhandari	(Jaipur)
Shri Jose Pottokaran	(Trichur)
Shri Anand Rathi	(Bombay)

EXAMINATION COMMITTEE

Shri K.G. Somani, President	(New Delhi)
Shri A.H. Dalal, Vice-President	(Bombay)
Shri N.K. Gupta	(Kanpur)
Shri R.S. Patel	(Ahmedabad)
Shri M.L. Singhi	(Calcutta)

DISCIPLINARY COMMITTEE

Shri K.G. Somani, President	(New Delhi)
Shri A.H. Dalal, Vice-President	(Bombay)
Shri S.P. Chhajed	(Bombay)
Shri S. Kumar	(New Delhi)
Shri S. Nandagopal	(Madras)

NON-STANDING COMMITTEES

RESEARCH COMMITTEE

Shri N.P. Sarda, Chairman		(Bombay)
Shri M.L. Singhi, Vice-Chairman		(Calcutta)
Shri K.G. Somani, President (Ex-officio)		(New Delhi)
Shri M.M. Chitale		(Bombay)
Shri Y.M. Kale		(Bombay)
Shri S. Nandagopal		(Madras)
Shri Kaki Manchersha Elavia		(Bombay)
Shri P.R. Khanna	Co-opted	(New Delhi)
Shri Mahendra A. Parikh	Co-opted	(Bombay)
Shri Manubhai G. Patel	Co-opted	(Ahmedabad)

AUDITING PRACTICES COMMITTEE

Shri. S.C. Vasudeva, Chairman		(New Delhi)
Shri Y.M. Kale, Vice-Chairman		(Bombay)
Shri K.G. Somani, President (Ex-officio)		(New Delhi)
Shri A.H. Dalal, Vice-President (Ex-officio)		(Bombay)
Shri Bhaskar Banerjee		(Ceulcetta)
Shri K.N. Khanna		(New Delhi)
Shri K. Tyagarajan		(New Delhi)
Shri K.B. Kapur	Co-opted	(New Delhi)
Shri Samit Kumar Majumdar	Co-opted	(Faridabad
Shri Y.H. Malegam	Co-opted	(Bombay)
Shri V.C. Darak	Co-opted	(Bombay)

CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION COMMITTEE

Shri I.C. Jain, Chairman		(Bombay)
Shri Laxminiwas Sharma, Vice-Chairman		(Hyderabad)
Shri H. Dalal, Vice-President(Ex-Officio)		(Bombay.)
Shri N.D. Gupta		(New Delhi)
Shri Anand Rathi		(Bombay)
Shri P.P. Gururaja Upadhayaya		(Madras)
Shri Surender Kumar Jain	Co-opted	(Bombay)
Shri Homi Damania	Co-opted	(Bombay)
Shri K.P. Khandelwal	Co-opted	(Calcutta)

ACCOUNTING STANDARDS BOARD

Shri Bhaskar Banerjee, Chairman		(Calcutta.)
Shri M.M. Chitale, Vice-Chairman		(Bombay)
Shri K.G. Somani, President (Ex-Officio)		(New Delhi)
Shri A.K. Chakraborty		(Calcutta)
Shri G.N. Gupta		(New Delhi)
Shri S. Kumar		(New Delhi)
Shri N.C. Sundararajan		(Madras)
Shri K. Tyagarajan		(New Delhi)
Shri S.C. Vasudeva	Co-opted	(New Delhi)
Shri P.K. Mallik	Co-opted	(Calcutta))
Shri P.N. Shah	Co-opted	(Bombay)
Shri H.C. Sharma	Co-opted	(New Delhi)
Shri S.H. Talavlikar	Co-opted	(Bombay)
Representative of FICCI		
Representative of ICWAI		
Representative of RBI or IBA		

PROFESSIONAL DEVELOPMENT COMMITTEE

Shri N.K. Poddar, Chairman		(Calcutta)
Shri N.P. Sarda, Vice-Chairman		(Bombay)
Shri K.G. Somani, President (Ex-Officio)		(New Delhi)
Shri S.P. Chhajed		(Bombay)
Shri Amitabhi Tayal		(Lucknow)
Shri K. Tyagarajan		(New Delhi)
Shri G. Narayanan	Co-opted	(Ptana)
Shri Shivaji Kunervji Vikasmsey	Co-opted	(Bombay)
Shri M.K. Khaitan	Co-opted	(Calcutta)

BOARD OF STUDIES

Shri A.K. Chakraborty, Chairman		(Calcutta)
Shri Laxminiwas Sharma, Vice-Chairman		(Herderabad)
Shri A.H. Dalal, Vice-President(Ex-Officio)		(Bombay)
Shri S.P. Chhajed		(Bombay)
Shri I.C. Jain		(Bombay)
Shri B.P. Rao		(Bangalore)
Shri P.P. Gururaja Upadhayaya		(Madras)
Shri Partha Mitra	Co-opted	(Calcutta)
Shri Pawan Kumar	Co-opted	(Delhi
Shri P.J. Goradia	Co-opted	(New Delhi)

UNIVERSITY LIAISON COMMITTEE

Shri Laxminiwas Sharma, Chairman	(Hyderabad)
Shri A.K. Chakraborty, Vice-Chairman	(Calcutta)
Shri A.H. Dalal, Vice-President (Ex-Officio)	(Bombay)
Shri S.P. Chhajed	(Bombay)
Shri I.C. Jain	(Bombay)
Shri B.P. Rao	(Bangalore)
Srhi P.P. Gururaja P Upadhyaya	(Madras)

Shri S.B. Zaware	Co-opted	(Pune)
Shri Girish Ahuja		(Delhi)
Shri S. Chandran		(Madras)

TAXATION COMMITTEE

Shri N.C. Sundararajan, Chairman		(Madras)
Shri R.S. Patel, Vice-Chairman		(Ahmedabad)
Shri A.H. Dalal, Vice-President (Ex-Officio)		(Bom.)
Shri G.N. Gupta		(New Delhi)
Shri N.K. Gupta		(Kanpur)
Shri N.K. Poddar		(Calcutta)
Shri B.P. Rao	Co-opted	(Bangalore)
Shri R. Krishnakumar		(Madras)
Shri B.G. Roy		(Bombay)
Shri K.C. Devdas		(Secunderabad)

COMPANY LAW COMMITTEE

Shri M.L. Singhi, Chairman		Calcutta)
Shri S. Nandagopal, Vice-Chairman		(Madras)
Shri K.G. Somani, President, (Ex-officio)		(N. Delhi).
Shri A.H. Dalal, Vice-Pretident (Ex-officio)		(Bombay)
Shri R.N. Bansal		(New Delhi)
Shri S. Kumar		(New Delhi)
Shri Anand Rathi		(Bombay)
Shri K.C. Jain	Co-opted	(Calcutta)
Shri T.S. Vishwanath		(New Delhi)
Shri A.K. Mahindra		(New Delhi)

EXPERT ADVISORY COMMITTEE

Shri K.M. Agarwal, Chairman		(New Delhi)
Shri N.D. Gupta, Vice-Chairman		(New Delhi)
Shri A.H. Dalal, Vice-President (Ex-officio)		(Bombay)
Shri R.N. Bansal		(New Delhi)
Shri S.C. Vasudeva		(New Delhi)
Shri T.S.V. Pandurang Sarma	Co-opted	(New Delhh)
Shri Sampat Kumar Surana		(New Delhi)
Shri Rattan Lal Gupta		(New Delhi)

EDITORIAL BOARD

Shri K.G. Somani, Editor-in-Chief		(New Delhi)
Shri A.H. Dalal, Jt. Editor		(Bombay)
Shri K.M. Agarwal		(New Delhi)
Shri S.S. Bhandari		(Jaipur)
Shri N.D. Gupta		(New Delhi)
Shri S.C. Vasudeva		(New Delhi)
Shri P.D. Desai	Co-opted	(Bombay)
Shri Vinod Jain		(New Delhi)
Shri K. Sampath		Delhi

COMMITTEE FOR MEMBERS IN INDUSTRY

Srhi Y.M. Kale, Chairman		(Bombay)
Shri N.D. Gupta, Vice-Chairman		(New Delhi)
Shri A.H. Dalal, Vice President (Ex-officio)		(Bombay)
Shri Bhaskar Banerjee		(Calcutta)
Shri K.N. Khanna		(New Delhi)
Shri Jose Pottokaran		(Trichur)
Shri Amitabh Tayal		(Lucknow)
Shri Manu Tandon	Co-opted	(Bombay)
Shri Chandra Prakash Jain		(New Delhi)
Shri Shri Ram Elhence		(New Delhi)
Shri R.D. Rai		(Secunderabad)

GENERAL PURPOSES & INTER-INSTITUTE CO-ORDINATION COMMITTEE

Shri K.G. Somani, Chairman		(New Delhi)
Shri A.H. Dalal, Vice-Chairman		(Bombay)
Shri S.S. Bhandari		(Jaipur)
Shri Jose Pottokaran		(Trichur)
Shri Anand Rathi		(Bombay)

COMMITTEE ON ETHICAL STANDARDS AND UN-JUSTIFIED REMOVAL OF AUDITORS

Shri K.G. Somani, Chairman		(New Delhi)
Shri A.H. Dalal Vice-Chairman		(Bombay)
Shri S.S. Bhandari		(Jaipur)
Shri S. Kumar		(New Delhi)
Shri Jose Pottakaran		(Trichur)
Shri Anand Rathi		(Bombay)
Dr. R.C. Vaish	Co-opted	(New Delhi)
Shri G. Narayanaswamy		(Madras)
Shri A.L. Maheswari		(Pali)

APPENDIX IV

[Ref. Para 3.9(a) of the Report]

Details of the Seminars and Courses organised by the C.P.E. Committee

Sl. No.	Programme	Place	Date
1.	Seminar on Financial Management with special reference to Long Term Sources of Funds.	New Delhi	8-9 Oct., 1988
2.	Refresher Course on Management Accounting (for Officers & Managers in Government & Public Sector Undertakings)	New Delhi	14-25 Nov., 1988
3.	Seminar on Aspects of FERA, Customs Duty and Excise Duty	Calcutta	26-27 Nov., 1988
4.	Seminar on Accounting Standards & Taxation	Ahmedabad	17-18 Dec., 1988
5.	Accounting Systems in Public Utilities and Non-Profit Making Institutions	Bombay	28-29 April, 1989
6.	Residential Course on Corporate Financial Management	Ooty	0-14 May, 1989

7. Joint Programme on Use of Computers in Financial Management in Business with ICWAI	Calcutta	8-9 June, 1989
8. Joint Programme on Corporate Finance & Law with ICSI	New Delhi	5-6 August, 1989

APPENDIX V

(Ref. para 3.96 of the Report)

Summary of Computer Courses conducted by Bombay, Clacutta, Kanpur, Madras and Delhi Computer Training Centres of the Institute

(From 16-9-88 to 30-5-1989)

Sl. No.	Computer Centre	No. of courses	Training Provided to: Members	Students and Non-Members	Total
1.	Bombay*	9	151	75	226
2.	Calcutta**	21	71	389	460
3.	Kanpur	8	52	69	121
4.	Madras	21	117	253	370
5.	Delhi	3	59	31	90
	Total	62	450	817	1267

* Details of courses in October, 1988 & February, 1989 are being procured.

** Details for courses started in the month of May 1989 are being procured.

APPENDIX VI

(Ref. para 3.12.3 of the Report)

List of Universities and the Association of Indian Universities which have accorded recognition to Chartered Accountants for enrolment as Research Scholars for the award of Ph.D. Degree

Association of Indian Universities, New Delhi

1. Alagappa University, Alagappa Nagar, Karaikudi-623004
2. Aligarh Muslim University, Aligarh (U.P.)
3. Banaras Hindu University, Varanasi (U.P.)
4. Bangalore University, Bangalore
5. Bharathidasan University, Tiruchirapalli-620024
6. Bombay University, Bombay (Maharashtra).
7. Calicut University Calicut (Kerala)
8. Gujarat University, Ahmedabad
9. Himachal Pradesh University, Simla.
10. Kanpur University, Kanpur (U.P.)
11. Kerala University, Trivandrum (Kerala)
12. Lucknow University, Lucknow (U.P.)
13. M.S. University of Baroda, Baroda
14. Maharshi Dayanand University, Rohtak
15. Mangalore University, Light House Hill, Mangalore
16. Marathwada University, Aurangabad-431004
17. Meerut University Meerut (U.P.)
18. Mohanlal Sukhadia University, Udaipur
19. Mysore University, Mysore
20. Osmania University, Hyderabad (Andhra Pradesh)
21. Poona University, Pune (Maharashtra)
22. Punjab University, Chandigarh
23. Punjabi University, Patiala
24. Ranchi University, Ranchi-834008
25. Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar (Gujarat)
25. Saurashtra University, Rajkot (Gujarat)
27. Shivaji University, Kolhapur (Maharashtra)
28. Sri Venkateshwara University, Tirupati
29. Vikram University, Ujjain (M.P.)
30. Agra University, Agra
31. Kurukshetra University, Kurukshetra
32. Jiwaji University, Gwalior
33. University of North Bengal, Darjeeling
34. Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

35. The University of Kashmir, Srinagar

36. Pondicherry University, Pondicherry

37. Gandhiji University, Kottayam

APPENDIX VII

(Ref. para 4.9 of the Report)

Names of representative of the Institute on various outside bodies

Name of Body	Name of the Nominee
1	2
1. General Council of the Institute of Applied Manpower Research.	Shri K.G. Somani
2. Informal Advisory Committee of the Department of Company Affairs on matters relating to Cost Accounting Record Rules.	Dr. R.C Vaish
3. National Productivity Council	Shri A.H. Dalal
4. Farm Accounts Sectional Committee AFDC 49 of the Indian Standards Institution.	Shri S.P. Chhajed
5. General Advisory Committee on Direct Taxes	Shri K.G. Somani
6. All India Board of Management Studies	Shri R. Balakrishnan
7. U.G.C. Panel on Commerce Education	Shri Laxminiwas Sharma
8. Council of International Federation of Accounts (IFAC)	Shri A.C. Chakrabortti
9. International Auditing Practices Committee of IFAC	Shri R. Balakrishnan
10. Education Committee of the IFAC	Shri P.A. Nair
11. South Asian Federation of Accountants	Shri K.G. Somani
12. IASC Steering Committee on "Disclosure in Financial Statements of Banks.	Shri P.A. Nair

APPENDIX VIII

(Ref. Para 5.1 of the Report)

Region	FELLOWS				ASSOCIATES				
	IN PRACTICE				IN PRACTICE				
	In full time Practice	In Part time Practice	Not in Practice	Total col. 2, 3 & 4	In Full time Practice	In Part time Practice	Not in Practice	Total of col. 6, 7 & 8	Grand Total of col. 5 & 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	4,573	682	411	5,666	5,452	3,180	3,486	12,118	17,784
II	3,548	382	411	4,341	3,423	1,195	4,538	9,156	13,497
III	2,025	247	281	2,553	1,584	651	2,222	4,457	7,010
IV	1,451	201	120	1,772	1,972	427	922	3,321	5,093
V	2,988	355	267	3,610	3,873	793	1,474	6,140	9,750
	14,585	1,867	1,490	17,942	16,304	6,246	12,612	35,192	53,134

APPENDIX IX

(Ref Para 5.2 of the Report)

(Statement of removal of names from the Register of Members on account of death during the year 1988-89.

Sl. No.	M.No.	Name of the Member	Date
1.	8	Shri C.S. Sastry, Madras	9-4-88
2.	280	Shri K.S. Engineer, Bombay	1-3-88
3.	402	Shri D.T. Rao, Kurnool	10-3-89
4.	541	Shri G. Balasubramanian Tiruchirapalli	2-5-88
5.	593	Shri Moreshwar N. Bhagvat, Bombay	20-2-89
6.	641	Shri N. Ananthanarayanan, Madras	17-4-88
7.	652	Shri K. Viswasarathanm, Maudrai	27-7-88
8.	675	Shri Vithal B. Kirtane, Bombay	2-7-88
9.	705	Shri B.N. Pardiwala, Bombay	2-7-88
10.	1013	Shri H.P. Kumbhani, Bombay	10-5-88
11.	1042	Shri H.G. Rawal, Bombay	7-5-88
12.	1046	Shri M.P. Chitale, Bombay	8-1-88
13.	1075	Shri P.N. Raghavendra Rao, Coimbatore	25-12-88
14.	1256	Shri K.R. Dandekar, Bombay	24-8-88
15.	1290	Shri V. Venkataraman, Madras	30-5-88
16.	1419	Shri R.A. Jagtap, Bombay	5-4-88
17.	1483	Shri M.R. Ramaswamy Erode	2-7-88
18.	1503	Shri S.K. Chatterjee, Calcutta	26-6-88
19.	1575	Shri Harbhajan Singh Sethi New Delhi	4-9-88
20.	1589	Shri S. Sundaresan, Pudukottai	6-4-88
21.	1616	Shri Mohajit Mookerjee, Calcutta	14-12-84
22.	1619	Shri B.R. Chahraborty, NOIDA	17-5-88
23.	1628	Shri K.G. Kuruvilla, Madras	27-3-88
24.	1657	Shri M.R.K. Chari, Luchnow	31-12-88
25.	1692	Shri P.T. Samprah Kumaran, Madras	26-12-88
26.	1727	Shri T.A. Shah, Bombay	11-9-87
27.	1733	Shri K. Subba Road, Madras	1-1-88
28.	1797	Shri Ananda Gopal Banerjee, Calcutta	22-1-89
29.	1837	Shri Arabinda Ghosh, Clalcutta	22-5-88
30.	1884	Shri M. Lakshmiah, Madras	5-2-88
31.	1949	Shri B.S.N. Bhushan, Bangalore	6-9-88
32.	2018	Shri V.K. Krishan, Madras	20-10-88
33.	2150	Shri N.K. Ray Chaudhary, Howrah	18-9-88
34.	2259	Shri B.S. Shah, Bombay	22-2-89
35.	2365	Shri K.B. Guha, Calcutta	7-2-89
36.	2393	Shri C.R. Amin, Ahmedabad	5-10-87
37.	2396	Shri Satdar Mal Bangani	23-7-88
38.	2403	Shri K.S Damle, Bombay	2-1-89
39.	2543	Shri G. Natarajan, Madras	3 4-88
40.	2634	Shri M.B. Patel, Ahmedabad	3 7 87
41.	2809	Shri A.R. Varma, Bombay	30-6-1988
42.	3288	Shri D.R.J. Desai, Bombay	24-1-88
43.	3352	Shri K.Y. Sreshty, Bangalore	21-7 88
44.	3539	Shri Delepousun Banerjee, Calcutta	22-4-88
45.	3765	Shir P. Venkateswara Rao, Hyderabad	12-5-88
46.	3850	Shri N.S. Panickar, Quilon	27-11-88
47.	3955	Shri G. Krishnan, Coimbatore	15-2-89
48.	4063	Shri Durgar Mal Kothari, Calcutta	15-4 88
49.	4093	Shri Shirish H. Shah, Ahmedabad	20-10-88
50.	4291	Shri K.A. Joseph, Muvattaupuzha	12-2-88
51.	4335	Shri P.C. Jain, Bombay	20-10-88
52.	4438	Shri S.B. Patkar, Bombay	27-2-88
53.	4608	Shri K. Gopalakrishna Murthy Hyderabad	
54.	4620	Shri P.M. Rao, Kaghaznagar	18-10-86
55.	4743	Shri Ramanath P. Bhatt, Bombay	23-2-89
56.	5058	Shri B.V. Adappa, Bangalore	15-12-87
57.	5134	Shri Sait S. M.I. Ismail, Madras	10-2-89
58.	5201	Shri Vinod Kumar Sood, Vancouver	21-11-88
59.	5480	Shri Ranjit S. Patel, Ahmedabad	20-10-88
60.	5706	Shri N.K. Gupta, Gwalior	10-10-88
61.	5729	Shri K. Raman, Madurai	14-12-87
62.	5910	Shri R.K. Seth, Bombay	22-1 87
63.	6041	Shri J.R. Krishnaswami, Madras	5-4-88
64.	6085	Shri S.K. Das Jaiswal, Allahabad,	15-10-88
65.	6089	Shri D.D. Rajadhyaksha, Bombay	5-10-88
66.	6529	Shri A.R. Lakshminarayanan, Madras	16-2-88
67.	7119	Shri R.R. Vaidya, Hyderabad	7-8-88
68.	8108	Shri C.N. Krishnan, Madras	2-5-1-87
69.	10613	Shri T.V. Narasimha Murty, Srikakulam	8-3-87
70.	10624	Shri P. Gopalakrishnan, Coimbatore	24-12-88
71.	10783	Shri A.K. Roy Choudhury, Calcutta	7-11-89
72.	10786	Shir N.P. Sivasankar, Bangalore	24-10-88
73.	11067	Shri R.V. Krishna Murre, Bangalore	4-6-1988
74.	11390	Shri Gopal Lal Kedia, Calcutta	7-6-88
75.	11623	Shri N. Dhandayuthapani, Salem	1-12-88
76.	12170	Shri Loknath Bhattacharjee, Calcutta	23-3-87 23-3-87
77.	12415	Shri K. Vijay Kumar, Hyderabad	20-8-88
78.	12924	Shri J.K. Shah, Bombay	6-7-88
79.	14202	Shri Satish Chandra, Ghaziabad	1-2-88
80.	15175	Shri Deb Kumar Gupta, Calcutta	24-5-88
81.	15881	Shri Champalal M. Tilesra, Bangalore	20-4-88
82.	18775	Shri A.V. Lokendra Rao, Bangalore	1-5-88
83.	16049	Shri Giri Raj Agarwal, New Delhi	21-1-88
84.	16699	Shri Tulsi Das Saha, Calcutta	16-1-88
85.	18775	Shri A.V. Lokendra Road, Bangalore	1-5-88
86.	21715	Shri S. Muralidharan, Madras	30-10-88
87.	26447	Shri K. Sridharan, Madras	23-12-87
88.	26817	Shri K.M. Kasi, Thanjavur	29-6-88
89.	26885	Shri A.R. Sankar, Madras	18-11-88
90.	27254	Shri P.V. Satyanarayana, Vishakhapatnam	2-3-87
91.	30738	Shri Sharadchandra B. Patel, Ahmedabad	20-10-88
92.	30905	Shri N.K. Koya, Nagpur	2-6-88

93.	31483	Shri R.M. Vakharia, Bombay	24-4-88
94.	32006	Shri Ashok B. Nagar, Bombay	28-12-88
95.	37209	Shri S. Pardiwalla, Bombay	10-2-89
96.	37235	Shri Bharat G. Hirani, Ahmedabad	20-10-88
97.	38370	Shri Nilesh D. Ambedkar, Bombay	20-10-88
98.	50760	Shri A. Bhattacharya, Rath Tala (W.B.)	22-1-88
99.	71925	Shri Shyam Sunder Sharma, Bhopal	16-7-86
100.	80162	Shri S.N. Jhawar, Calcutta	11-6-1984
101.	81243	Shri K. Ramanuja Iyengar, Bangalore	8-11-86
102.	81249	Shri C. Ananthaih, Bangalore	14-7-88
103.	81334	Shri Rajendrer Parshad Gupta, Delhi	22-1-89
104.	82364	Shri Rabindra Kumar Khanna, Delhi	3-3-88
105.	84098	Shri Harjeet Singh Shah, New Delhi	2-9-87

APPENDIX X

(Ref. Para 6.1.3 of the Report)

Details of Scholarships Awarded & the Donors who contributed for the Fund

I. Scholarships Awarded:

(i) Merit Scholarships:

@Rs. 75/ p.m. to 10 students for a maximum period of 18 months.

@Rs. 75/ p.m. to 4 students for a maximum period of 12 months.

(ii) Merit cum need based Scholarships @Rs. 75/ p.m. to 5 students for a maximum period of 12 months.

(iii) Partial freeship viz. waiver of the second instalment of tuition fee to 82 students.

(iv) Need based scholarship @Rs. 50/ p.m. to 125 students for a maximum period of 30 months.

(v) S. Vaish Memorial Scholarships @Rs. 100/ p.m. to 2 students for a period of one year.

(vi) Likhami Chand Chautmull Kandoi Charitable Trust Scholarships @Rs. 1,000/ per year to two students for a period of 3 years.

II. List of the Donors:

Donor	Amount in Rs.	Nature
1. B.C. Dutta	8,000	Endowment in the name of Nani Benode Fund
2. S.K. Khandelwal	900	S.K. Khandelwal Scholarship Annual.
3. Chhaganlal Virchand Trust	2,700	The Chandabhoy & Jassoobhoy Scholarship for 3 years
4. Shiv Om Agarwal	2,700	Shcolarship for 3 years
5. K. Vishwanathan	10,000	Endowment in the name of V. Kumar Scholarship
6. Smt. Prakashwati C/o. A.V. Kishore & Co. Ltd., Delhi	15,000	Endowemwnt
7. J.S. Lodha Charitable Trust	2,00,000	Ednowment in the name of J.S. Lodha Memorial Scholarship
8. Mrs. Reva Khanna	12,000	Endowment in the name of Satish Khanna Scholarship Fund
7. Mrs. Rama Knanna	17,200	Endowment in the name of H.L. Khanna Scholarship Fund
10. Kundan Trust	4,5000	Scholarship for a period of one year for five students.

APPENDIX XI

(Ref. Para 7.7 of the Report)

LIST OF THE EXAMINATION CENTRES

1. Arga
2. Ahmeadbad
3. Allahabad
4. Ambala
5. Bangalore
6. Baroda
7. Belgaum
8. Bhopal
9. Bombay
10. Calcutta
11. Calicut
12. Chandigarh
13. Coimbatore
14. Cuttack
15. Delhi/New Delhi
16. Ernakulam
17. Gauhati
18. Hyderabad
19. Indore
20. Jaipur
21. Jammu
22. Jodhpur
23. Kanpur
24. Kathmandu (Nepal)
25. Lucknow
26. Ludhiana
27. Madras
28. Madurai
29. Mangalore
30. Meerut
31. Mysore
32. Nagpur
33. Nasik
34. Patna
35. Poona
36. Salem
37. Surat
38. Tiruchirapalli
39. Trichur

40. Trivandrum

41. Udaipur

42. Vijayawada

43. Vishkhapatnam

44. Yamuna Nagar

APPENDIX XII

(Ref. para 7.3 of the Report)

LIST OF PRIZE WINNERS

FINAL EXAMINATION: MAY, 1988

RANK	ROLL NO.	NAME
I	2583	JOY KUMAR JAIN (Total 547 marks out of 800).
II	5704	P. VENKATESH (Total 545 marks out of 800).
III	6837	R. RAMESH (Total 532 marks out of 800).

1. The G.P. Kadpaia First President Gold Medal to the best candidate will be awarded to JOY KUMAR JAIN, Roll No. 2583.

2. The J.S. Lodha Gold Medal to the best candidate will be awarded to JOY KUMAR JAIN, Roll No. 2583.

3. The Ramachandra Singhi Prize for the best candidate will be awarded to JOY KUMAR JAIN, Roll No. 2583.

4. The Jayantilal K. Thakkar Memorial Prizefor the candidate who secured the second highest marks will be awarded to P. VENKATESH, Roll No. 5704.

5. The R. Sivabhogam Prize for the best lady candidate will be awarded to MISS PUNITA FAKIR CHANDRA CHOPRA, Roll No. 11476 (495 marks out of 800).

6. The Kerala Verma Prize for the best candidate in Group I will be awarded to P. VENKATESH, Roll No. 5704 (277 marks out of 400).

7. The P.N. Ghosh Memorial Prize for the best candidate in Group II will be awarded to JOY KUMAR JAIN, Roll No. 2583 (302 marks out of 400).

8. The Sir Shapoorji Billimoria Prize for the best papers on Accountancy (Papers 1&2) will be awarded to P. RAJMOHAN MURARI, Roll No. 2352 (153 marks out of 200).

9. The K.C. Khanna Prize for best paper on Advanced Accounting (Paper 1) will be awarded to R. RAMESH, Roll No. 6837, MEHTA AJIT PRANJIVAN, Roll No. 9666 and KULKARNI UMESH MORESHWAR, Roll No. 11778 (72 marks out of 100).

10. The J.K. Doshi Prize for the highest marks in the paper on Management Accounting will be awarded to SUNDEEP GUPTA, Roll No. 1639 (85 marks out of 100).

11. The A.F. Ferguson Prize and the R. Venkatesan Memorial Prize for the best paper on Auditing will be awarded to RAJNISH BAHL, Roll No. 1571 and P. VENKATESH, Roll No. 5704 (75 marks out of 100).

12. The Sukh Nandan Gupta Kapoori Devi Prize to the lady candidate who secured the highest marks in the paper on Auditing will be awarded to MISS ANJALI GUPTA, Roll No. 5687 (67 marks out of 100).

13. The U.C. Majumdar Prize and the S.M. Shah Prize for the best paper on Company Law will be awarded to RAMAN CHOPRA, Roll No. 1537 (74 marks out of 100).

14. The N.M. Shah Prize, Suri Memorial Prize and A.J. Shah—Amita Memorial Prize for the best paper on Direct Tax Laws will be awarded to JOY KUMAR JAIN, Roll No. 2583 (84 marks out of 100).

15. The Venkatachalam Mohan Prize for the best paper on Managerial Economics and National Accounting will be awarded to S. SATHYANARAYANAN, Roll No. 6630 (51 marks out of 100).

16. The T.R. Chadha Prize for the best paper on System Analysis & Data Processing will be awarded to MEHTA AJIT PRANJIVAN, Roll No. 9666 (79 marks out of 100).

17. The R.V.K. Umarjee Prize for the best paper on Cost Accounting will be awarded to MRS. R. ANURADHA. Roll No. 6990 (95 marks out of 100)

INTERMEDIATE EXAMINATION—MAY, 1988

The following candidate will be awarded certificates of merit:—

RANK	ROLL NO.	NAME
I	7964	S. VENKATESAN (Total 473 marks out of 700)
II	5182	K.B. GIRISH CHANDRA (Total 451 marks out of 700)
III	16378	ARUN DALMIA (Total 444 marks out of 700).

1. The G.P. Kapadia First President Prize to the best student will be awarded to S. VENKATESAN, Roll No. 7964.

2. The J.S. Lodha Gold Medal to the best candidate will be awarded to S. VENKATESAN, Roll No. 7964.

3. Prof. T.S. Grewal Award for the best paper on Accounting will be awarded to K.B. GIRISH CHANDRA, Roll No. 5182 (88 marks out of 100).

4. The U.K. Bhargava prize for the best paper on Elements of Income-tax will be awarded to K. B. GIRISH CHANDRA Roll No. 5182 and A. SAKTHIVEL Roll No. 11889 (40 marks out of 50).

5. The Dinesh Himatlal Shah Prize and The K.C. Khanna Prize for the best paper on Auditing will be awarded to RAJARAM V. VENKATRAMAN, Roll No. 20162 (73 marks out of 100).

6. The Suresh C. Mathur Prize for the best paper on Mercantile Law, Company Law and Industrial Law will be awarded to MISS RENUKA ALFRED, Roll No. 11869 and ATTARWALA MOIZ MANSURALI, Roll No. 20200 (73 marks out of 100).

FINAL EXAMINATION—NOVEMBER, 1988

The following candidates will be awarded certificates of merit:—

RANK	ROLL NO.	NAME
I	2875	MISS PARMAR GEETA DEVCHAND (537 marks out of 800).
II	1150	SANJAY MEHTA (534 marks out of 800)
III	5564	SHENOY TRASI SADASHIVA MADHAVA (518 marks out of 800)
III	8324	BHAWANI SHANKAR RATHI (518 marks out of 800)

1. The G.P. Kapadia First President Gold Medal will be awarded to Miss Parmar Geeta Devchand, Roll No. 2875.

2. The J.S. Lodha Gold Medal for the best candidate will be awarded to Miss Parmar Geeta Devchand, Roll No. 2875.

3. The Ramachandra Singhi Prize for the best candidate will be awarded to Miss Parmar Geeta Devchand, Roll No. 2875.

4. The Jayantilal K. Thakkar Memorial Prize for the candidate who secured the second highest marks will be awarded to Sanjay Mehta, Roll No. 1150.

5. The R. Sivabhogam Prize for the best lady candidate will be awarded to Miss Parmar Geeta Devchand, Roll No. 2875.

6. The G. Basu Foundation award for the best student of the year 1988 will be awarded to Joy Kumar Jain, Roll No. 2583, May 1988 examination (547 marks out of 800).

7. The N.N. Das Prize for the best student of year 1988 in Group I will be awarded to P. Venkatesh, Roll No. 5704, May 1988 examination (277 marks out of 400).

8. The Kerala Verma Memorial Prize for the best candidate in Group I will be awarded to Vijay Kumar Agarwal, Roll No. 12354 (266 marks out of 400).

9. The P.N. Ghosh Memorial Prize for the best candidate in Group II will be awarded to Bhawani Shankar Rathi, Roll No. 8324 (285 marks out of 400).

10. The K.C. Khanna Prize for the best paper on Advanced Accounting (Paper 1) will be awarded to Adil Jamasp Kasad, Roll No. 1146 (84 marks out of 100).

11. The Sir Shapoorji Billimoria Prize for the best papers on Accountancy (Papers 1&2) will be awarded to Hemant Kumar Jain, Roll No. 1594 (149 marks out of 200).

12. The J.K. Doshi Prize for the highest marks in the paper on Management Accounting will be awarded to Prajapat Muljibhai Dhulabhai, Roll No. 1131 and Hemant Kumar Jain, Roll No. 1594 (78 marks out of 100).

13. The A.F. Ferguson Prize and the R. Venkatesan Memorial Prize for the best paper on Auditing will be awarded to Miss Chetana Sundaresh, Roll No. 5616 (68 marks out of 100).

14. The Sukh Nandan Gupta Kapoori Devi Prize to the lady candidate who secured the highest marks in the paper on Auditing will be awarded to Miss Chetana Sundaresh, Roll No. 5616 (68 marks out of 100).

15. The U.C. Majumdar Prize and the S.M. Shah Prize for the best Paper on Company Law will be awarded to Sanjay Mehta, Roll No. 1150 (71 marks out of 100).

16. The N.N. Shah Prize, Suri Memorial Prize and A.J. Shah—Amita Memorial Prize for the best paper on Direct Tax Laws will be awarded to Miss Parmar Geeta Devchand, Roll No. 2875 (82 marks out of 100).

17. The Venkatachalam Mohan Prize for the best paper on Managerial Economics and National Accounting will be awarded to Jain Vijay Kumar Tilok Chandji, Roll No. 1021 (52 marks out of 100).

18. The T.R. Chadha Prize for the best paper on Systems Analysis & Data Processing will be awarded to Sunanda Das, Roll No. 8273 (82 marks out of 100).

19. The R.V.K. Umarjee Prize for the best paper on Cost Accounting will be awarded to Shenoy Trasi Sadashiva Madhawa, Roll No. 5564 (88 marks out of 100).

INTERMEDIATE EXAMINATION—NOVEMBER, 1988

The following candidates will be awarded certificates of merit:—

RANK	ROLL NO.	NAME
I	19342	SHARAK AGGARWAL (496 marks out of 700).
II	23878	RAJAGOPALAN YEGNA NARAYANAN (490 marks out of 700).
III	364	J.P. SINGH (489 marks out of 700).

1. The G.P. Kapadia First President Prize will be awarded to Sharad Aggarwal, Roll No. 19342.

2. The J.S. Lodha Gold Medal for the best candidate will be awarded to Sharad Aggarwal, Roll No. 19342.

3. The Suri Memorial Prize for the best student of the year 1988 will be awarded to Sharad Aggarwal, Roll No. 19342, November 1988 examination (476 marks out of 700).

4. Prof. T.S. Grewal Award for the best paper on Accounting will be awarded to V. Raghuraman, Roll No. 10254 and T.S.V. Rajagopal, Roll No. 12330 (94 marks out of 100).

5. The U.K. Bhargava prize for the best paper on Elements of Income-tax will be awarded to Arun Mittal, Roll No. 23855 (45 marks out of 50).

6. The Dinesh Himatlal Shah Prize and the K.C. Khanna Prize for the best paper on Auditing will be awarded to Vinod R., Roll No. 9930 (77 marks out of 100).

7. The Suresh C. Mathur Prize for the best paper on Mercantile Law, Company Law and Industrial Law will be awarded to Naresh Kumar Hira Lal Bhansali, Roll No. 24952 (73 marks out of 100).

Auditor's Report

We have audited the Balance Sheet of the Institute of Chartered Accountants of India, as at 31st March, 1989 and also the annexed Income & Expenditure Account for the year ended on that date incorporating the accounts of the Institute's offices, Regional Councils and their Branches and Students' Associations and their Branches audited by other auditors and report that :-

1. We have obtained all information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
2. The Balance Sheet and the Income & Expenditure Account dealt with by the report are in agreement with the books of accounts;
3. In our opinion, the accounts are maintained in conformity with the requirements of the Charteted Accountants Act, 1949; and
4. In our opinion and to the best of our information and according to the explantions given to us, the statements together with the schedules attached and read with notes give a true and fair view:
   (i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs as at March 31, 1989; and
   (ii) in the case of the Income & Expenditure Account of the Surplus for the year ended on that date.

New Delhi	**M.R. Venkataraman**	**C.P. Mehra**
Dated : 4th September, 1989	Chartered Accountant	Chartered Accoutant

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

Accounting Polices

1. The admission fee from follow members ands major portion of the entrance fee from associate members are capitalised. An appropriate portion of the surplus arising out of students activities is transferred to Education Fund and to the extent this fund is utilised on fixed assets, transferred to Capital Reserve.
2. Provision for Gratuity to staff is made on accrual basis. A gratuity-cum-group insurance policy has been taken from the life Insurance Corporation of India, Any shortfall in the payment of gratuity is debited in the year of payment.
3. Income & Expenditure from Seminars, Symposiums and Conferences held during the year and income from Journal Subscription have been accounted for on cash basis.
4. Inventories of paper, publications and study materials are valued at lower of cost or net realisable value. For this purpose of cost is ascertained on the basis of direct cost method.
5. Investments have been valued at cost.
6. Depreciation: Fixed assets are shown on historical cost basis and have been depreciated on the diminishing balance method. Library books at the Head Office have been depreciated on the straightline method.
7. Second Instalment of Students' Tuition Fee is accounted on receipt basis.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NEW DELHI

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 1989

	Schedule	31-3-89		31-3-88	
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	2	3	4	5	6
FUNDS EMPLOYED:					
1. Fixed Assets :					
Gross Block		381,48,728		327,20,745	
Less : Depreciation		139,20,853		118,21,958	
Net Block					
	(A)		242,27,875		208,98,787
2. Earmarked Investments	(B)		88,13,861		82,47,930
3. Other Investments:					
(a) Fixed Deposits with banks		178,87,527		145,16,61	
(b) Bounds of Public Sector Undertakings		100,24,950		100,24,950	
(c) Units of U.T.I.		3,00,160		3,00,160	
			282,12,637		248,41,728
4. Net Current Assets	(C)		25,37,294		30,25,069
TOTAL			637,91,667		570,13,514

1	2	3	4	5	6
FINANCED BY:					
1. Capital Reserve	(D)		324,78,090		283,80,633
2. General Reserve	(E)		199,10,477		181,51,937
3. Other Reserves	(F)		25,89,239		22,33,014
4. Earmarked Funds	(G)		88,13,861		82,47,930
TOTAL			637,91,667		570,13,514

NOTES : FORMING PART OF ACCOUNTS AS AT MARCH 31, 1989:—

(1) Contingent not provided for additional demand on account of Municipal Taxes Rs. 20,73,266.

(2) Accounts of three Branches and four Students' Associations have not been received. However, grants & fees paid during the year and opening balances of assets and liabilities have been incorporated. Further, unaudited accounts of two branches and two students' associations have been incorporated.

(3) No provision for taxation has been made in view of pending request for exemption notification from Government under Section 10(23C)(iv) of the Income-tax Act, 1961 which was hither to granted upto assessment year 1987-88.

P. C JAIN
Sr. Dy. Secretary

M.C. NARASIMHAN
Secretary

K.G. SOMANI
President

As per our Report of even date attached

New Delhi
Dated 4th Sept., 1989

A.H. DALAL
Vice-President

M.R. VENKATARAMAN
Chartered Accountant

C.P. MEHRA
Chartered Accountant

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA NEW DELHI
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1989

		1988-89 Rs.	1987-88 Rs.
I. INCOME—Schedule			
(a) Members		2,36,58,219	2,16,83,874
(b) Students		3,32,87,295	2,98,35,922
	TOTAL	5,69,45,514	5,15,19,796
II. EXPENDITURE—Schedule I			
(a) Members		2,30,65,296	1,85,99,131
(b) Students		3,05,56,061	2,64,89,660
	TOTAL	5,36,21,357	4,50,88,791
III. SURPLUS FOR THE YEAR			
(i) Transferred to Education Fund—Schedule G		13,65,617	16,73,131
(ii) Transferred to General Reserve—Schedule E		19,58,540	47,57,874
	TOTAL	33,24,157	64,31,005
	TOTAL	5,69,45,514	5,15,19,796

P.C. JAIN
Sr. Dy. Secretary

M.C. NARASIMHAN
Secretary

K.G. SOMANI
President

As per our Report of even date attached

New Delhi
Dated 4th Sept., 1989

A.H. DALAL
Vice, President

M.R. VENKATARAMAN
Chartered Accountant

C.P. MEHRA
Chartered Account

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
SCHEDULE 'A'—FIXED ASSETS

(Amounts in Rupees)

S.No.	Assets	GROSS BLOCK				DEPRECIATION BLOCK				NET BLOCK	
		Cost as at 1-4-88	Adjust-ments/ Transfers	Additions during the year	Cost as at 31-3-89	As at 1-4-88	Adjust-ments/ Transfers	During the year	As at 31-3-89	W.D.V. as on 31-3-89	W.D.V. as on 31-3-88
1.	Land	23,85,755	—	2,16,013	26,01,768	—	—	—	—	26,01,768	23,85,755
2.	Buildings	1,33,61,462	—	5,47,521	1,39,08,983	28,27,739	960	5,54,915	33,82,714	1,05,26,269	1,05,33,723
3.	Buildings (Work in progress)	5,38,682	(5,01,395)	25,68,816	26,06,103	—	—	—	—	26,06,103	5,38,682
4.	Electric Instal-lations & Fittings	18,26,890	(6,460)	3,47,671	21,68,101	10,09,261	(635)	1,38,294	11,46,920	10,21,181	8,17,629
5.	Airconditioning installations	18,85,873	—	1,62,640	20,48,513	11,93,344	1	1,30,449	13,23,794	7,24,719	6,92,529
6.	Furniture & Fixtures	47,42,618	(17,863)	6,33,920	53,58,675	20,50,266	664	3,41,085	23,92,015	29,66,660	26,92,352
7.	Lifts	3,09,912	—	—	3,09,912	1,90,202	—	11,971	2,02,173	1,07,739	1,19,710
8.	Office Equipments	18,81,762	4,078	4,24,008	23,09,848	11,01,131	(2852)	1,83,979	12,82,258	10,27,590	7,80,631
9.	Vehicle	1,06,823	—	—	1,06,823	21,365	(1)	17,092	38,456	68,367	85,458
10.	Library	44,50,150	(24,633)	5,03,664	49,29,181	31,03,804	(15,239)	4,43,716	35,32,281	13,96,900	13,46,346
11.	Computers	12,30,818	—	5,70,003	18,00,821	3,24,846	1	2,95,395	6,20,242	11,80,579	9,05,972
	TOTAL	3,27,20,745	(5,46,273)	59,74,256	3,81,48,728	1,18,21,958	(17,101)	21,15,996	1,39,20,853	2,42,27,875	2,08,98,787
	Previous year figures	2,60,21,507	(4,74,702)	71,73,940	3,27,20,745	99,65,156	(72,842)	19,29,644	1,18,21,958	2,08,98,787	1,60,56,351

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
SCHEDULE 'B'—EARMARKED INVESTMENTS

(Amounts in Rupees)

	Fixed Deposits with banks		Balance in schedule Bank Accounts		Total	
	31-3-89	31-3-88	31-3-89	31-3-88	31-3-89	31-3-88
(A) Education Fund Investments	41,07,956	46,75,353	—	—	41,07,956	46,75,353
Total(A)	41,07,956	46,75,353	—	—	41,07,956	46,75,353
(B) Other Earmarked Investments:						
(a) Research Fund	6,80,250	6,80,250	—	—	6,80,250	6,80,250
(b) Medals & Prizes Funds	6,55,501	3,88,821	90,637	86,716	7,46,138	4,75,537
(c) Scientific Research Fund	2,24,654	2,28,682	4,028	—	2,28,682	2,28,682
(d) Others	28,84,883	17,09,516	1,65,952	4,78,592	30,50,835	21,88,108
Total (B)	44,45,288	30,07,269	2,60,617	5,65,308	47,05,905	35,72,577
Grand Total (A)+(B)	85,53,244	76,82,622	2,60,617	5,65,308	88,13,861	82,47,930

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
SCHEDULE 'C'– NET CURRENT ASSETS

(Amounts in Rupees)

Particulars		31-3-89		31-3-88
Current Assets :				
(a) Publications, Study Materials and Stationery		45,21,986		41,90,526
(b) Amounts Receivable :				
(i) Interest on Investments	15,55,453		16,38,250	
(ii) Interest on Housing & Vehicle Loans	11,76,795		9,57,716	
(iii) Others	16,82,330	44,14,578	23,50,763	49,46,729
(c) Loans & Advances :				
(i) Advances to Staff :				
Housing & Vehicle Loans	55,20,064		47,31,387	
Others	3,39,734		2,23,278	
	58,59,798		49,54,665	
(ii) Loan Scholarship			33,259	
(iii) Others	29,90,281	88,50,079	26,46,113	76,34,037
(d) Cash & Bank Balances		92,51,760		75,71,389
TOTAL		2,70,38,403		2,43,42,681
Less : Current Liabilities :				
(a) Fees received in advance		1,58,96,427		1,40,06,552
(b) Creditors for Expenses		68,29,503		51,27,013
(c) Other Liabilities		17,75,179		21,84,047
TOTAL :		2,45,01,109		2,13,17,612
Net Current Assets		25,37,294		30,25,069

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
SCHEDULE 'D'—CAPITAL RESERVE

(Amounts in Rupees)

Particulars		31-3-89	31-3-88
(A) General :			
Balance as per last account		2,18,46,006	1,75,53,324
Add: Admission fees and Allocated Entrance Fee		11,54,000	12,54,400
Add: Donation received for buildings		5,42,129	30,38,282
Less: Adjustment for Entrance fee due from members whose names removed		(–) 19,890	—
	TOTAL (A)	2,35,22,245	2,18,46,006
(B) Education:			
Balance as per last account		65,34,627	56,46,627
Add : Transfer from Education Fund		24,21,218	8,88,000
	TOTAL (B)	89,55,845	65,34,627
	GRAND TOTAL (A+B)	3,24,78,090	2,83,80,633

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
SCHEDULE 'E'—GENERAL RESERVE

(Amounts in Rupees)

Particulars	31-3-89	31-3-88
Balance as per last account	1,81,51,937	1,33,94,063
Add: Surplus transferred from Income & Expenditure Account	19,58,540	47,57,874
Less : Transferred to Earmarked Funds	(–)2,00,000	—
TOTAL :	1,99,10,477	1,81,51,937

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA. NEW DELHI
SCHEDULE 'F'—OTHER RESERVES

(Amounts in Rupees)

Particulars	31-3-89	31-3-88
Balance as per last account	22,33,014	19,35,319
Add: Net accretion/Adjustments during the year	3,56,225	3,76,183
	25,89,239	23,11,502
Less: Transferred to Earmarked Funds	—	(—)78,488
TOTAL:	25,89,239	22,33,014

THE INSTITUTE OF CHARTED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
SCHEDULE 'G'—EARMARKED FUNDS

(Amounts in Rupees)

Particulars	31-3-89	31-3-88
(A) Education Fund:		
Balance as per last account	46,75,353	34,47,709
Transferred from Income & Expenditure Account	13,65,617	16,73,131
Interest earned during the year	4,67,535	3,44,770
	65,08,505	54,65,610
Transferred to Capital Reserve	(—)24,21,218	(—)8,88,000
Adjustments	20,669	97,743
TOTAL (A)	41,07,956	46,75,353
(B) Other Earmarked Funds:		
(a) Research Fund	6,80250	6,80,250
(b) Medals & Prizes Funds		
Balance as per last account	4,75,537	4,02,873
Addition during the year	2,66,500	55,000
Income earned during the year	62,881	40,610
	8,04,918	4,98,483
Less: Cost of Medals & Prizes awarded	(—)58,780	(—)22,946
	7,46,138	4,75,537
(c) Scientific Research Fund:		
Balance as per last account	2,28,682	2,82,682
(d) Others:-		
1. Balance as per last account	21,88 108	19,79,667
2. Additions during the year	5,08,784	3,47,764
3. Transferred from General/Other Reserves	2,00,000	78,488
4. Adjustments	3,142	(—)2,96,445
Add: Income earned during the year	2,23,878	81,934
	31,23,912	21,91,408
Less: Expenditure during the year	(—)73,077	(—)3,300
	30,59,835	21,88,108
TOTAL (B)	47,05,905	32,72,577
GRAND TOTAL (A+B)	88,13,861	82,47,930

THE INSTITUTE OF CHARTED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
ANNEXURE TO INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1989

SCHEDULE H

(Amounts in Rupees)

	TOTAL		MEMBERS				STUDENTS	
			REGULATORY		PROFESSIONAL DEVELOPMENT & RESEARCH			
	31-3-89	31-3-88	31-3-89	31-3-88	31-3-89	31-3-88	31-3-89	31-3-88
I. INCOME								
1. Entrance Fee (Allotted)	3,87,400	4,84,400	3,87,400	4,84,400	—	—	—	—
2. Membership Fee	1,92,58,400	1,76,24,283	1,92,58,400	1,76,24,283	—	—	—	—
3. Post Graduate Course Fee	29,100	13,400	—	—	29,100	13,400	—	—
4. Students' Registration Fee	16,86,500	15,38,295	—	—	—	—	16,86,500	15,38,295
5. Students' Association Fee	1,39,400	1,27,530	—	—	—	—	1,39,900	1,27,530
6. Coaching Fee	1,35,94,992	1,23,04,188	—	—	—	—	1,35,94,992	1,23,04,188
7. Examination Fee	1,15,40,266	1,05,99,184	—	—	—	—	1,15,40,266	1,05,59,184
8. Journal & News Letter	9,06,121	7,69,612	—	—	—	—	9,06,121	7,69,612
9. Publications	42,53,112	40,82,724	26,425	—	13,28,823	14,98,144	28,97,864	25,84,580
10. Interest on Investments (Research & BOS)	1,70,149	1,74,458	—	—	1,04,148	1,04,561	66,001	69,897
11. Nomination Fee for Election to Council & Regional Councils	87,600	—	87,600	—	—	—	—	—
12. Others	12,18,851	12,72,480	8,312	3,863	5,17,703	7,50,339	6,92,836	5,18,278
Sub-Total	5,32,72,391	4,89,50,554	1,97,68,137	1,81,12,546	19,79,774	23,66,444	3,15,24,480	2,84,71,564
13. Income from General Fund Invesments (Allocated)	30,01,242	23,94,966	15,60,646	11,49,584	—	—	14,40,596	12,45,382
Sub-Total	5,62,73,633	5,13,45,520	2,13,28,783	1,92,62,130	19,79,774	23,66,444	3,29,65,076	2,97,16,946
14. Prior Period Adjusments	6,71,881	1,74,276	1,21,242	—	2,28,420	55,300	3,22,219	1,18,976
TOTAL	5,69,45,514	5,15,19,796	2,14,50,025	1,92,62,130	22,08,194	24,21,744	3,32,87,295	2,98,35,922

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA NEW DELHI
ANNEXURE TO INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1989

SCHEDULE-I
(Amounts in Rupees)

	TOTAL		MEMBERS				STUDENTS	
			REGULATORY		PROFESSIONAL DEVELOPMENT & RESEARCH			
	31.3.89	31.3.88	31.3.89	31.3.88	31.3.89	31.3.88	31.3.89	31.3.88
II EXPENDITURE								
1. Salaries & Staff Expenses	2,03,80,166	1,70,53,232	33,54,004	31,91,996	49,45,734	36,81,786	1,20,79,428	1,01,79,500
2. Printing & Stationery	14,18,455	12,77,002	97,976	1,94,123	7,00,693	6,15,178	6,19,786	4,67,701
3. Publications	23,44,014	16,87,184	4,78,646	3,49,799	8,35,575	4,13,863	10,29,793	9,23,522
4. Journal & New Letter	49,97,038	33,33,995	—	—	40,52,358	28,18,606	7,44,680	5,15,389
5. Coaching (Excluding Salaries & Staff Expenses	35,30,845	33,73,103	—	—	—	—	35,30,845	33,73,103
6. Examination (Excluding Salaries & Staff Expenses	75,04,701	64,42,197	—	—	—	—	75,04,701	64,42,197
7. Postage, Telephone & Telegrams	19,37,070	16,19,944	4,15,621	3,41,554	6,21,561	5,31,887	8,99,883	7,46,553
8. Rent, Rates & Taxes	20,21,887	20,56,450	3,54,091	3,90,874	8,08,234	7,60,589	8,59,562	9,04,987
9. Repairs & Maintenance	8,59,857	8,03,732	1,53,318	1,76,430	3,38,257	2,49,938	3,68,282	3,77,364
10. Depreciation	21,15,996	19,29,645	5,29,000	4,82,412	5,29,000	4,82,412	10,57,996	9,64,821
11. Travelling & Conveyance								
(a) Council Members	15,32,996	18,86,673	3,11,667	4,85,083	7,94,156	9,49,261	4,27,173	4,52,329
(b) Staff & Others	8,67,161	5,97,037	1,60,037	92,263	3,24,976	2,08,316	3,82,148	2,96,458
12. Library Maintenance	1,22,955	1,13,252	-		76,664	63,613	46,291	49,639
13. Overseas Relations	6,23,379	5,88,974	-		6,23,379	5,88,974	-	
14. Professional Fees	4,26,986	2,31,008	1,78,632	47,778	1,15,971	93,941	1,32,383	89,289
15. Elections	10,60,388	—	10,60,388	—	—	—	—	
16. Others	19,46,203	19,99,531	—	—	11,27,192	13,26,648	8,19,011	6,72,883
Sub-Total	5,34,90,097	4,49,93,059	70,93,380	57,52,312	1,58,94,750	1,37,85,012	3,05,01,967	2,64,55,735
17. Prior Period Adjustments	1,31,260	95,732	9,291	13,213	67,875	48,519	54,094	33,925
TOTAL	5,36,21,357	4,50,88,791	71,02,671	57,65,525	1,59,62,625	1,38,33,531	3,05,56,061	2,64,89,660

THE INSTITUTE OF CHARTED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
ANALYSIS OF EXPENSES ON MEMBERS FOR 1988-89

Sl. No.	Particulars	1988-89	1987-88
1.	(a) No. of Members	52,713	48,856
	(b) Total Expenditure*	Rs. 23,065	Rs. 18,599
2.	Total Expenditure per member	Rs. 438	Rs. 381
3.	Regulatory		
	(a) Total Expenditure*	Rs. 7,102	Rs. 5,765
	(b) Expenditure per member	135	Rs. 118
	(c) Percentage	31%	31%
4.	Professional Development & Research		
	(a) Total Expenditure*	Rs. 15,963	Rs. 12,834
	(b) Expenditure per member	303	263
	(c) Percentage	69%	69%

* Rupees in thousands

THE INSTITUTE OF CHARTED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSTION FOR
THE YEAR ENEDED 31st MARCH, 1989

(Rupees in lakhs)

	1988-89	1987-89
SOURCES OF FUNDS:		
Net Income from Investments (both on capital & revenue accounts)	38.34	30.14
Capital Receipts	28.32	48.73
Decrease in working capital	4.88	-
SUB-TOTAL	71.54	78.87
Surplus for the year without charging depreciation and considering operational income from investments	27.58	61.90
TOTAL	99.12	140.77
APPLICATION OF FUNDS:		
Increase in working capital	—	14.44
Acquisition of Fixed Assets	59.75	71.74
Acquisition of investments	39.37	54.59
TOTAL	99.12	140.77

STATEMENT OF CHANGE IN WORKING CAPITAL

(Rupees in lakhs)

	1988-89	1987-88
CURRENT ASSETS:—		
(a) Publications, Study Materials & Stationery etc.	03.32	07.21
(b) Amount Receivable		
(i) Interest accured on Investments	(—)00.83	04.28
(ii) Interest on housing loans etc.	02.19	01.49
(iii) Others	(—)06.69	03.16
(c) Loans & Advances		
(i) Advance to staff	09.05	07.68
(ii) Loan scholarship to students	(—)00.33	(-)00.13
(iii) Others	03.44	07.27
(d) Cash & Bank Balances	16.80	26.08
TOTAL	26.95	57.04
CURRNET LIABILITIES:—		
(a) Fees received in advance	18.90	32.41
(b) Creditors for expenses	17.02	06.45
(c) Other Liabilities	(—)04.09	03.74
TOTAL	31.83	42.60
Net Decrease/Increase in working capital	(- -) 4.88	14.44

M.C. NARA SIMHAN, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990